

विनियोग लेखे

वर्ष 2012-13

उत्तराखण्ड सरकार

MISSISSIPPI

MISSISSIPPI

MISSISSIPPI



## विषय सूची

पृष्ठ सं०	I
!!!	4
iv	7
xv	10
	15
	17
	27
	51
	52
	54
	62
	90
	109
	117
	121
	132
	137
	143
	146
	153
	163
	167
	176
	183
	188
	192
	196
	202
	207
	211
	230
विषय सूची	01. विद्यमान समा
पृ सं०	02. राज्यपाल
विनियोग लेख का सारांश	03. मंत्रिपरिषद्
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रमाण पत्र	04. न्याय प्रशासन
	05. निर्वाचन
	06. राजस्व एवं सामान्य प्रशासन
	07. विज्ञान, कृषि, नियोजन, परिवहन तथा अन्य सेवाएँ
	08. आरक्षण
	09. लोक सेवा आयोग
	10. पुलिस एवं जेल
	11. शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति
	12. चिकित्सा एवं परिवार कल्याण
	13. जलपूर्ति, आवास एवं नगर विकास
	14. सर्वना
	15. कल्याण योजनाएँ
	16. श्रम और रोजगार
	17. कृषि कर्म एवं अनुसन्धान
	18. सहकारिता
	19. ग्राम्य विकास
	20. सिंचाई एवं बाढ़
	21. ऊर्जा
	22. लोक निर्माण कार्य
	23. उद्योग
	24. परिवहन
	25. खाद्य
	26. पर्यटन
	27. वन
	28. पर्यावरण सम्बन्धी कार्य
	29. औद्योगिक विकास
	30. अनुसन्धित जातियों का कल्याण
	31. अनुसन्धित जनजातियों का कल्याण

## परिशिष्ट

(1) परिशिष्ट I	आकस्मिकता निधि से वर्ष 2012-2013 की अवधि में स्वीकृत अग्रिमों से किये गये व्यय, जिनकी वर्ष के अन्त तक निधि में प्रतिपूर्ति नहीं की गयी।	249
(2) परिशिष्ट II	वसूलियों के अनुमानों और वास्तविक आंकड़ों का, जिन्हें व्यय में कटौती करके लेखों में समायोजित किया गया है, अनुदानवार विवरण।	250
(3) परिशिष्ट III	उचन्त लेनदेन - सिंचाई विभाग - राजस्व प्रभाग।	252
(4) परिशिष्ट IV	उचन्त लेनदेन - सिंचाई विभाग - पूंजीगत प्रभाग।	253
(5) परिशिष्ट V	उचन्त लेनदेन - लोक निर्माण विभाग।	254



अनुदान/विनियोग की क्रम संख्या तथा नाम	कुल अनुदान या विनियोग		विनियोग लेखे	
			व्यय	
	राजस्व	पूँजीगत	राजस्व	पूँजीगत
1	2	3	4	5
				( ₹ हजार में )
<b>09. लोक सेवा आयोग</b>				
दत्तमत				
भारित	9,58,77	10,00,01	7,66,16	8,54,22
<b>10. पुलिस एवं जेल</b>				
दत्तमत	8,48,30,29	76,17,76	8,16,13,45	32,41,84
भारित				
<b>11. शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति</b>				
दत्तमत	41,97,59,45	3,59,49,59	36,29,99,72	2,37,46,19
भारित				
<b>12. चिकित्सा एवं परिवार कल्याण</b>				
दत्तमत	9,00,12,48	3,65,82,94	7,66,71,28	1,34,86,13
भारित			10	
<b>13. जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास</b>				
दत्तमत	6,22,89,21	5,59,50,00	4,69,67,23	2,51,50,98
भारित				
<b>14. सूचना</b>				
दत्तमत	43,13,81	1,00,00	41,30,14	1,37,60
भारित				
<b>15. कल्याण योजनायें</b>				
दत्तमत	7,08,88,22	26,35,52	5,16,92,44	22,81,53
भारित				
<b>16. श्रम और रोजगार</b>				
दत्तमत	1,12,98,14	6,80,00	76,52,90	6,37,10
भारित				

का सारांश

कुल अनुदान/विनियोग की तुलना में व्यय  
आधिक्य

बचत/आधिक्य का प्रतिशत

बचत		आधिक्य		बचत/आधिक्य का प्रतिशत	
राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	2012-13	2011-12
			(₹ हजार में)	राजस्व	पूंजीगत
6	7	8	9	10	11
--	--	--	--	--	--
1,92,61	1,45,79	--	--	(-)20.09	(-)14.58
--	--	--	--	--	--
32,16,84	43,75,92	--	--	(-)3.79	(-)57.44
--	--	--	--	--	--
5,67,59,73	1,22,03,40	--	--	(-)13.52	(-)33.95
--	--	--	--	--	--
1,33,41,20	2,30,96,81	--	--	(-)14.82	(-)63.14
--	--	10	--	(+)100	--
		(10,000)			
1,53,21,98	3,07,99,02	--	--	(-)24.60	(-)55.05
--	--	--	--	--	--
1,83,67	--	--	37,60	(-)4.26	(+)37.60
--	--	--	(37,60,000)	--	--
1,91,95,78	3,53,99	--	--	(-)27.08	(-)13.43
--	--	--	--	--	--
36,45,24	42,90	--	--	(-)32.26	(-)6.31
--	--	--	--	--	--
				(-)17.35	(-)38.13
				--	--

अनुदान/विनियोग की क्रम संख्या तथा नाम	कुल अनुदान या विनियोग		व्यय	
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
1	2	3	4	5
				( ₹ हजार में )
17. कृषि कर्म एवं अनुसन्धान				
दत्तमत	4,16,25,70	1,78,30,32	2,84,42,94	1,91,57,53
भारित	--	--	--	--
18. सहकारिता				
दत्तमत	38,32,17	4,80,00	32,29,16	4,80,00
भारित	--	--	--	--
19. ग्राम्य विकास				
दत्तमत	3,89,51,67	3,12,36,01	2,56,51,69	1,79,81,42
भारित	--	--	--	--
20. सिंचाई एवं बाढ़				
दत्तमत	3,46,88,55	6,94,28,21	3,15,43,44	4,38,01,46
भारित	--	--	--	--
21. ऊर्जा				
दत्तमत	12,28,76	9,51,12,02	12,54,64	5,82,72,00
भारित	--	--	--	--
22. लोक निर्माण कार्य				
दत्तमत	5,36,79,38	9,13,20,00	4,79,94,53	9,19,54,65
भारित	3,88,00	--	2,85,91	--
23. उद्योग				
दत्तमत	71,39,02	40,55,00	60,06,72	16,86,00
भारित	--	--	--	--
24. परिवहन				
दत्तमत	32,90,28	1,65,20,04	27,00,00	1,21,24,74
भारित	--	--	--	--







## विनियोग लेखे

अनुदान / विनियोग की क्रम संख्या तथा नाम	कुल अनुदान या विनियोग		व्यय	
	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
1	2	3	4	5
				( ₹ हजार में )
25. खाद्य दत्तमत	3,83,21,27	32,00,00	1,52,37,63	18,42,5895
भारित	--	--	--	--
26. पर्यटन दत्तमत	72,74,70	74,34,21	42,69,51	19,02,71
भारित	--	--	--	--
27. वन दत्तमत	3,72,89,78	57,75,82	3,45,80,07	41,43,48
भारित	--	--	--	--
28. पशुपालन सम्बन्धी कार्य दत्तमत	1,33,31,57	6,92,83	1,24,27,44	6,16,50
भारित	--	--	--	--
29. औद्योगिक विकास दत्तमत	1,08,90,78	--	1,01,72,28	4,50,00
भारित	53,93	--	50,76	--
30. अनुसूचित जातियों का कल्याण दत्तमत	5,07,17,37	3,61,59,89	3,92,78,56	1,57,89,06
भारित	--	--	--	--
31. अनुसूचित जनजातियों का कल्याण दत्तमत	1,53,53,68	94,78,11	1,16,85,39	40,50,26
भारित	--	--	--	--
<b>कुल योग</b>				
दत्तमत	1,43,07,13,93	54,49,53,76	1,16,86,24,15	53,65,17,66
भारित	23,32,07,81	23,08,13,01	22,80,58,10	14,96,38,82
<b>कुल योग</b>	<b>1,66,39,21,74</b>	<b>77,57,66,77</b>	<b>1,39,66,82,25</b>	<b>68,61,56,48</b>

का सारांश

कुल अनुदान/विनियोग की तुलना में व्यय  
आधिक्य

बचत/आधिक्य का प्रतिशत

बचत		आधिक्य		बचत/आधिक्य का प्रतिशत			
राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत	2012-13		2011-12	
6	7	8	9	राजस्व	पूंजीगत	राजस्व	पूंजीगत
			(₹ हजार में)	10	11		
2,30,83,64	--	--	18,10,58,95	(-)60.24	(+)5658.09	(-)37.69	(+)34942.24
--	--	--	(18,10,58,94,551)	--	--	--	--
30,05,19	55,31,50	--	--	(-)41.31	(-)74.41	(-)52.16	(-)40.60
--	--	--	--	--	--	--	--
27,09,71	16,32,34	--	--	(-)7.27	(-)28.26	(-)6.14	(-)34.58
--	--	--	--	--	--	--	--
9,04,13	76,33	--	--	(-)6.78	(-)11.02	(-)4.19	(-)25.79
--	--	--	--	--	--	--	--
7,18,50	--	--	4,50,00	(-)6.60	(+)100.00	(-)13.12	(+)100.00
3,17	--	--	(4,49,99,652)	(-)5.88	--	(-)9.94	--
1,14,38,81	2,03,70,83	--	--	(-)22.55	(-)56.34	(-)33.86	(-)51.68
--	--	--	--	--	--	--	--
36,68,29	54,27,85	--	--	(-)23.89	(-)57.27	(-)31.54	(-)54.50
--	--	--	--	--	--	--	--
26,21,15,66	19,19,44,51	25.88	18,35,08,41	(-)18.32	(-)1.55	(-)16.85	(-)1.17
51,49,81	8,11,74,19	10	--	(-)2.21	(-)35.17	(-)11.44	(+)17.35
26,72,65,47	27,31,18,70	25,98	18,35,08,41	(-)16.06	(-)11.55	(-)16.13	(+)4.34

## विनियोग लेखे का सारांश (क्रमशः)

निम्नलिखित दत्तमत अनुदानों में आधिक्य का नियमानुकूलन अपेक्षित है:-

### पूँजीगत प्रभाग

- (i) 14-सूचना
- (ii) 17-कृषि कर्म एवं अनुसंधान
- (iii) 22-लोक निर्माण कार्य
- (iv) 25-खाद्य
- (v) 29-औद्यानिक विकास

निम्नलिखित प्रभारित विनियोग के अन्तर्गत भी व्ययाधिक्य का नियमानुकूलन अपेक्षित है-

### राजस्व अनुभाग

- 12-चिकित्सा एवं परिवार कल्याण

अनुदान संख्या 21 के अन्तर्गत ₹ 25.88 लाख के व्ययाधिक्य है। यह आधिक्य वर्ष 2002-03 के आपत्तिगत बही उचन्त के समायोजन ₹ 33.00 लाख के कारण परिलक्षित हुए है।

इसके अतिरिक्त राजस्व प्रभाग के व्ययों के अन्तर्गत पिछले वर्षों के ₹ 3,67,28 हजार के आपत्तिगत बही उचन्त के समायोजन सम्मिलित है। आपत्तिगत बही उचन्त के समायोजन को अनुदानों के उपशीर्षों जिससे यह सम्बन्धित हैं के अन्तर्गत भी पूर्ण ₹ में दर्शाया गया है।

विनियोग लेखे के सारांश में दिखाये गये व्यय में ₹ 32,06,73 हजार सम्मिलित नहीं हैं जो कि आकस्मिकता निधि के अग्रिम से वर्ष 2012-13 में व्यय किये गये थे तथा जिनकी प्रतिपूर्ति वर्ष के अन्त तक नहीं हो पायी थी। इस व्यय के ब्यौरे परिशिष्ट-I में दिये गये हैं ।

चूँकि अनुदान एवं प्रभारित विनियोजन व्यय हेतु सकल राशियों के प्रति होता है, अतः उनके सम्मुख दर्शाए गये व्यय के आंकड़ों में वे वसूलियाँ (व्यौरेवार परिशिष्ट -II में दिये गये हैं) सम्मिलित नहीं हैं जिनका समायोजन लेखों में व्यय से कटौती करके किया गया है। शुद्ध व्यय के आंकड़े वित्त लेखे में दर्शाये गये हैं।

विनियोग लेख का सारांश (समाप्त)

विनियोग लेख के अनुसार वर्ष 2012-2013 के कुल व्यय इस अधि के विल लेख में प्रदर्शित किये गये समायोजन निम्नवत् है।

भारत		दिल्ली	
राजस्व	पूर्जीगत	राजस्व	पूर्जीगत
विनियोग लेख के अनुसार कुल व्यय			
22,80,58,10	14,96,38,82	1,16,86,24,15	53,65,17,66
घटाइये-परिशिष्ट-II में प्रदर्शित कुल वसूलियाँ			
--	--	6,60,17	15,59,53,73
विल लेख के विवरण संख्या 10 में दर्शाया गया कुल निवल व्यय			
22,80,58,10	14,96,38,82	1,16,79,63,98	38,05,63,93

ऊपर दी गई वसूलियों का विवरण परिशिष्ट-II में दर्शाया गया है।





## भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रमाण पत्र

31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष के लिए उत्तराखण्ड सरकार के विनियोग लेखे वाला यह संकलन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 तथा 205 के अन्तर्गत पारित विनियोग अधिनियमों के साथ संलग्न अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट शक्ति की तुलना में 31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष की प्राप्ति एवं संचितियों के लेखों सहित वित्तीय स्थिति सरकार के वित्त लेखे इस वर्ष की प्राप्ति एवं संचितियों के लेखों सहित वित्तीय स्थिति को प्रदर्शित करते हैं, जिन्हें एक अलग संकलन के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

विनियोग लेखे, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तों) अधिनियम, 1971 की अध्यायों के अनुसार भंडे पर्यवेक्षण में तैयार किए गए हैं तथा उत्तराखण्ड सरकार के नियंत्रणाधीन कार्य करने वाले ऐसे लेखाओं के रखरखाव के लिए उत्तरदायी तथा विभागों द्वारा बनाए गए वाउचर्स, चालानों तथा प्रारम्भिक एवं सहायक लेखाओं तथा भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त विवरणों से संकलित किए गए हैं।

उत्तराखण्ड सरकार के नियंत्रणाधीन कार्य करने वाले कोषागार, कार्यालय तथा अथवा विभाग मुख्यातः प्रारम्भिक तथा सहायक लेखाओं को तैयार करने तथा इन लेखाओं तथा संवहदरों से संबंधित लागू नियमों, नियमों तथा विनियमों के अनुसार संवहदरों की नियमितता सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी हैं। मैं वार्षिक लेखाओं का तैयार करने तथा उन्हें राज्य विधानमण्डल को प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी हूँ। लेखाओं के तैयार करने तथा उन्हें अन्तिम रूप देने के लिए भंडे उत्तरदायित्व का निर्वाह प्रधान महालेखाकार (ले० एवं हक०) के कार्यालय के माध्यम से किया जाता है। इन लेखाओं की लेखापरीक्षा, इन लेखाओं पर उस लेखापरीक्षा के परिणामों के आधार पर अपना मत व्यक्त करने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 तथा 151 तथा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तों) अधिनियम, 1971 की अध्यायों के अनुसार स्वतंत्र रूप से महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के कार्यालय के माध्यम से की जाती है। ये कार्यालय स्वतंत्र संगठन हैं जिनका अपना अलग संगर्भ, पृथक रिपोर्टिंग लाइनें तथा प्रबन्धन ढांचा है।





दिनांक: 04 अक्टूबर 2013  
स्थान: नई दिल्ली

भारत के निर्यातक-महालेखापरीक्षक  
(राष्ट्रिय कानून विभाग)

*Handwritten signature*

शासित किए गए हैं।

के लिए पृथक रूप से प्रस्तुत किए जाने वाले उत्तराखण्ड सरकार पर भरे प्रतिवेदनों में नमूना लेखापरीक्षा से उद्भूत ध्यान देने योग्य विषय, 31 मार्च 2013 को समाप्त हुए वर्ष इन लेखाओं के अध्ययन तथा वर्ष के दौरान अथवा विगत वर्षों के दौरान की गई करते हैं।

को समाप्त हुए वर्ष में खर्च की गई राशि के लेखाओं का सही एवं स्पष्ट विवरण प्रस्तुत अधिनियमों के साथ संलग्न अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट राशियों की तुलना में 31 मार्च 2013 संविधान अनुच्छेद 204 तथा 205 के अन्तर्गत राज्य विधानमण्डल द्वारा पारित विनियोग करता है कि इस संकलन में दी गई अभ्युक्तियों के साथ पठित विनियोग लेख, भारत के स्पष्टीकरण पर विचार करते हुए, में अपने पूर्ण ज्ञान तथा विश्वास के अनुसार प्रमाणित की नमूना लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप अपनी पूर्ण जानकारी के अनुसार तथा दिए गए भरे अधिकांशियों द्वारा प्राप्त सूचना तथा स्पष्टीकरण के आधार पर, तथा लेखाओं प्रकटनों से संगत साक्ष्य की नमूना आधार पर जाँच शासित है।

लेखापरीक्षा करें। एक लेखापरीक्षा में वित्तीय विवरणों में दी गई राशियों तथा किए गए लेख सामग्री मिथ्याकथन से मुक्त है, के लिए लेखापरीक्षा की योजना बनाएं तथा गई थी। इन मानदण्डों में यह अपेक्षित है कि इस समुचित आश्वासन प्राप्त करने, कि यह लेखापरीक्षा भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखापरीक्षण मानदण्डों के अनुसार की



## अनुदान सं० 01

## विधान सभा

मुख्य लेखाशीर्ष

कुल अनुदान/  
विनियोग

वास्तविक व्यय

आधिक्य (+)  
बचत (-)  
(₹ हजार में)

राजस्व:

2011 संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मण्डल

दत्तमत-

मूल 18,83,97

19,05,97

16,97,37

(-)2,08,60

पूरक 22,00

वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च, 2013)

00

प्रभारित-

मूल 79,71

79,71

58,08

(-)21,63

पूरक 00

वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च, 2013)

00

पूंजीगत:

4059 लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय

दत्तमत-

मूल 22,60,00

24,60,00

2,60,00

(-)22,00,00

पूरक 2,00,00

वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च, 2013)

00

टिप्पणियाँ एवं टीकायें

राजस्व:

दत्तमत-

- (i) ₹ 2,08.60 लाख की अन्तिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।  
(ii) ₹ 2,08.60 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2012 को ₹ 22.00 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए।  
(iii) दत्तमत अनुदान के अन्तर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरन्तर बचत निम्नतः रही—

(₹ लाख में)

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2007-08	11,35.72	9,33.86	2,01.86
2008-09	11,85.50	10,44.60	1,40.90
2009-10	13,97.21	12,33.16	1,64.05
2010-11	20,10.96	16,48.35	3,62.61
2011-12	17,29.13	16,62.31	1,67.12

(iv) बचत निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुई:

कम	लेखाशीर्ष	केल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)	बचत (-)	(₹ लाख में)
----	-----------	------------	---------------	------------	---------	-------------

2011 संसद/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मण्डल

02 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधान मण्डल

101 विधान सभा

03 विधान सभा

9,86.77

9,86.77

8,05.59

(-), 1,81.18

103 विधान मण्डल सचिवालय

03 विधान सभा सचिवालय

8,97.20

9,19.20

8,91.78

(-), 27.42

पूरक

22.00

माह दिसम्बर 2012 को अनुपूरक अनुदान द्वारा ₹ 22.00 लाख की प्रावधान में वृद्धि का कारण विधान सभा के माननीय अध्यक्ष हेतु सरकारी आवास तथा विधान सभा परिसर के निर्माण हेतु निधि की आवश्यकता का होना सूचित किया गया।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत बचतों के निम्न कारण सूचित किए गए-

- यात्रा भत्तों के उपभोग का न होना
- मा10 सदस्यों का विधान सभा सचिव के रूप में प्रोन्नति का होना
- विद्युत विभाग से विद्युत दरों का प्राप्ति न होना
- टेलीफोन व्ययों में बचत तथा मा10 अध्यक्ष के कार्यालय की साज-सज्जा में बचत
- अधिकारियों/कर्मचारियों को सरकारी आवास का आवंटन होना
- पुस्तकालय हेतु पुस्तकों एवं फर्नीचर का क्रय नहीं किया जाना तथा
- कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा अवकाश यात्रा खियात का उपभोग न किया जाना।

प्रसारित-

(v) ₹ 21.63 लाख की अन्तिम बचत में से कोई भी राशि अप्रयुक्त हेतु प्रत्याहित नहीं की जा

सकी।

(vi) प्रसारित प्रमाण के अन्तर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरन्तर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2007-08	77.88	31.08	46.80
2008-09	75.81	69.27	6.54
2009-10	79.81	59.89	19.92
2010-11	87.35	50.21	37.14
2011-12	78.54	48.10	30.44

(₹ लाख में)





**अनुदान सं० 02 राज्यपाल**

मुख्य लेखाशीर्ष

कुल विनियोग

वास्तविक व्यय

आधिक्य (+)  
बचत (-)  
(₹ हजार में)

राजस्व :

**2012 राष्ट्रपति/उप-राष्ट्रपति/राज्यपाल/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक**

प्रभारित—

मूल	5,34,50			
		5,39,30	4,75,36	(-)63,94
पूरक	4,80			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च, 2013)				00

टिप्पणियाँ एवं टीकायें

राजस्व:

प्रभारित—

- (i) ₹ 63.94 लाख की अन्तिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।  
(ii) बचत निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुई:

क्रम लेखाशीर्ष सं०

कुल विनियोग

वास्तविक व्यय

आधिक्य (+)  
बचत (-)  
(₹ लाख में)

(1) **2012 राष्ट्रपति/उप-राष्ट्रपति/राज्यपाल/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक**

03 राज्यपाल/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक

090 सचिवालय

03 अधिष्ठान व्यय

मूल 2,72.70

पूरक 1.50

पुनर्वि० (-)5.30

2,68.90

2,39.79

(-)29.11

प्रावधान में अनुपूरक विनियोग द्वारा माह दिसम्बर 2012 को वृद्धि अधिष्ठान व्ययों के निम्न मदों की पूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई—

- मजदूरी ₹ 0.40 लाख
- लेखन सामाग्री एवं फार्मों की छपाई ₹ 0.60 लाख
- कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय ₹ 0.50 लाख।

प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 28 फरवरी 2013 को ₹ 5.30 लाख की कमी 'वेतन मद' में बजट के अधिक आवंटन के कारण की गई।

(2) 103 पारिवारिक स्थापना

03 कर्मचारीवर्ग

मूल 1,23.86

पूरक 0.80

पुनर्वि० 0.70

1,25.36

1,08.35

(-)17.01

प्रावधान में अनुपूरक विनियोग द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 0.80 लाख की वृद्धि चिकित्सा प्रतिपूर्ति के दावों के भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

(1) 2012 राज्यपाल/उप राज्यपाल/राज्यपाल/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक

(iii) आधिक्य निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुआ:

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत का कारण मा10 राज्यपाल सचिवालय के रिक्त पदों के न भरे जाने तथा मा10 राज्यपाल के यहाँ तैनात अधिकारियों/कर्मचारियों के बतन भत्तों का भुगतान उत्तराखण्ड शासन, सूर्यना विभाग तथा न्याय विभाग द्वारा इरला बैंक के माध्यम से किए जाने के कारण होना सूचित किया गया।

क्र.सं.	विवरण	मूल	पुनर्वि0	आधिक्य	बचत (-)	कुल विनियोग
(5)	800 अन्य व्यय 03 राज्यपाल के लिए कार का क्रय	15.00	15.00	15.00	9.12	(-):5.88
(6)	04 राज्य भवन की रखरखाव	14.11	14.11	14.11	12.59	(-):1.52
(7)	05 सजावट के सामान के अर्जुक्षण और नवीनीकरण के लिए अर्जदान	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00

प्राधान्य में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 16 फरवरी 2013 को ₹ 3.00 लाख की कमी अन्य व्ययों में बचत के कारण की गई।

क्र.सं.	विवरण	मूल	पुनर्वि0	आधिक्य	बचत (-)	कुल विनियोग
(4)	107 सविदा भत्ते से व्यय 03 सविदा भत्ते से व्यय	8.20	8.20	8.20	5.19	(-):0.01

प्राधान्य में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 28 फरवरी 2013 को ₹ 0.80 लाख की वृद्धि बिकल्सा दावों के भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

क्र.सं.	विवरण	मूल	पुनर्वि0	आधिक्य	बचत (-)	कुल विनियोग
(3)	105 बिकल्सा सविदाएं 03 बिकल्सा सम्बन्धी व्यय	41.93	41.93	41.93	33.65	(-):9.08

(₹ लाख में)  
बचत (-)  
आधिक्य (+)

कम  
₹10

प्राधान्य में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 16 फरवरी 2013 को ₹ 1.00 लाख की कमी "कायालय व्यय" में बचत के कारण की गई। यद्यपि, दिनांक 28 फरवरी 2013 को पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1.70 लाख की वृद्धि की गई जो कि यात्रा व्यय, बिकल्सा प्रतिपूर्ति एवं अवकाश यात्रा सियावल में निधि की आवश्यकता का होना सूचित किया गया।



क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
106	मनोरंजन खर्च			
03	मनोरंजन/सम्मान सत्कार तथा आतिथ्य व्यय			
	मूल	3.50		
	पूरक	1.00	11.70	11.17
	पुनर्वि०	7.20		(-)0.53

प्रावधान में अनुपूरक विनियोग द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 1.00 लाख की वृद्धि आतिथ्य व्यय की पूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 16 फरवरी 2013 एवं दिनांक 21 मार्च 2013 को ₹ 7.20 लाख की वृद्धि उपरोक्त शीर्ष में और अधिक निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

(2)	108 दौरा खर्च			
	03 दौरा खर्च			
	मूल	8.00		
	पूरक	1.50	11.60	10.96
	पुनर्वि०	2.10		(-)0.64

प्रावधान में अनुपूरक विनियोग द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 1.50 लाख की वृद्धि यात्रा व्ययों की पूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 16 फरवरी 2013 तथा 28 फरवरी 2013 को ₹ 2.10 लाख की वृद्धि यात्रा व्ययों की पूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

## अनुदान सं0 03 मंत्रिपरिषद्

मुख्य लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ हजार में)
<b>राजस्व :</b>			
<b>2013 मंत्रिपरिषद्</b>			
<b>दत्तमत-</b>			
मूल	28,31,81		
पूरक	5,15,50	33,47,31	32,79,19
			(-)68,12
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च, 2013)			1,16,34

अनुदान के राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 1,00,00 हजार नहीं लिए गए हैं जो कि आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किए गए थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वर्ष के अन्त तक नहीं हुई।

### टिप्पणियाँ एवं टीकायें

राजस्व:

दत्तमत-

- (i) दत्तमत अनुदान के अन्तर्गत हुई अन्तिम बचत ₹ 68.12 लाख के सापेक्ष वर्ष के दौरान ₹ 1,16.34 लाख के अभ्यर्पण अवास्तविक सिद्ध हुए।
- (ii) ₹ 68.12 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2012 को प्राप्त अनुपूरक अनुदान ₹ 5,15.50 लाख अत्यधिक सिद्ध हुए।
- (iii) अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अन्तर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरन्तर बचत निम्नतः रही—

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	(₹ लाख में) बचत
2007-08	57,28.31	43,34.24	13,94.07
2008-09	30,04.59	18,99.90	11,04.69
2009-10	34,79.40	32,89.61	1,89.79
2010-11	25,88.54	25,69.61	18.93
2011-12	62,76.44	61,45.51	1,30.93

- (iv) बचत निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुई:

क्रम सं0	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(1)	<b>2013 मंत्रि परिषद्</b>			
	00			
	101 मंत्रियों तथा उपमंत्रियों का वेतन			
	03 मंत्रिगण, उपमंत्रिगण तथा सभा सचिव के वेतन एवं अन्य अनुमन्य भत्ते			
	मूल	1,86.00		
			1,27.34	1,27.33
	पुनर्वि0	(-)58.66		(-)0.01

प्रावधान में अभ्यर्पण द्वारा दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 58.66 लाख की कमी का कारण वेतन एवं अन्य भत्ते में हुई बचत का होना सूचित किया गया।

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(2)	04 भारत सरकार को देय आय कर की धनराशि जो राज्य सरकार द्वारा वहन की जायेगी			
	मूल	8.80		
			2.07	2.07
	पुनर्वि०	(-6.73)		0.00
	दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 6.73 लाख के अभ्यर्पण अन्य व्ययों में बचत के कारण थे।			
(3)	104 मनोरंजन तथा सत्कार भत्ते			
	03 मनोरंजन तथा सत्कार खर्च			
	मूल	70.00		
	पूरक	15.00	79.89	79.89
	पुनर्वि०	(-5.11)		0.00

प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 15.00 लाख की वृद्धि आतिथ्य व्ययों की पूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण किए गए।

दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 5.11 लाख के अभ्यर्पण मनोरंजन एवं आतिथ्य व्यय में बचत के कारण किए गए।

(4)	108 दौरा खर्च			
	03 मंत्रियों तथा उप मंत्रियों का यात्रा व्यय			
	मूल	70.01		
			52.69	60.78
	पुनर्वि०	(-17.32)		(+8.09)

प्रावधान में अभ्यर्पण द्वारा दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 17.32 लाख की कमी यात्रा व्यय एवं मानदेय में बचत के कारण किए गए।

(5)	800 अन्य व्यय			
	03 मंत्रियों तथा उप मंत्रियों के प्रकीर्ण व्यय			
	मूल	4,97.00		
	पूरक	0.50	4,69.00	4,66.94
	पुनर्वि०	(-28.50)		(-2.06)

प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 0.50 लाख की वृद्धि कार्यालय व्ययों की पूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण किए गए।

दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 28.50 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों के विभिन्न मदों में हुई बचत के कारण किए गए।

उपरोक्त क्रम संख्या (4) के अन्तर्गत अन्तिम आधिक्य एवं क्रम संख्या (5) शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)।





क्रम सं०	लेखाशीर्ष	अनुदान सं०	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(8)	800 अन्य व्यय				
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना				
	मूल	20,44.40	6,40.45	6,97.31	(+)56.86
	पुनर्वि०	(-14,03.95)			
(9)	04 लोक सेवा अधिकरण				
	मूल	2,62.61	2,06.15	2,18.25	(+)12.10
	पुनर्वि०	(-56.46)			
(10)	05 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण				
	मूल	67.60	53.44	53.47	(+)0.03
	पुनर्वि०	(-14.16)			
(11)	06 जिला विधिक सेवा प्राधिकरण				
	मूल	84.33	67.01	69.76	(+)2.75
	पुनर्वि०	(-17.32)			
(12)	07 महाप्रशासक कार्यालय, नैनीताल				
	मूल	18.12	11.77	11.77	0.00
	पुनर्वि०	(-6.35)			
(13)	08 अधिवक्ता कल्याण कोष में कोषागार की प्राप्तियों के समतुल्य अन्तरण				
	मूल	20.00	15.84	15.40	(-)0.44
	पुनर्वि०	(-4.16)			
(14)	09 उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी				
	मूल	1,68.46	1,53.59	1,53.57	(-)0.02
	पूरक	3.70			
	पुनर्वि०	(-18.57)			
(15)	10 लोक अदालत				
	मूल	46.22	0.00	0.00	0.00
	पुर्नि०	(-46.22)			





प्रावधान में अनुपूरक विनियोग द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 4,52.48 लाख की वृद्धि मा0 उच्च न्यायालय के अधिष्ठान व्ययों के विभिन्न मदों की पूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई। प्रावधान में अभ्यर्पण द्वारा दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 5,88.99 लाख की कमी अधिष्ठान व्ययों में मुख्यतः वेतन, मजदूरी, महंगाई भत्ता, अन्य भत्ते, विद्युत, जलकर, कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण, स्टॉफ कार/मोटर गाड़ियों का क्रय, गाड़ियों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल आदि की खरीद, मशीन और सज्जा/उपकरण और सयन्त्र तथा अवकाश यात्रा रियायत में हुई बचत के कारण की गई।

पूँजीगत:  
दत्तमत-

- (ix) ₹ 3,75.83 लाख की अन्तिम बचत में से मात्र ₹ 24.35 लाख अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित किए जा सके।  
(x) ₹ 3,75.83 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2012 को प्राप्त अनुपूरक अनुदान ₹ 1,00.00 लाख अनावश्यक सिद्ध हुए।  
(xi) बचत निम्न शीर्ष के अन्तर्गत परिलक्षित हुई:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (₹ लाख में)
----------	-----------	------------	---------------	------------------------------------

**4059 लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय**

60 अन्य भवन

051 निर्माण

03 न्यायिक कार्य हेतु भवनों का निर्माण

मूल 20,00.00

पूरक 1,00.00 20,75.65 17,24.17 (-)3,51.48

पुनर्वि० (-)24.35

प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 1,00.00 लाख की वृद्धि न्याय विभाग हेतु भवनों के निर्माण एवं भूमि की खरीद हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 24.35 लाख के अभ्यर्पण के कोई निश्चित कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)।



## अनुदान सं० 05 निर्वाचन

मुख्य लेखाशीर्ष कुल अनुदान वास्तविक व्यय अधिक्व (+)  
बचत (-)  
( ₹ हजार में )

राजस्व :

### 2015 निर्वाचन

दत्तमत-

मूल	14,78,34	24,01,54	19,44,16	(-),4,57,38
पूरक	9,23,20			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च, 2013)				4,62,52

टिप्पणियाँ एवं टीकायें

राजस्व:

दत्तमत-

- (i) ₹ 4,57.38 लाख की अन्तिम बचत के विरुद्ध ₹ 4,62.52 लाख के अभ्यर्पण अवास्तविक सिद्ध हुए।
- (ii) ₹ 4,57.38 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए ₹ 9,23.20 लाख के अनुपूरक अनुदान अधिक सिद्ध हुए।
- (iii) अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अन्तर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरन्तर बचत निम्नतः रही—

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2007-08	14,47.10	10,65.45	3,81.65
2008-09	17,33.72	13,66.13	3,67.59
2009-10	27,86.57	24,21.12	3,65.45
2010-11	10,67.24	9,63.91	1,03.33
2011-12	33,21.73	28,51.15	4,70.58

( ₹ लाख में )

- (iv) बचत मुख्यतः निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुई:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्व(+) बचत(-) ( ₹ लाख में )
----------	-----------	------------	---------------	--------------------------------------

(1) 2015 निर्वाचन

00

103 निर्वाचक नामावली तैयार करना और मुद्रण

01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना

मूल 5,50.00

5,15.82

4,55.82

(-),60.00

पुर्नि०

(-),34.18

प्रावधान में अभ्यर्पण द्वारा दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 34.18 लाख की कमी फोटो पहचान पत्र योजना (50 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता) में बचत होने के कारण सूचित की गई।

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)	
(2)	03 विधान सभा एवं संसद मूल	49.00	28.27	28.27	0.00
	पुर्नि०	(-)20.73			
(3)	05 निर्वाचन अधिष्ठान व्यय (50 प्रतिशत के०पो०) मूल	4,15.31			
	पूरक	44.00	3,28.88	3,58.67	(+)29.79
	पुर्नि०	(-)1,30.43			
प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 44.00 लाख की वृद्धि व्यावसायिक एवं विशेष सेवाओं के भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।					
(4)	105 संसद के चुनाव कराने के लिए प्रभार 04 उप-निर्वाचन मूल	72.00			
	पूरक	6,00.20	5,11.74	4,91.09	(-)20.65
	पुर्नि०	(-)1,60.46			
प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 6,00.20 लाख की वृद्धि निम्न मदों में निधि की आवश्यकता के कारण की गई—					
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ ₹ 1,46.00 लाख यात्रा व्यय हेतु</li> <li>➤ ₹ 4,35.00 लाख कार्यालय व्ययों हेतु</li> <li>➤ ₹ 17.20 लाख लेखन सामाग्री एवं फार्मों की छपाई हेतु तथा</li> <li>➤ ₹ 2.00 लाख कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्संबन्धी स्टेशनरी के क्रय हेतु।</li> </ul>					
(5)	106 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के विधानमण्डल के चुनाव कराने के लिए प्रभार 03 सामान्य निर्वाचन-राज्य विधान सभा मूल	3,26.00			
	पूरक	2,79.00	5,21.66	5,78.50	+56.84
	पुर्नि०	(-)83.34			
प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 2,79.00 लाख की वृद्धि यात्रा व्ययों, कार्यालय व्ययों एवं कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्संबन्धी स्टेशनरी का क्रय हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।					
(6)	05 उप निर्वाचन-राज्य विधान सभा मूल	66.00	32.65	31.81	(-)0.84
	पुर्नि०	(-)33.35			

प्रावधान में दिनांक 31 मार्च 2013 को उपरोक्त क्रम सं० (2) से (6) के शीर्षों के अन्तर्गत अभ्यर्पण द्वारा कमी का कारण अधिष्ठान व्ययों के विभिन्न मदों में बचत का होना सूचित किया गया।

उपरोक्त क्रम सं० (1), (4) एवं (6) के शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत तथा क्रम सं० (3) एवं (5) के शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)।

## अनुदान सं० 06 राजस्व एवं सामान्य प्रशासन

मुख्य लेखाशीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	अधिक्य (+) बचत (-) ( ₹ हजार में )
<b>राजस्व :</b>			
2029 भू-राजस्व			
2053 जिला प्रशासन			
2070 अन्य प्रशासनिक सेवाएं			
2075 विविध सामान्य सेवाएं			
2245 प्राकृतिक विपत्तियों के कारण राहत			

### दत्तमत-

मूल	4,21,16,14			
पूरक	12,23,99	4,33,40,13	3,68,99,88	(-)64,40,25
वर्ष मे अभ्यर्पित धनराशि (मार्च, 2013)				2,20,46

### प्रभारित-

मूल	2,30,44			
पूरक	2,80	2,33,24	1,98,15	(-)35,09
वर्ष मे अभ्यर्पित धनराशि (मार्च, 2013)				25,69

अनुदान के राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 20 हजार नहीं लिए गए हैं जो कि आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किए गए थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वर्ष के अन्त तक नहीं हुई।

### पूंजीगत:

#### 4059 लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय

### दत्तमत-

मूल	22,30,00			
पूरक	28,73,55	51,03,55	41,91,63	(-)9,11,92
वर्ष मे अभ्यर्पित धनराशि (मार्च, 2013)				10,38,82

### प्रभारित-

मूल	00			
पूरक	1,00,00	1,00,00	47,54	(-)52,46
वर्ष मे अभ्यर्पित धनराशि (मार्च, 2013)				00

## टिप्पणियाँ एवं टीकायें

## राजस्व:

## दत्तमत-

- (i) ₹ 64,40.25 लाख की अन्तिम बचत में से मात्र ₹ 2,20.46 लाख अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित किए जा सके।  
(ii) ₹ 64,40.25 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2012 को प्राप्त अनुपूरक अनुदान ₹ 12,23.99 लाख अनावश्यक सिद्ध हुए।  
(iii) अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अन्तर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरन्तर बचत निम्नतः रही—

(₹ लाख में)

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2007-08	2,83,75.55	2,53,23.68	30,51.87
2008-09	2,98,37.41	2,30,80.15	67,57.26
2009-10	3,86,30.45	3,29,56.14	56,74.31
2010-11	3,96,87.97	3,67,36.07	29,51.90
2011-12	8,87,25.60	8,43,31.89	43,93.71

- (iv) बचत मुख्यतः निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुई:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (₹ लाख में)
(1)	<b>2029 भू-राजस्व</b>			
	00			
	001 निदेशन तथा प्रशासन			
	03 भूमि अध्याप्ति-सामान्य राजस्व व्यय			
	मूल	4,08.40	4,08.40	3,32.52
				(-75.88)
(2)	04 राजस्व आयुक्त अधिष्ठान			
	मूल	1,91.56		
			1,97.56	1,66.54
				(-31.02)
	पूरक	6.00		
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 6.00 लाख की वृद्धि कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण के क्रय किए जाने हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
(3)	05 राजस्व पुलिस का सुदृढीकरण			
	मूल	17.50		
			18.50	11.32
				(-7.18)
	पूरक	1.00		
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 1.00 लाख की वृद्धि गाडियों के अनुरक्षण एवं पेट्रोल आदि की खरीद हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
(4)	101 संग्रहण प्रभार			
	03 भू-राजस्व (माल गुजारी) तकावी नहर और अन्य प्रकीर्ण सरकारी देय धनराशियों का संग्रहण प्रभार			
	मूल	27,14.13		
			29,09.13	27,35.78
				(-1,73.35)
	पूरक	1,95.00		

वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 के आपत्तिगत बही उच्चतम समायोजन के 1,414 सम्मिलित है।  
प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 1,95.00 लाख की वृद्धि वेतन, महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्तों के भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।



क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)	
(5)	103 भू-अभिलेख 03 जिला अधिष्ठान मूल	81,84.07	82,04.07	79,15.81	(-),2,88.26
	पूरक	20.00			
वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के ₹ 2,889 भी सम्मिलित है। प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 20.00 लाख की वृद्धि कार्यालय प्रयोगार्थ स्टॉफ कारों/मोटर गाड़ियों की खरीद हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।					
(6)	04 कृषि गणना (100 प्रतिशत के०स०) मूल	2,13.00	2,13.00	25.60	(-),1,87.40
(7)	800 अन्य व्यय 03 खेतों की चकबन्दी मूल	6,03.01	6,04.51	5,74.69	(-),29.82
	पूरक	1.50			
प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 1.50 लाख की वृद्धि चिकित्सा प्रतिपूर्ति के दावों के भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।					
(8)	2053 जिला प्रशासन 00 093 जिला स्थापनायें 03 कलक्टरी स्थापना मूल	73,78.01	76,68.01	69,70.86	(-),6,97.15
	पूरक	2,90.00			
वास्तविक व्यय में वर्ष 2011-12 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के 2,384 भी सम्मिलित है। प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 2,90.00 लाख की वृद्धि कलक्टरी स्थापना के अधिष्ठान व्ययों की पूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।					
(9)	094 अन्य स्थापनायें 03 राजस्व पुलिस एवं भूलेख प्रशिक्षण केन्द्र मूल	48.61	48.61	42.64	(-),5.97
(10)	101 आयुक्त 03 मुख्य कार्यालय मूल	2,61.81	2,74.81	2,68.49	(-),6.32
	पूरक	13.00			

प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 13.00 लाख की वृद्धि आयुक्त अधिष्ठान के  
मुख्य कार्यालय के अधिष्ठान व्ययों की पूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।



क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(11)	2070 अन्य प्रशासनिक सेवायें			
	00			
	003 प्रशिक्षण			
	03 राज्य प्रशासनिक अकादमी, नैनीताल			
	मूल	4,54.61		
			4,69.61	4,02.66
	पूरक	15.00		(-)66.95
<p>प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 15.00 लाख की वृद्धि राज्य प्रशासनिक अकादमी, नैनीताल के विद्युत व्यय, गाड़ियों का अनुरक्षण तथा पेट्रोल आदि की खरीद तथा व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।</p>				
(12)	104 सतर्कता			
	06 सुराज, भ्रष्टाचार उन्मूल एवं जनसेवा विभाग			
	पूरक	5.00		
			3.49	3.49
	पुर्नो	(-)1.51		0.00
<p>दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 1.51 लाख के अभ्यर्पण का कारण निधि की आवश्यकता न होना सूचित किया गया।</p>				
(13)	105 विशेष जांच आयोग			
	03 राज्य आयोग और समितियां			
	मूल	40.12		
			45.83	29.80
	पूरक	5.71		(-)16.03
<p>प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 5.71 लाख की वृद्धि एकल सदस्यीय (के० आर० भाटी) जांच आयोग के वेतन, यात्रा व्ययों एवं चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।</p>				
(14)	106 सिविल रक्षा			
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	पूरक	41.20	41.20	6.61
				(-)34.59
(15)	03 स्थापना (25 प्रतिशत केन्द्र पोषित)			
	मूल	66.26		
			67.01	48.47
	पूरक	0.75		(-)18.54
<p>अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 0.75 लाख के प्रावधान का कारण मजदूरी के भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता का होना सूचित किया गया।</p>				

क्र.सं.	वर्षाधीन	कूल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(16)	107 हेमगाडस 03 सामान्य अधिवान	26,08.35	26,09.25	(-), 3,47.78
		0.90		
	प्राधान्य में अनुपूर्वक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 0.90 लाख की वृद्धि यात्रा व्यय एवं गणनीय सेवाओं हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
(17)	04 भारत सरकार द्वारा आर्थिक प्रतिपूर्ति किए जाने वाला व्यय (25 प्रतिशत)	5,98.80	6,07.30	3,68.89
		8.50		
	प्राधान्य में अनुपूर्वक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 8.50 लाख की वृद्धि विद्युत दाय, गार्डियाँ का अनुसंधान तथा पेट्रोल आदि की खरीद तथा चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
(18)	800 अन्य व्यय 01 केन्द्र आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं	0.08	2,61.55	1,42.29
		2,61.47		
	प्राधान्य में अनुपूर्वक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 2,61.47 लाख की वृद्धि हेमगाडस बल हेतु भारत सरकार से प्राप्त विशेष उन्नयन योजना हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
(19)	17 सूचना का अधिकार के अन्तर्गत प्रशिक्षण	5.00	5.00	0.24
(20)	2075 विविध सामान्य सेवाएं	2,00.00	2,00.00	1,37.03
	800 अन्य व्यय 10 आर्थिक एक/वीर एक/जीवन रक्षा मंडल से निर्धारित व्यक्तियों को एकमुहल प्रस्कार	2,00.00		
				(-), 62.97
(21)	2245 प्राकृतिक विपतियों के कारण राहत	1,65,66.72	1,65,66.72	1,29,72.00
	05 राज्य आपदा मंत्रालय निधि (90 प्रतिशत केन्द्र प्राप्ति)			
	101 आरक्षित निधियाँ एवं जमा लेखों में अन्तरण एस0डी0आर0एफ0			
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं	1,65,66.72		
				(-), 35,94.72

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)	
(22)	800 अन्य व्यय 13 आपदा राहत निधि से व्यय मूल	1,65,66.72	1,65,66.72	1,34,35.83	(-31,30.89
(23)	80 सामान्य 102 अन्य व्यय 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना मूल	50.00	13.72	13.72	0.00
	पुर्नि०	(-36.28			
	दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 36.28 लाख के अभ्यर्पण का कारण निधि का अप्रयुक्त रहना सूचित किया गया।				
(24)	800 अन्य व्यय 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना मूल	4,00.00	4,00.00	3,52.54	(-47.46
(25)	03 आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण मूल	50.00	0.00	0.00	0.00
	पुर्नि०	(-50.00			
(26)	06 जिला आपातकालीन परिचालन केन्द्रों का संचालन मूल	1,00.00	75.08	70.98	(-4.10
	पुर्नि०	(-24.92			
(27)	08 जनपद आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण मूल	92.22	28.66	32.76	(+4.10
	पुनर्वि०	(-63.56			

उपरोक्त क्रम सं० (25), (26) एवं (27) के शीर्षों के अन्तर्गत दिनांक 31 मार्च 2013 को अभ्यर्पण रिक्त पदों का न भरा जाना सूचित किया गया।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत/आधिक्य जहां परिलक्षित हुए हैं, के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)।

(v) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

(1) 2029 भू-राजस्व  
00





प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 1,00.96 लाख की वृद्धि कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण तथा प्रशिक्षण व्ययों की पूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(2)	<b>2075 विविध सामान्य सेवाएं</b>			
	00			
	800 अन्य व्यय			
	09 अन्य प्रकीर्ण प्रतिकर (पिथौरागढ़ में लेप्स पी.एल.ए.)			
	मूल	0.00		
	पूरक	0.00	0.00	1,15.65 (+)1,15.65
	पुनर्वि०	0.00		

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)।

राजस्व:

प्रभारित—

- (vii) ₹ 35.09 लाख की अन्तिम बचत में से मात्र ₹ 25.69 लाख अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित किए जा सके।
- (viii) ₹ 35.90 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2012 को ₹ 2.80 लाख के अनुपूरक विनियोग अनावश्यक सिद्ध हुए।
- (ix) अनुदान के राजस्व विनियोग प्रभाग के अन्तर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरन्तर बचत निम्नतः रही—

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत (₹ लाख में)
2007-08	97.16	76.79	20.37
2008-09	1,07.11	1,03.02	4.09
2009-10	1,24.91	1,24.17	0.74
2010-11	1,68.76	1,49.18	19.58
2011-12	1,71.88	1,34.06	37.82

- (x) बचत निम्न शीर्ष के अन्तर्गत परिलक्षित हुई:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
	<b>2070 अन्य प्रशासनिक सेवायें</b>			
	00			
	104 सर्तकता			
	05 लोक आयुक्त संगठन			
	मूल	2,30.44		
	पूरक	2.80	2,07.55	1,98.15 (-)9.40
	पुर्नि०	(-)25.69		

प्रावधान में अनुपूरक विनियोग द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 2.80 लाख की वृद्धि लोकायुक्त संगठन के अधिष्ठान व्ययों की पूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 25.69 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों के विभिन्न मदों में हुई बचत के कारण किए गए।





क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(5)	80 सामान्य			
	800 अन्य व्यय			
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं			
	मूल	15,00.00		
	पूरक	15,00.00	19,61.18	0.00
	पुर्नित	(-)10,38.82		

प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 15,00.00 लाख की वृद्धि वरूणावत पर्वत, उत्तरकाशी के उचार हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 10,38.82 लाख के अभ्यर्पण का कारण निधि का उपयोग न हो पाना सूचित किया गया। यह कार्य माह जनवरी 2012 तक पूर्ण किया जाना था परन्तु भारत सरकार के टॉस्क फोर्स के निर्णय के अनुसार यह कार्य की पूर्णता की अवधि माह दिसम्बर 2013 तक बढ़ा दी गई।

उपरोक्त क्रम सं० (1) से (4) के शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)।

(xv) आधिक्य निम्न शीर्ष के अन्तर्गत परिलक्षित हुआ:

#### 4059 लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय

60 अन्य भवन

051 निर्माण

03 तहसीलों के आवासीय/अनावासीय भवनों का निर्माण

मूल 3,00.00

8,00.00 10,46.27 +2,46.27

पूरक 5,00.00

प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 5,00.00 लाख की वृद्धि तहसीलों हेतु आवासीय/अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)।

अनुदान सं० 07 वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय तथा अन्य सेवाएं

मुख्य लेखाशीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) ( ₹ हजार में )
<b>राजस्व :</b>			
2030	स्टाम्प पंजीकरण		
2040	बिक्री, व्यापार आदि पर कर		
2045	वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क		
2047	अन्य राजकोषीय सेवाएं		
2048	ऋण घटाने या उसका परिहार करने के लिये विनियोजन		
2049	ब्याज अदायगियां		
2052	सचिवालय-सामान्य सेवायें		
2054	खजाना तथा लेखा प्रशासन		
2071	पेंशन तथा अन्य सेवा निवृत्ति हित लाभ		
3451	सचिवालय - आर्थिक सेवाएं		
3454	जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी		
3604	स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन		
<b>दत्तमत-</b>			
	मूल	26,29,00,34	
			26,42,36,21
			20,93,17,87
			(-)5,49,18,34
	पूरक	13,33,87	
	वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च, 2013)		5,79,30
<b>प्रभारित-</b>			
	मूल	21,86,99,88	
			22,81,07,88
			22,39,63,65
			(-)41,44,23
	पूरक	94,08,00	
	वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च, 2013)		00
<b>पूंजीगत:</b>			
4059	लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय		
4216	आवास पर पूंजीगत परिव्यय		
4515	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय		
6003	राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण		
6004	केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम		
6075	विविध सामान्य सेवायें हेतु कर्ज		
7610	सरकारी कर्मचारियों आदि को कर्ज		
7615	विविध उधार		

मुख्य लेखाशीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ हजार में)
<b>दत्तमत-</b>			
मूल	55,44,04		
		70,51,94	(-)20,60,21
पूरक	15,07,90		
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च, 2013)			8,55,62
<b>प्रभारित-</b>			
मूल	22,97,13,00		
		22,97,13,00	(-)8,09,75,94
पूरक	00		
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च, 2013)			00

### टिप्पणियाँ एवं टीकायें

#### राजस्व:

#### दत्तमत-

- ₹ 5,49,18.34 लाख की अन्तिम बचत में से मात्र ₹ 5,79.30 लाख अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित किए जा सके।
- ₹ 5,49,18.34 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2012 को प्राप्त अनुपूरक अनुदान ₹ 13,35.87 लाख अनावश्यक सिद्ध हुए।
- अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अन्तर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरन्तर बचत निम्नतः रही—  
(₹ लाख में)

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2007-08	12,13,64.62	11,07,48.78	1,06,15.84
2008-09	16,75,68.48	12,81,35.29	3,94,33.19
2009-10	19,67,13.73	15,48,16.85	4,18,96.88
2010-11	18,73,21.72	17,66,87.31	1,06,34.41
2011-12	22,99,67.64	17,19,58.01	5,80,09.63

- बचत (अन्य शीर्षों के आधिक्य से प्रतिसंतुलित हुई) मुख्यतः निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुई:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (₹ लाख में)
(1)	<b>2030</b> स्टाम्प पंजीकरण			
	01 स्टाम्प न्यायिक			
	102 स्टाम्पों की बिक्री पर व्यय			
	03 न्यायिक स्टाम्प			
	मूल	1,00.00	1,00.00	(-)89.00



क्र.सं.	विवरण	कूल अर्जदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य(+) बचत(-) (₹ लाख में)
(2)	02 स्टाफ् व्यतिक्रम 101 स्टाफ् की लागत 03 स्टाफ् अदावती स्टाफ्	10,00.00	10,00.00	(-),2,48.50
(3)	102 स्टाफ् की विक्री पर व्यय 03 स्टाफ् अदावती स्टाफ्	5,00.00	5,00.00	(-),44.38
(4)	03 व्यतिक्रम 001 निदेशन तथा प्रशासन 03 मुख्यालय	77.49	81.99	(-),13.66
(5)	04 जिला व्यय	4,52.77	5,00.77	(-),57.81
(6)	05 स्थानीय निकाय क्षेत्रों में स्टाफ् व्यतिक्रम क्षतिपूर्ति	5,00.00	5,00.00	(-),45.44
(7)	2040 विक्री, व्यापार आदि पर कर			
	001 निदेशन एवं प्रशासन 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुनर्निर्धारित योजनाएं	3,50.00	3,50.00	(-),1,01.00
(8)	03 आखिजान	5,84.34	5,84.34	(-),2,24.85
(9)	05 वाणिज्य कर सलाहकार समिति का आखिजान	15.90	15.90	(-),15.18
(10)	06 पंजीकृत व्यापारियों के लिए बीमा योजना	40.00	40.00	(-),5.99

प्राधान्य में अर्जपूर्क अर्जदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 48.00 लाख की वृद्धि आखिजान व्ययों के विभिन्न मदों की पूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।



क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(11)	101 संग्रहण प्रभार 03 वाणिज्य कर अधिष्ठान मूल	46,20.32	46,20.32	35,74.60 (-)10,45.72
(12)	800 अन्य व्यय 05 वैट के अन्तर्गत वापसी मूल	8,00.00	8,00.00	3,90.13 (-)4,09.87
(13)	<b>2045</b> वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क 00 101 संग्रहण प्रभार—मनोरंजन कर 03 मनोरंजन कर से सम्बन्धित अधिष्ठान मूल	5,01.07	7,01.07	5,75.59 (-)1,25.48
	पूरक	2,00.00		
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 2,00.00 लाख की वृद्धि अधिष्ठान व्ययों की पूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
(14)	103 संग्रहण प्रभार—विद्युत शुल्क 03 विद्युत सुरक्षा निदेशालय मूल	1,05.60	1,06.65	91.23 (-)15.42
	पूरक	1.05		
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 1.05 लाख की वृद्धि अधिष्ठान व्ययों के विभिन्न मदों की पूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
(15)	<b>2047</b> अन्य राजकोषीय सेवायें 00 103 अल्प बचतों की अभिवृद्धि 03 राज्य अल्प बचत संगठन मूल	4,20.03	4,20.03	2,97.62 (-)1,22.41
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2010-11 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन 97,117 भी सम्मिलित है। उक्त शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम बचत का कारण लगभग 30 प्रतिशत पदों के रिक्त रहने के कारण वेतन एवं भत्तों में बचत का होना सूचित किया गया।			
(16)	800 अन्य व्यय 03 भारतीय भागिता अधिनियम, सोसाइटीज, चिट फण्डस अधिनियम का क्रियान्वयन अधिष्ठान मूल	1,06.58	1,06.58	81.19 (-)25.39

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(17)	2052 सचिवालय-सामान्य सेवायें 00 090 सचिवालय 03 सचिवालय अधिष्ठान			
	मूल	61,40.61		
	पूरक	1,05.50	61,35.64	61,38.53 (+)2.89
	पुनर्वि०	(-1,10.47		
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 1,05.50 लाख की वृद्धि सचिवालय स्थापना के अधिष्ठान व्ययों की पूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई। दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 1,10.47 लाख के अभ्यर्पण का कारण अधिष्ठान व्ययों में बचत का होना सूचित किया गया।			
(18)	04 सचिवालय प्रलेखीकरण केन्द्र एवं पुस्तकालय का विकास एवं विस्तार			
	मूल	4.00		
			1.92	1.92 0.00
	पुनर्वि०	(-2.08		
	दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 2.08 लाख के अभ्यर्पण कार्यालय व्ययों में बचत के कारण किए गए।			
(19)	05 रेसिडेन्ट कमिश्नर नई दिल्ली अधिष्ठान			
	मूल	1,14.98		
			1,33.98	1,06.99 (-)26.99
	पूरक	19.00		
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2010-11 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन के 79,200 भी सम्मिलित है। अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 19.00 लाख के अतिरिक्त प्रावधान यात्रा व्यय, किराया उपकर एवं कर के भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण प्राप्त किए गए।			
(20)	06 पुनर्गठन आयुक्त-लखनऊ			
	मूल	24.61	24.61	15.86 (-)8.75
(21)	08 राष्ट्रीय उत्सव एवं राजकीय भोज पर व्यय			
	मूल	20.00		
			13.44	13.44 0.00
	पुनर्वि०	(-6.56		
	दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 6.56 लाख के अभ्यर्पण का कारण अन्य व्यय में बचत का होना सूचित किया गया।			
(22)	11 सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबन्धन संस्थान का अधिष्ठान			
	मूल	38.14		
			8.83	8.83 0.00
	पुनर्वि०	(-29.31		
	दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 29.31 लाख के अभ्यर्पण का कारण अधिष्ठान व्ययों के विभिन्न मदों में बचत का होना सूचित किया गया।			

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)	
(23)	12 विधायी प्रकोष्ठ का अधिष्ठान मूल	31.15	31.15	24.83	(-)6.32
(24)	13 सभा सचिवों के निजी स्टाफ हेतु मानदेय मूल	26.00	8.96	8.96	0.00
	पुनर्वि०	(-)17.04			
	दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 17.04 लाख के अभ्यर्पण मानदेय में बचत के कारण किए गए।				
(25)	15 राज्य विधि आयोग मूल	65.36	65.37	43.60	(-)21.77
	पूरक	0.01			
(26)	091 संलग्न कार्यालय				
	03 राज्य सम्पति विभाग मूल	18,88.50	20,68.63	20,68.63	0.00
	पूरक	2,58.00			
	पुनर्वि०	(-)77.87			
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 2,58.00 लाख की वृद्धि राज्य संपति विभाग के अधिष्ठान व्ययों की पूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।				
	दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 77.87 लाख के अभ्यर्पण का कारण अधिष्ठान के विभिन्न मदों में बचत का होना सूचित किया गया।				
(27)	04 बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय मूल	63.67	63.70	35.65	(-)28.05
	पूरक	0.03			
	अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 0.03 लाख का टोकन प्रावधान बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय के वेतन, महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते के भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण किए गए।				
(28)	05 जनपदों में विभिन्न विभागों के आवश्यकता से अधिक स्टाफ हेतु एकमुश्त व्यवस्था मूल	3,05.10	3,05.10	58.24	(-)2,46.86
(29)	07 कार्यालय निरीक्षणालय मूल	37.55	37.55	29.21	(-)8.34
(30)	09 संस्थागत वित्त प्रकोष्ठ की स्थापना मूल	11.32	22.89	21.04	(-)1.85
	पूरक	11.57			

प्राधान्य में अनुपूर्वक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 11.57 लाख की वृद्धि बेतन, महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्तों के भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

कम  
लेखाशीर्ष  
केल अनुदान  
वास्तविक व्यय  
आधिक्य (+)  
बचत (-)  
(₹ लाख में)

क्रम	लेखाशीर्ष	केल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(31)	10 विन आयोग निदेशालय	59.67	59.67	(-)/27.82
(32)	11 तकनीकी सहायता प्रकोष्ठ	11.00	11.00	(-)/5.80
(33)	12 विन आडिट प्रकोष्ठ की स्थापना	46.51	46.52	(-)/29.08
(34)	13 कार्यक्रम नियन्त्रण प्रकोष्ठ	8.12	8.12	(-)/4.36
(35)	800 अन्य व्यय	2,00.00	2,00.00	(-)/1,23.03
	04 सरकारी कर्मचारियों को मविष्य निधि जमा बीमा योजना के साक्ष्य भुगतान		76.97	
	मूल			
	2054 खजाना तथा लेखा प्रशासन			
	00			
	095 लेखा तथा खजाना निदेशालय			
	01 कन्द्रीय आयोजनागत/कन्द द्वारा पुरोनिर्धारित योजना	7,37.72	7,37.72	(-)/7,19.49
(37)	03 कोषागार एवं वित्त सेवाएं अधिष्ठान	2,39.55	2,39.55	(-)/48.16
(38)	05 लेखा एवं हकदारों अधिष्ठान	2,43.02	2,43.05	(-)/64.57
	मूल			
	03 कोषागार अधिष्ठान			
	097 खजाना स्थापना			
(39)		35,47.43	35,54.93	(-)/5,94.22
	मूल			
	पूर्वक	7.50	7.50	

वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 का आपत्तिगत बही उचल का समायाजन 57,343 भी सम्मिलित है।



प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 7.50 लाख की वृद्धि कोषागार अधिष्ठान के किराया, उपकर एवं करों के भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)	
(40)	04 उत्तराखण्ड निवास नई दिल्ली में वेतन एवं भुगतान कार्यालय मूल	43.21	43.21	22.29	(-)20.92
(41)	098 स्थानीय निधि लेखा परीक्षा 03 स्थानीय निधि सम्प्रेक्षा मूल	3,58.49	3,58.49	2,69.15	(-)89.34
(42)	04 सहकारी एवं पंचायतों लेखा परीक्षा मूल	6,41.33	6,41.33	5,01.35	(-)1,39.98
(43)	05 जिला पंचायतों और क्षेत्र समितियों का लेखा संगठन मूल	2,03.79	2,03.79	89.50	(-)1,14.29
(44)	<b>2071 पेंशन तथा अन्य सेवा निवृत्ति हित लाभ</b> 01 सिविल 102 पेंशन का सांराशीकृत मूल्य 03 पेंशनों की राशिमूल्य (कम्युटेड वैल्यु ऑफ पेंशन) मूल	2,50,00.01	2,50,00.01	1,46,23.25	(-)1,03,76.76
	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 66,30.00 लाख की कमी के आदेश अभ्यर्पण एवं पुनर्विनियोजन आदेशों को प्राप्त किए जाने की निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त हुए।				
(45)	104 उपादान 03 उपादान मूल	3,10,00.01	3,10,00.01	1,88,18.20	(-)1,21,81.81
	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 1,21,00.00 लाख की कमी के आदेश अभ्यर्पण एवं पुनर्विनियोजन आदेशों को प्राप्त किए जाने की निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त हुए।				
(46)	105 परिवार पेंशन 03 परिवार पेंशन मूल	1,50,00.01	1,50,00.01	1,08,47.01	(-)41,53.00
	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 41,53.00 लाख की कमी के आदेश अभ्यर्पण एवं पुनर्विनियोजन आदेशों को प्राप्त किए जाने की निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त हुए।				
(47)	109 राज्य में सहायता प्राप्त शिक्षा संस्थाओं के कर्मचारियों को पेंशन 04 सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों के शिक्षण/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को सेवा नैवृत्तिक सुविधाएं मूल	40,00.00	40,00.00	8,39.54	(-)31,60.46
	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 15,00.00 लाख की कमी के आदेश अभ्यर्पण एवं पुनर्विनियोजन आदेशों को प्राप्त किए जाने की निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त हुए।				



क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)	
(48)	115 सेवानिवृत्ति/सेवामुक्ति पर अवकाश नकदीकरण लाभ 03 सेवा निवृत्ति/सेवामुक्ति पर अवकाश नकदीकरण लाभ				
	मूल	1,25,30.03	1,25,30.03	1,10,13.70	(-)15,16.33
(49)	<b>3451</b> सचिवालय आर्थिक सेवाएं 00 092 अन्य कार्यालय 03 नियोजन अधिष्ठान				
	मूल	3,29.50			
	पुनर्वि०	(-)76.72	2,52.78	2,48.53	(-)4.25
(50)	04 आयोजनागत विकास कार्यक्रमों का मूल्यांकन				
	मूल	2,00.00			
	पुनर्वि०	(-)1,71.58	28.42	28.42	0.00
उपरोक्त क्रम सं० (49) एवं (50) के शीर्षों के अन्तर्गत दिनांक 31 मार्च 2013 को अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों के विभिन्न मदों में हुई बचत के कारण किए गए।					
(51)	05 सीमान्त क्षेत्र विकास प्राधिकरण की स्थापना				
	मूल	10.00			
	पुनर्वि०	(-)10.00	0.00	0.00	0.00
दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 10.00 लाख के अभ्यर्पण का कारण देयों के भुगतानोपरान्त हुई बचत सूचित किया गया।					
(52)	07 परियोजना विकास निधि का गठन				
	मूल	50.00	50.00	38.00	(-)12.00
(53)	09 पुस्तकालय सुदृढीकरण योजना				
	मूल	5.00			
	पुनर्वि०	(-)3.92	1.08	0.77	(-)0.31
उपरोक्त क्रम सं० (51) एवं (53) के शीर्षों के अन्तर्गत दिनांक 31 मार्च 2013 को अभ्यर्पण किए जाने के कोई स्पष्ट कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)।					
(54)	<b>3454</b> जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी 01 जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी 800 अन्य व्यय				
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं				
	मूल	1,91.54			
	पूरक	4,70.73	6,62.27	21.52	(-)6,40.75

प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 4,70.73 लाख की वृद्धि जनगणना 2011 के अधिष्ठान व्ययों के विभिन्न मदों की पूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(55)	02 सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी 001 निदेशन तथा प्रशासन 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना मूल	2,65.01	2,65.01	1,94.59 (-)70.42
(56)	03 अर्थ एवं संख्या अधिष्ठान मूल	12,36.83	12,36.83	9,35.80 (-)3,01.03
(57)	04 बीस सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन अधिष्ठान मूल	68.09	68.09	46.10 (-)21.99
(58)	800 अन्य व्यय 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं मूल	3,45.84	3,54.21	3,30.93 (-)23.28
	पूरक	8.37		
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 8.37 लाख की वृद्धि बेसिक स्टैटिस्टिक्स फॉर लोकल एरिया डेवलपमेन्ट के मानदेय, प्रकाशन एवं प्रशिक्षण व्ययों की पूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
(59)	3604 स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन 01 नगरीय स्थानीय निकाय 191 नगर निगम 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं मूल	13,43.31	13,43.31	43.69 (-)12,99.62
(60)	192 नगर पालिका/नगर निकाय 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं मूल	22,76.57	22,76.57	67.42 (-)22,09.15
(61)	193 नगर पंचायतें/नोटीफाइड एरिया/कमेटी आदि 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं मूल	5,65.61	5,65.61	16.91 (-)5,48.70
(62)	04 राज्य वित्त आयोग द्वारा संस्तुत अन्य अनुदान मूल	56,39.00	56,39.00	49,93.90 (-)6,45.10
(63)	02 पंचायती राज संस्थाएं 196 जिला पंचायतें/परिषदें 01 राज्य वित्त आयोग द्वारा संस्तुत अन्य अनुदान मूल	25,84.91	25,84.91	62.98 (-)25,21.93

क्रम लेखाशीर्ष  
 स्रोत  
 (+) आधिक्य  
 (-) घटाव  
 (₹ लाख में)

क्रम	लेखाशीर्ष	केल अर्जदान	वास्तविक व्यय	अधिक्य (+)	घटाव (-)
(64)	04 राज्य वित्त आयोग द्वारा संसूचित अन्य अर्जदान	6,63.00	1,11.04	(-)	5,51.96
(65)	197 विकास खण्ड स्तरीय पंचायत	38,77.37	1,03.07	(-)	37,74.30
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरानिधानित योजनाएं	38,77.37	1,03.07		
(66)	03 राज्य वित्त आयोग द्वारा संसूचित कर्ष से समनुद्देशन	90,47.15	46,39.90	(-)	44,07.25
	03 राज्य वित्त आयोग द्वारा संसूचित कर्ष से समनुद्देशन	90,47.15	46,39.90		
(67)	198 ग्राम पंचायत	64,62.29	1,71.79	(-)	62,90.50
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरानिधानित योजनाएं	64,62.29	1,71.79		
(68)	03 राज्य वित्त आयोग द्वारा संसूचित कर्ष से समनुद्देशन	1,93,13.16	63,49.90	(-)	1,29,63.26
	03 राज्य वित्त आयोग द्वारा संसूचित कर्ष से समनुद्देशन	1,93,13.16	63,49.90		

(v) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:  
 उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम घटाव/आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)।

क्रम	लेखाशीर्ष	केल अर्जदान	वास्तविक व्यय	अधिक्य (+)	घटाव (-)
(1)	2030 स्टाफ पंजीकरण	1.00	1.00		
	01 स्टाफ स्यांडिकेट	1.00	1.00		
	800 अन्य व्यय				
	03 निवेश प्रमाण-पत्र पर देय स्टाफ शैल्ड का अधिवक्ता कल्याण निधि समिति को संक्रमण				1.00
(2)	2040 शिक्षा, व्यापार आदि पर कर				
	800 अन्य व्यय				
	04 गान्ना के कर के सापेक्ष शककर निधि को अन्तरण				2,50.00
	मूल	2,50.00	2,50.00		
	मूल	2,50.00	0.00	(-)	2,50.00

वर्ष 2011-12 के दौरान भी उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।

क्रम	लेखाशीर्ष	केल अर्जदान	वास्तविक व्यय	अधिक्य (+)	घटाव (-)
(3)	2045 वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शैल्ड				
	103 संयोजन प्रभार-विहित शैल्ड				
	04 ऊर्जा संरक्षण निधि हेतु अर्जदान				2,00.00
	मूल	2,00.00	2,00.00		
	मूल	2,00.00	0.00	(-)	2,00.00

वर्ष 2011-12 के दौरान भी उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।



क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(3)	<b>2071</b> पेंशन तथा अन्य सेवा निवृत्ति हित लाभ 01 सिविल			
	101 अधिवर्षिता और सेवा निवृत्ति भत्ते			
	03 अधिवर्षिता और सेवा निवृत्ति भत्ते			
	मूल	4,30,00.02	4,30,00.02	4,66,64.48 (+)36,64.46
(4)	106 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के संबन्ध में पेंशन सम्बन्धी प्रभार 03 पेंशन तथा उपादान के अंशदान			
	मूल	70.01	70.01	5,96.50 (+)5,26.49
(5)	109 राज्य में सहायता प्राप्त शिक्षा संस्थाओं के कर्मचारियों को पेंशन 03 सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को सुविधाएं			
	मूल	40,00.01	40,00.01	1,01,55.86 (+)61,55.85
	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 60,00.00 लाख की वृद्धि के आदेश अभ्यर्पण एवं पुनर्विनियोजन आदेशों को प्राप्त किए जाने की निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त हुए।			
(6)	05 राज्य विश्वविद्यालयों के शिक्षकों/शिक्षणेत्र कर्मचारियों को पेंशन			
	मूल	30,00.00	30,00.00	47,37.45 (+)17,37.45
	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 10,00.00 लाख की वृद्धि के आदेश अभ्यर्पण एवं पुनर्विनियोजन आदेशों को प्राप्त किए जाने की निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त हुए।			
(7)	06 बेसिक शिक्षा के शिक्षकों/शिक्षणेत्र कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति लाभ			
	मूल	50,00.00	50,00.00	1,59,08.18 (+)1,09,08.18
	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 10,00.00 लाख की वृद्धि के आदेश अभ्यर्पण एवं पुनर्विनियोजन आदेशों को प्राप्त किए जाने की निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त हुए।			
(8)	111 विधायकों को पेंशन—राज्य विधान मण्डल के सदस्य 03 विधायकों को पेंशन—राज्य विधान मण्डल के सदस्य			
	मूल	1,00.01	1,00.01	1,86.60 (+)86.59
(9)	800 अन्य व्यय 04 राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारियों एवं अधिकारियों को विशेष चिकित्सा उपचार हेतु सहायता			
	मूल	5,00.00	5,00.00	21,77.73 (+)16,77.73
	पुनर्विनियोजन द्वारा ₹ 15,00.00 लाख की वृद्धि के आदेश अभ्यर्पण एवं पुनर्विनियोजन आदेशों को प्राप्त किए जाने की निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त हुए।			
(10)	<b>3604</b> स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन 01 नगरीय स्थानीय निकाय			
	191 नगर निगम			
	03 राज्य वित्त आयोग द्वारा संस्तुत करों से समानुदेशन			
	मूल	63,49.87	63,49.87	64,23.87 (+)74.00



क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(11)	193 नगर पंचायतें/नोटीफाइड एरिया/कमेटी आदि 03 राज्य वित्त आयोग द्वारा संस्तुत करों से समनुदेशन			
	मूल	38,09.92	38,09.92	38,42.01 (+)32.09
	उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)।			

राजस्व:  
प्रभारित—

- (vii) ₹ 41,44.23 लाख की अन्तिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।
- (viii) ₹ 41,44.23 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2012 को प्राप्त ₹ 94,08.00 लाख के अनुपूरक विनियोग अनावश्यक सिद्ध हुए।
- (ix) अनुदान के राजस्व प्रभारित प्रभाग के अन्तर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरन्तर बचत निम्नतः रही—  
(₹ लाख में)

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2007-08	12,99,42.48	11,90,63.43	1,08,79.05
2008-09	13,47,83.12	12,42,96.79	1,04,86.33
2009-10	15,34,90.90	13,89,85.44	1,45,05.46
2010-11	17,46,40.05	16,05,65.17	1,40,74.88
2011-12	20,12,98.93	17,95,03.78	2,17,95.15

- (x) बचत (अन्य शीर्षों के आधिक्य से प्रतिसंतुलित हुई) मुख्यतः निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुई:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(1)	2049 ब्याज अदायगियां 01 आन्तरिक ऋणों पर ब्याज 101 बाजार कर्जों पर ब्याज 13 राज्य विकास ऋण, जो 2002-2003 में प्राप्त हुआ			
	मूल	62,62.20	62,62.20	60,44.75 (-)2,17.45
(2)	16 राज्य विकास ऋण, जो 2005-06 में प्राप्त हुआ			
	मूल	43,86.47	43,86.47	45,13.13 (+)1,26.66
(3)	17 राज्य विकास ऋण, जो 2006-07 में प्राप्त हुआ			
	मूल	30,38.97	30,38.97	21,43.44 (-)8,95.53
(4)	18 राज्य विकास ऋण, जो 2007-08 में प्राप्त हुआ			
	मूल	67,89.40	67,89.40	64,42.34 (-)3,47.06
(5)	22 राज्य विकास ऋण, जो 2011-12 में प्राप्त हुआ			
	मूल	1,21,58.00	1,21,58.00	1,01,44.37 (-)20,13.63

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(6)	115 भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम पर ब्याज 01 अर्थोपाय अग्रिम पर ब्याज मूल	5,00.00	5,00.00	0.58 (-)4,99.42
(7)	123 राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियों पर ब्याज 03 अल्प बचत संगठनों से राज्य विकास हेतु ऋण पर ब्याज मूल	7,30,00.00	7,30,00.00	6,27,28.14 (-)1,02,71.86
(8)	200 अन्य आन्तरिक ऋणों पर ब्याज 03 राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम से प्राप्त ऋण पर ब्याज मूल	4,00.00	4,00.00	1,49.42 (-)2,50.58
(9)	07 नाबार्ड से प्राप्त ऋण तथा अन्य पर ब्याज मूल	1,25,00.00	1,25,00.00	83,07.62 (-)41,92.38
(10)	12 आर०ई०सी० से प्राप्त ऋण पर ब्याज मूल	10,00.00	10,00.00	8,41.46 (-)1,58.54
(11)	305 ऋण प्रबन्ध 03 ऋण प्रबन्ध पर व्यय मूल	5,00.00	5,00.00	1,95.48 (-)3,04.52
(12)	03 अल्प बचतों, भविष्य निधियों आदि पर ब्याज 104 राज्य भविष्य निधियों पर ब्याज 04 अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के भविष्य निधि पर ब्याज मूल	4,00.00	4,00.00	1,75.09 (-)2,24.91
(13)	04 केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिमों पर ब्याज 101 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की योजनागत योजनाओं के लिए कर्जों पर ब्याज 03 उ०प्र० पुर्नगठन अधिनियम 2000 के फलस्वरूप केन्द्र सरकार के ऋणों तथा उसके बाद के ऋण पर समानुपातिक ब्याज मूल	50,00.00	50,00.00	39,10.12 (-)10,89.88
(14)	60 अन्य दायित्वों पर ब्याज 101 जमाओं पर ब्याज 03 कर्मचारियों की भविष्य निधि पर ब्याज (ट्रेजरी पी.एल.ए. में) अवशेष मूल	70,00.00	1,64,08.00	1,42,08.76 (-)21,99.24
	पूरक	94,08.00		

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(15)	<b>2052 सचिवालय-सामान्य सेवायें</b>			
	00			
	800 अन्य व्यय			
	06 मा० न्यायालयों द्वारा की गई डिक्री से सम्बन्धित धनराशि			
	मूल	2,00.00	2,00.00	90.40 (-)1,09.60

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)।

(xi) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

(1)	<b>2048 ऋण घटाने या उसका परिहार करने के लिए विनियोजन</b>			
	00			
	797 आरक्षित निधियों तथा जमा लेखों को/से अन्तरण			
	04 राज्य सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों की संहतऋण शोधन निधि का अन्तरण			
	मूल	10,00.00	10,00.00	0.00 (-)10,00.00
	उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत वर्ष 2009-10, 2010-11 एवं 2011-12 के दौरान भी सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			
(2)	<b>2049 ब्याज अदायगियां</b>			
	03 अल्प बचतों, भविष्य निधियों आदि पर ब्याज			
	104 राज्य भविष्य निधियों पर ब्याज			
	05 अंशदायी भविष्य निधियों पर ब्याज			
	मूल	3,00.00	3,00.00	0.00 (-)3,00.00
	उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत वर्ष 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11 एवं 2011-12 के दौरान भी सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			
(3)	06 अंशदायी भविष्य पेंशन निधि पर ब्याज			
	मूल	3,00.00	3,00.00	0.00 (-)3,00.00
	वर्ष 2004-05 से 2011-12 तक उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			
(4)	108 बीमा तथा पेंशन निधि पर ब्याज			
	03 कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना पर ब्याज			
	मूल	3,00.00	3,00.00	0.00 (-)3,00.00
	उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत वर्ष 2011-12 के दौरान भी सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			
(5)	60 अन्य दायित्वों पर ब्याज			
	701 विविध			
	03 मृत्यु एवं सेवा निवृत्ति अनुतोषिक के देर से अदायगी पर ब्याज			
	मूल	5.00	5.00	0.00 (-)5.00
	उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत वर्ष 2011-12 के दौरान भी सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			



क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)	
(6)	06 पुस्तकालय विकास निधि जमा पर ब्याज मूल	20.00	20.00	0.00	(-)20.00
उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)।					
(xii) आधिक्य निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुए:					
(1)	<b>2049 ब्याज अदायगियां</b>				
	01 आन्तरिक ऋणों पर ब्याज				
	101 बाजार कर्जों पर ब्याज				
	07 राज्य विकास ऋण				
	मूल	0.00			
	पूरक	0.00	0.00	23,52.77	(+)23,52.77
	पुनर्वि०	0.00			
(2)	09 राज्य विकास ऋण 2009				
	मूल	0.00			
	पूरक	0.00	0.00	23,57.75	(+)23,57.75
	पुनर्वि०	0.00			
(3)	10 राज्य विकास ऋण 2010				
	मूल	0.00			
	पूरक	0.00	0.00	64,15.68	(+)64,15.68
	पुनर्वि०	0.00			
(4)	11 राज्य विकास ऋण, 2011				
	मूल	0.00			
	पूरक	0.00	0.00	22,05.90	(+)22,05.90
	पुनर्वि०	0.00			
(5)	12 राज्य विकास ऋण 2001-02				
	मूल	0.00			
	पूरक	0.00	0.00	28.96	(+)28.96
	पुनर्वि०	0.00			
(6)	14 राज्य विकास ऋण 2003-04				
	मूल	84,46.46	84,46.46	87,41.94	(+)2,95.48
(7)	15 राज्य विकास ऋण 2004-05				
	मूल	19,04.03	19,04.03	32,50.49	(+)13,46.46



क्रम	लेखाशीर्ष	कूल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(1)	4059 लोक निर्माण कार्य पर पूर्वीगत परिव्यय			
	80 सामान्य			
	800 अन्य भवन			
	07 राज्य योजना आयोग/योजना निदेशालय के भवनों का निर्माण	20,00.00	20,00.00	
	मूल			
			10,69.48	(-)9,30.52

पूर्वीगत: दलगत-

(xviii) ₹ 20,60.21 लाख की अन्तिम बचत में से मात्र ₹ 8,55.62 लाख अभ्यर्ण हेतु प्रत्याशित किए जा सके।

(xiv) ₹ 20,60.21 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2012 को प्राप्त ₹ 15,07.90 लाख के अनुपूर्वक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए।

(xv) अनुदान के पूर्वीगत दलगत प्रमाण के अन्तर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरन्तर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बचत प्राप्ति	व्यय	बचत
2007-08	1,52,60.01	1,28,54.32	24,05.69
2008-09	1,56,21.75	1,11,09.86	45,11.89
2009-10	1,50,50.21	99,26.68	51,23.53
2010-11	67,09.70	58,31.75	8,77.95
2011-12	1,50,56.96	78,14.40	72,42.56

(xvi) बचत (अन्य शीर्षों के आधिक्य से प्रतिशुद्धित हुई) मुख्यतः निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिवर्धित हुई:

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम आधिक्य के कारण संचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)।

क्रम	लेखाशीर्ष	कूल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(8)	20 राज्य विकास ऋण, जो 2009-10 में प्राप्त हुआ	46,72.00	46,72.00	
(9)	21 राज्य विकास ऋण, जो 2010-11 में प्राप्त हुआ	84,08.60	84,08.60	
(10)	200 अन्य आन्तरिक ऋणों पर ब्याज	19,00.00	19,00.00	
	11 उत्तर प्रदेश राज्य वि०प० के विभाजन के फलस्वरूप प्राप्त ऋण दायित्वों पर ब्याज (पावर बॉन्ड)		20,66.35	(+)1,66.35
(11)	03 अन्य बचतों, शीर्ष निधियाँ आदि पर ब्याज			
	104 राज्य शीर्ष निधियों पर ब्याज			
	03 शीर्ष निधि			
	मूल			
		3,60,00.00	3,60,00.00	
			3,99,86.28	(+)39,86.28

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)	
(2)	09 वाणिज्य कर विभाग के आवासीय/अनावासीय भवन निर्माण मूल	2,50.01	8,00.01	6,94.30	(-)1,05.71
	पूरक	5,50.00			
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 5,50.00 लाख की वृद्धि वाणिज्य विभाग के आवासीय/अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।				
(3)	11 स्टाम्प एवं पंजीकरण के भवनों का निर्माण मूल	50.00	50.00	1.06	(-)48.94
(4)	13 वित्त प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान मूल	1,50.00	1,50.00	18.62	(-)1,31.38
(5)	<b>4216 आवास पर पूंजीगत परिव्यय</b> 02 शहरी आवास 800 अन्य भवन 03 राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा आवासीय/अनावासीय भवन निर्माण मूल	3,00.00			
	पूरक	1,00.00	3,80.08	3,80.08	0.00
	पुनर्वि०	(-)19.92			
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 1,00.00 लाख की वृद्धि राज्य सम्पत्ति विभाग के आवासीय/अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।				
(6)	04 उत्तराखण्ड निवास नई दिल्ली का विस्तार, जीर्णोद्धार आदि मूल	50.00			
	पूरक	50.00	98.99	98.99	0.00
	पुनर्वि०	(-)1.01			
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 50.00 लाख की वृद्धि उत्तराखण्ड निवास नई दिल्ली का विस्तार/पुनरोद्धार हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।				
(7)	11 मसूरी में राज्य अतिथि गृह हेतु राधा भवन इस्टेट का अधिग्रहण मूल	1,00.00			
	पुनर्वि०	(-)1,00.00	0.00	0.00	0.00
(8)	12 मुम्बई में उत्तराखण्ड भवन एवं इम्पोरियम की स्थापना मूल	1,00.00			
	पुनर्वि०	(-)14.58	85.42	85.42	0.00
(9)	13 प्रमुख सचिवों के आवासीय भवनों का निर्माण मूल	1,00.00			
	पुनर्वि०	(-)1,00.00	0.00	0.00	0.00

क्रम सं०	लेखाशीर्षक	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(10)	14 उत्तराखण्ड विवास (नई दिल्ली) का खर्चीकरण के पश्चात नवीन भवन का निर्माण	मूल 1,00.00	0.00	0.00
		पुनर्वित्त (-),1,00.00	0.00	0.00
(11)	15 राज्य अतिथि गृह मैनीजल का जीएनएचआर	मूल 50.00	17.22	0.00
		पुनर्वित्त (-),32.78	17.22	0.00
(12)	16 रुद्रप्रयाग एवं हरिद्वार में राज्य अतिथि गृहों का निर्माण	पूरक 5,00.00	12.67	0.00
		पुनर्वित्त (-),4,87.33	12.67	0.00
(13)	7610 सरकारी कर्मचारियों आदि को कर्ज	201 भवन निर्माण अभियम 03 आखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को निर्माण/मरम्मत के लिए अभियम	मूल 50.00	(-),47.50
		04 राज्य कर्मचारियों को भवन निर्माण/मरम्मत हेतु अभियम	मूल 1,00.00	(-),1.51
		202 मोटर वाहन क्रय करने के लिए अभियम	मूल 10.00	(-),8.20
		03 मोटर वाहन क्रय करने हेतु अभियम	मूल 10.00	(-),8.20
(14)	7615 विविध खर्च	200 अन्य कर्ज 01 विधायकों को आवास हेतु ऋण	मूल 50.00	(-),6.00
			44.00	(-),6.00

(अगस्त 2013)।

उपरोक्त शीर्षक के अन्तर्गत अन्तिम बचत जहाँ पर परिलक्षित हुए हैं, के कारण सूचित नहीं किए गए

(xvii) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कूल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(1)	<b>4059</b> लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय			
	80 सामान्य			
	800 अन्य भवन			
	03 स्टाम्प एवं पंजीकरण के भवन निर्माण (चालू कार्य)			
	मूल	50.00	50.00	0.00
				(-)50.00
(2)	<b>7615</b> विविध उधार			
	00			
	200 अन्य कर्ज			
	02 विधायकों हेतु वाहन क्रय के लिए ऋण			
	मूल	10.00	10.00	0.00
				(-)10.00

वर्ष 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11 एवं 2011-12 के दौरान भी उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)।

(xviii) आधिक्य निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुए:

(1)	<b>4059</b> लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय			
	80 सामान्य			
	800 अन्य भवन			
	05 वाणिज्य कर/कम्पोजिट चौकी का निर्माण			
	मूल	1,00.00	1,00.00	1,41.59
				(+)41.59
(2)	06 कोषागार/उपकोषागार के निर्माण			
	मूल	24.00	24.00	1,17.61
				(+)93.61

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)।

पूंजीगत:  
प्रभारित—

(xix) ₹ 8,09,75.94 लाख की अन्तिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।

(xx) बचत निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुई:



क्रम	लेखाशीर्ष	केल विनियोग	वार्षिक व्यय	आधिक्य (+)	घटाव (-)	₹ लाख में
(1)	6003 राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण					
	00					
	101 बजट कर्ज					
	03 ब्याज बजट कर्ज का भुगतान	9,60,00.00	9,49,87.33			(-)/10,12.67
(2)	105 नाबार्ड से कर्ज					
	03 नाबार्ड को ऋण वापसी	1,80,00.00	1,71,35.42			(-)/8,64.58
(3)	108 राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से कर्ज					
	04 राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम का भुगतान	14,00.00	3,74.51			(-)/10,25.49
(4)	110 भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अभिेन					
	03 अर्थोपाय अभिेन का प्रतिदान	8,00,00.00	45,83.78			(-)/7,54,16.22
(5)	111 कन्द्रीय सरकार की राष्ट्रीय अल्पबचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ					
	03 राष्ट्रीय अल्पबचत निधि के ऋण का भुगतान	2,50,00.00	2,34,10.20			(-)/15,89.80
(6)	6004 कन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अभिेन					
	01 अर्थोपाय कर्ज					
	800 अन्य कर्ज					
	03 पूर्वोक्त उभयों के विभाजन पर प्राप्त तथा अन्य भारत सरकार के ऋणों की वापसी	2,00.00	1,29.81			(-)/70.19
(1)	6003 राज्य सरकार का आन्तरिक ऋण					
	00					
	101 बजट कर्ज					
	04 ब्याज बजट कर्ज का भुगतान	50.00	50.00			(-)/50.00
(2)	109 अन्य संस्थाओं से कर्ज					
	01 अन्य संस्थाओं से कर्ज	50.00	50.00			(-)/50.00

(xxi) इष्टित जहाँ सम्पूर्ण प्रावधान अपर्युक्त रहे:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)	
(3)	800 अन्य कर्ज 03 अन्य ऋण मूल	20.00	20.00	0.00	(-)20.00
(4)	<b>6004 केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम</b> 04 केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजनागत स्कीमों के लिए 800 अन्य कर्ज 04 भूमि तथा जल संरक्षण मूल	30.00	30.00	0.00	(-)30.00
(5)	06 सड़कें तथा पुल मूल	2.00	2.00	0.00	(-)2.00
(6)	09 फसल कृषि कर्म मूल	20.00	20.00	0.00	(-)20.00
(7)	10 अन्य मूल	20.00	20.00	0.00	(-)20.00
(8)	07 1984-85 पूर्व के कर्ज 800 अन्य कर्ज 03 अन्य कर्ज मूल	5,00.00	5,00.00	0.00	(-)5,00.00

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)।

(xxii) आधिक्य निम्न शीर्ष के अन्तर्गत परिलक्षित हुआ:

<b>6004 केन्द्रीय सरकार से कर्ज तथा अग्रिम</b>				
02 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की योजनागत स्कीमों के लिए कर्ज				
101 एक मुश्त कर्ज तथा अग्रिम				
03 एक मुश्त उधार मूल	25,00.00	25,00.00	25,33.42	(+)33.42

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)।







प्राधान्य में अनुपूर्वक विनियोग द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 26.00 लाख की वृद्धि व्यावसायिक एवं विशेष सेवाओं के भुगतान तथा वित्तिकरसा व्यय प्रतिपूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत बचतों का अस्पष्टता नहीं किए जाने तथा अन्तिम बचत के कारण संचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)।

पूर्वगतः  
प्रसारित-

- (iv) ₹ 1,45.79 लाख की अन्तिम बचत में से काई भी राशि अस्पष्टता हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।
- (v) ₹ 1,45.79 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2012 को प्राप्त अनुपूर्वक विनियोग ₹ 8,50.00 लाख अधिक सिद्ध हुए।
- (vi) बचत निम्नतः परिलक्षित हुई:

क्रम	लेखाशीर्ष	कुल विनियोग	वार्षिक व्यय	आधिक्य (+)	बचत (-)	(₹ लाख में)
------	-----------	-------------	--------------	------------	---------	-------------

#### 4059 लोक निर्माण कार्य पर पूर्वीगत परिव्यय

60 अन्य भवन

051 निर्माण

03 लोक सेवा आयोग हेतु आवासीय/अनावासीय भवन निर्माण

मूल

1,50.01

10,00.01

8,54.22

(-), 1,45.79

पूर्वक

8,50.00

प्राधान्य में अनुपूर्वक विनियोग द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 8,50.00 लाख की वृद्धि लोक सेवा आयोग के लिए हरिद्वार में भवनों के निर्माण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत बचत का अस्पष्टता नहीं किए जाने तथा अन्तिम बचत के कारण संचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)।

## अनुदान सं० 10 पुलिस एवं जेल

मुख्य लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) ( ₹ हजार में )
-----------------	------------	---------------	-----------------------------------------

राजस्व :

2055 पुलिस  
2056 जेलें  
2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण

दत्तमत—

मूल	7,33,45,96			
		8,48,30,29	8,16,13,45	(-)32,16,84
पूरक	1,14,84,33			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च, 2013)				00

पूंजीगत :

4055 पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय  
4059 लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय

दत्तमत—

मूल	41,00,01			
		76,17,76	32,41,84	(-)43,75,92
पूरक	35,17,75			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च, 2013)				00

टिप्पणियां एवं टीकायें

राजस्व :

दत्तमत—

- (i) ₹ 32,16.84 लाख की अन्तिम बचत के विरुद्ध कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।
- (ii) ₹ 32,16.84 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2012 को प्राप्त ₹ 1,14,84.33 लाख के अनुपूरक अनुदान अधिक सिद्ध हुए।
- (iii) अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अन्तर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरन्तर बचत निम्नतः रही—

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	( ₹ लाख में ) बचत
2007-08	3,53,93.08	3,08,35.51	45,57.57
2008-09	4,83,76.51	4,32,65.70	51,10.81
2009-10	5,78,22.78	5,54,07.02	24,15.76
2010-11	6,29,83.96	6,20,59.13	9,24.83
2011-12	7,11,00.00	6,60,48.16	50,51.84

(iv) बचत (अन्य शीर्षों के आधिक्य से प्रतिसंतुलित हुई) मुख्यतः निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुई:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कूल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(1)	2055 पुलिस			
	00			
	001 निदेशन तथा प्रशासन			
	03 मुख्यालय			
	मूल	19,82.81		
	पूरक	8,27.60	28,18.41	26,59.15
	पुनर्वि०	8.00		(-),1,59.26
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2009-10 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के 50,000 भी सम्मिलित है। प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 25 मार्च 2013 को ₹ 8.00 लाख की वृद्धि कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर की खरीद हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
(2)	101 आपराधिक अन्वेषण और सतर्कता			
	04 सुरक्षा व्यवस्था			
	मूल	10,52.71		
	पूरक	98.00	11,50.71	11,15.87
				(-),34.84
(3)	06 भारत नेपाल सीमा पर अभिसूचना तंत्र का सुदृढीकरण			
	मूल	1,12.80		
	पूरक	14.00	1,26.80	1,19.06
				(-),7.74
(4)	104 विशेष पुलिस			
	03 राज्य शस्त्र कान्सटेबुलरी-मुख्य			
	मूल	1,06,71.55		
	पूरक	10,16.13	1,16,87.68	1,10,96.33
				(-),5,91.35
(5)	04 इण्डिया रिजर्व वाहिनी की स्थापना			
	मूल	42,95.57		
	पूरक	7,50.50	50,46.07	44,07.35
				(-),6,38.72
(6)	109 जिला पुलिस			
	03 जिला पुलिस (मुख्य)			
	मूल	3,74,60.51		
	पूरक	46,92.75	4,21,53.26	4,14,57.26
				(-),6,96.00

वास्तविक व्यय में वर्ष 2010-11 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के ₹ 38,685 भी सम्मिलित है।

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(7)	04 रेडियो अधिष्ठान			
	मूल	28,69.51		
	पूरक	6,92.20	35,53.71	34,06.64
	पुनर्वि०	(-)8.00		(-)1,47.07
	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 25 मार्च 2013 को ₹ 8.00 लाख की कमी अन्य व्ययों में बचत के कारण की गई।			
(8)	05 मोटर परिवहन अधिष्ठान			
	मूल	20,35.27		
	पूरक	3,60.57	23,95.84	23,39.57
				(-)56.27
(9)	110 ग्राम पुलिस			
	03 ग्राम पुलिस अधिष्ठान			
	मूल	2,30.50	2,30.50	2,18.09
				(-)12.41
(10)	111 रेलवे पुलिस			
	03 मुख्य			
	मूल	2,13.12		
	पूरक	19.38	2,32.50	2,27.20
				(-)5.30
(11)	113 पुलिस कार्मिकों का कल्याण			
	04 चिकित्सालय व्यय			
	मूल	1,89.38		
	पूरक	7.90	1,97.28	1,81.09
				(-)16.19
(12)	115 पुलिस बल का आधुनिकीकरण			
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं (50 प्रतिशत)			
	मूल	5,50.00		
	पूरक	8,05.39	13,55.39	6,21.07
				(-)7,34.32
(13)	116 न्यायालयिक विज्ञान			
	03 विधि विज्ञान प्रयोगशाला			
	मूल	1,08.31		
	पूरक	14.70	1,23.01	1,15.85
				(-)7.16
(14)	800 अन्य व्यय			
	03 अभियोजन अधिष्ठान			
	मूल	3,84.76	3,84.76	3,26.69
				(-)58.07
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2011-12 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 1,31,902 भी सम्मिलित है।			



क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(15)	04 अग्नि से संरक्षण एवं नियन्त्रण अधिष्ठान मूल 29,17.30 पूरक 4,80.00	33,97.30	33,24.26	(-)73.04
(16)	11 राज्य आन्दोलनकारी कल्याण परिषद् मूल 18.86	18.86	6.64	(-)12.22
(17)	16 राज्य स्तरीय पुलिस शिकायत प्राधिकरण अधिष्ठान मूल 1,13.00 पूरक 11.90	1,24.90	43.40	(-)81.50
(18)	18 राज्य पुलिस सुधार आयोग पूरक 9.30	9.30	4.04	(-)5.26
(19)	19 राज्य मानव अधिकार आयोग पूरक 41.40	41.40	17.20	(-)24.20
(20)	<b>2056 जेलें</b> 00 001 निदेशन तथा प्रशासन 03 कारागार अधिष्ठान मूल 23,12.75 पूरक 1,16.50	24,29.25	20,70.42	(-)3,58.83
(21)	04 कारागार मुख्यालय मूल 61.98 पूरक 22.00	83.98	64.04	(-)19.94

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत बचतों का अभ्यर्पण नहीं किए जाने तथा अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)।

(v) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

(1)	<b>2055 पुलिस</b> 00 800 अन्य व्यय 05 मुठभेड़ में मृत्यु होने अथवा साहसिक कार्य हेतु पुलिस बल को सहायता/पुरस्कार मूल 5.00	5.00	0.00	(-)5.00
-----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	------	---------

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(2)	15 राज्य सुरक्षा आयोग			
	मूल	5.00	5.00	0.00
	वर्ष 2009-10, 2010-11 एवं 2011-12 के दौरान भी उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			(-)5.00
	उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)।			
	(vi) आधिक्य मुख्यतः निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुए:			
(1)	<b>2055 पुलिस</b>			
	00			
	003 शिक्षा और प्रशिक्षण			
	04 शिक्षा और प्रशिक्षण मुख्य			
	मूल	6,33.71		
	पूरक	8,72.10		
			15,05.81	19,03.38
				(+)3,97.57
(2)	101 आपराधिक अन्वेषण और सतर्कता			
	03 अभिसूचना अधिष्ठान			
	मूल	38,24.78		
	पूरक	1,93.00		
			40,17.78	41,20.91
				(+)1,03.13
(3)	05 आपराधिक अन्वेषण			
	मूल	4,24.81		
	पूरक	1,48.40		
			5,73.21	5,83.64
				(+)10.43
(4)	109 जिला पुलिस			
	07 घुड़सवार पुलिस इकाई			
	मूल	1,68.35		
	पूरक	12.85		
			1,81.20	1,90.62
				(+)9.42
(5)	11 श्वान दल			
	मूल	5.50		
	पूरक	1.50		
			7.00	10.33
				(+)3.33



(ix) अनुदान के पूंजीगत दत्तमत प्रभाग के अन्तर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरन्तर बचत निम्नतः रही—  
(लाख ₹ में)

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2007-08	57,76.00	41,05.48	16,70.52
2008-09	46,17.79	40,46.22	5,71.57
2009-10	31,00.02	11,54.54	19,45.48
2010-11	20,15.02	16,03.52	4,11.50
2011-12	59,40.01	14,79.57	44,60.44

(x) बचत निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुई:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(1)	<b>4055</b> पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय			
	00			
	800 अन्य व्यय			
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं			
	मूल	31,00.00		
			52,00.00	19,94.95
	पूरक	21,00.00		(-)32,05.05
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 21,00.00 लाख की वृद्धि 13वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत पुलिस थाना/चौकी के निर्माण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
(2)	09 अग्निशमन एवं आपात सेवा			
	पूरक	3,67.75	3,67.75	3,54.56
				(-)13.19
(3)	<b>4059</b> लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय			
	80 सामान्य			
	800 अन्य व्यय			
	04 जेलों का निर्माण/भूमि क्रय			
	मूल	5,00.00		
			15,00.00	3,92.33
	पूरक	10,00.00		(-)11,07.67
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 10,00.00 लाख की वृद्धि जेलों के निर्माण एवं भूमि की खरीद हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत बचतों का अभ्यर्पण नहीं किए जाने तथा अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)।



(xi) दृष्टांत जहाँ सम्पूर्ण प्राध्यान अपर्युक्त रहे:

क्रम	लेखाशीर्ष	केल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)	बचत (-)	(₹ लाख में)
4055	पुलिस पर पूर्णतः परियोजना					
00						
211	पुलिस आवास					
07	पुलिस प्रशिक्षण कालेज की स्थापना	50.00				
	पूर्वक		50.00			
				0.00		
						(-)-50.00

उपर्युक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्राध्यान के अपर्युक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)।

## अनुदान सं० 11 शिक्षा, खेल, युवा कल्याण तथा संस्कृति

मुख्य लेखाशीर्ष

कुल अनुदान वास्तविक व्यय

आधिक्य (+)  
बचत (-)  
( ₹ हजार में )

राजस्व :

- 2202 सामान्य शिक्षा  
2203 तकनीकी शिक्षा  
2204 खेलकूद तथा युवा सेवायें  
2205 कला एवं संस्कृति

दत्तमत—

मूल	39,85,03,44			
		41,97,59,45	36,29,99,72	(-)5,67,59,73
पूरक	2,12,56,01			
				2,44,30,90
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च, 2013)				2,44,30,90

पूंजीगत:

### 4202 शिक्षा, खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय

दत्तमत—

मूल	2,52,18,03			
		3,59,49,59	2,37,46,19	(-)1,22,03,40
पूरक	1,07,31,56			
				35,77,15
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च, 2013)				35,77,15

टिप्पणियां एवं टीकायें

राजस्व :

दत्तमत—

- (i) ₹ 5,67,59.73 लाख की अन्तिम बचत में से मात्र ₹ 2,44,30.90 लाख अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित किए जा सके।
- (ii) ₹ 5,67,59.73 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2012 को प्राप्त अनुपूरक अनुदान ₹ 2,12,56.01 लाख अनावश्यक सिद्ध हुए।
- (iii) अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अन्तर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरन्तर बचत निम्नतः रही—

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	( ₹ लाख में ) बचत
2007-08	17,18,92.19	15,50,90.95	1,68,01.24
2008-09	19,54,25.41	17,94,57.95	1,59,67.46
2009-10	30,98,81.61	29,03,98.22	1,94,83.39
2010-11	32,38,48.73	30,62,46.92	1,76,01.81
2011-12	36,50,32.93	33,66,95.25	2,83,37.68

(iv) बचत (अन्य शीर्षों के आधिक्य से प्रतिसंतुलित हुई) निम्नतः परिलक्षित हुई:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(1)	<b>2202 सामान्य शिक्षा</b>			
	01 प्रारम्भिक शिक्षा			
	001 निदेशन तथा प्रशासन			
	03 निदेशालय अधिष्ठान			
	मूल	2,14.95		
	पूरक	1.70	1,08.30	1,07.08
	पुनर्वि०	(-1,08.35)		(-)1.22
(2)	101 राजकीय प्राथमिक विद्यालय			
	04 बेसिक शिक्षा परिषद् का राजकीयकरण			
	मूल	12,90,35.02		
	पूरक	13,48.75	12,02,74.47	11,65,82.09
	पुनर्वि०	(-1,01,09.30)		(-)36,92.38
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2010-11 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के ₹ 74,16,685 भी सम्मिलित है। उपरोक्त क्रम संख्या (1) एवं (2) के शीर्षों के अन्तर्गत दिनांक 31 मार्च 2013 को अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों के विभिन्न मदों में हुई बचत के कारण किए गए।			
(3)	102 अराजकीय प्राथमिक विद्यालयों को सहायता			
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं			
	मूल	5,90.00		
			2,12.51	2,12.51
	पुनर्वि०	(-3,77.49)		0.00
	प्रावधान में अभ्यर्पण द्वारा दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 3,77.49 लाख की कमी केन्द्रांश के प्राप्त न होने के कारण की गई।			
(4)	14 सहायता प्राप्त उ.मा. विद्यालयों से संबद्ध प्राइमरी प्रभाग को सहायक अनुदान			
	मूल	4,50.00		
			4,31.94	4,30.19
	पुनर्वि०	(-18.06)		(-)1.75
	दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 18.06 लाख के अभ्यर्पण मांग प्राप्त न होने के कारण किए गए।			
(5)	18 शिक्षा मित्रों को मानदेय का भुगतान			
	मूल	48,00.00		
			46,84.24	45,59.83
	पुनर्वि०	(-1,15.76)		(-)1,24.41
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2011-12 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के ₹ 4,20,000 भी सम्मिलित है। दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 1,15.76 लाख के अभ्यर्पण निधि की आवश्यकता न होने के कारण किए गए।			

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)	
(6)	20 विद्यार्थियों को शिक्षण सामग्री/निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण मूल	4,50.00	3,56.66	3,56.66	0.00
	पुनर्वि०	(-93.34)			
	दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 93.34 लाख के अभ्यर्पण निधि की आवश्यकता न होने के कारण किए गए।				
(7)	104 निरीक्षण 03 क्षेत्रीय निरीक्षण मूल	7,47.51	4,96.16	65.50	(-4,30.66)
	पुनर्वि०	(-2,51.35)			
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के ₹ 3,185 भी सम्मिलित है। दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 2,51.35 लाख के अभ्यर्पण रिक्त पदों के विलम्ब से भरे जाने के कारण किए गए।				
(8)	05 विकास खण्ड स्तर पर उप शिक्षा अधिकारी कार्यालयों की स्थापना मूल	5,22.02	96.24	61.90	(-34.34)
	पुनर्वि०	(-4,25.78)			
	दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 4,25.78 लाख के अभ्यर्पण रिक्त पदों के विलम्ब से भरे जाने के कारण किए गए।				
(9)	109 छात्रवृत्तियां तथा प्रोत्साहन 04 प्रत्येक जिले में कक्षा 6 से 8 के बच्चों को ₹ 15 प्रतिमाह की दर से 3 वर्ष के लिए योग्यता छात्रवृत्ति मूल	10.00	7.76	7.52	(-0.24)
	पुनर्वि०	(-2.24)			
	दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 2.24 लाख के अभ्यर्पण मांग प्राप्त न होने के कारण किए गए।				
(10)	800 अन्य व्यय 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना मूल	1,88,34.82	1,10,53.61	1,10,53.61	0.00
	पुनर्वि०	(-77,81.21)			
	दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 77,81.21 लाख के अभ्यर्पण केन्द्रांश के प्राप्त न होने के कारण किए गए।				
(11)	99 प्राथमिक विद्यालयों का पी०पी०पी० मोड में अंग्रेजी माध्यम से संचालन मूल	10.00	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि०	(-10.00)			
	दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 10.00 लाख के अभ्यर्पण मांग प्राप्त न होने तथा निधि के अवमुक्त न होने के कारण किए गए।				



क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(12)	02 माध्यमिक शिक्षा 001 निदेशन तथा प्रशासन 05 महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा कार्यालय मूल 63.93	63.93	25.44	(-38.49)
(13)	004 अनुसंधान तथा प्रशिक्षण 03 सीमेट की स्थापना मूल 1,06.11 पूरक 4.00	1,10.11	99.86	(-10.25)
(14)	101 निरीक्षण 03 क्षेत्रीय निरीक्षण मूल 12,59.52 पूरक 7,70.94	20,30.46	17,44.65	(-2,85.81)
वास्तविक व्यय में वर्ष 2010-11 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 3,000 भी सम्मिलित है।				
(15)	04 बेसिक शिक्षा परिषद् का राजकीयकरण मूल 12,42.54 पूरक 10,20.02	22,62.56	22,06.30	(-56.26)
(16)	107 छात्रवृत्तियां 05 देश के चुने हुए उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में संस्कृत पढ़ने के लिए प्रतिभावान बालक एवं बालिकाओं को विशेष छात्रवृत्तियां देना मूल 2.60	2.60	0.55	(-2.05)
(17)	07 अवर उच्चविद्यालय (कक्षा 7-8) पर अतिरिक्त छात्रवृत्तियों की व्यवस्था मूल 1.80	1.80	0.20	(-1.60)
(18)	09 प्रत्येक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में एक अतिरिक्त हाई स्कूल छात्रवृत्ति की व्यवस्था मूल 13.00	13.00	9.04	(-3.96)
(19)	15 खेल छात्रवृत्ति मूल 4.00	4.00	1.75	(-2.25)
(20)	17 प्रदेश के बाहर स्थित सैनिक स्कूलों में पढ़ रहे उत्तराखण्ड मूल के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति मूल 3.00	3.00	0.68	(-2.32)

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(21)	108 परीक्षाएं 04 माध्यमिक शिक्षा परिषद् का अधिष्ठान मूल 6,12.00 पूरक 73.01	6,85.01	6,60.41	(-)24.60
(22)	109 राजकीय माध्यमिक विद्यालय 03 बालक एवं बालिका मूल 14,58,10.00 पूरक 11,30.00	14,69,40.00	12,92,13.74	(-)1,77,26.26
वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के ₹ 1,732 भी सम्मिलित है।				
(23)	05 नए राजकीय हाईस्कूल की स्थापना तथा राजकीय जू0हा0 स्कूलों का हाईस्कूल स्तर पर कर्मोनयन मूल 5,65.51 पूरक 1,29.00	6,94.51	6,77.60	(-)16.91
(24)	07 राजीव गांधी नवोदय विद्यालयों की स्थापना मूल 9,12.50 पूरक 3,56.50	12,69.00	12,64.62	(-)4.38
वास्तविक व्यय में वर्ष 2011-12 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के ₹ 3,54,876 भी सम्मिलित है।				
(25)	08 अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों का प्रान्तीकरण मूल 19,96.51 पूरक 1,37.00	21,33.51	19,24.50	(-)2,09.01
(26)	11 श्यामा प्रसाद मुखर्जी अभिनव विद्यालयों की स्थापना मूल 2,00.01	2,00.01	1,74.91	(-)25.10
(27)	12 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों का इण्टर स्तर तक विस्तारीकरण मूल 1,50.00	1,50.00	75.00	(-)75.00
(28)	110 गैर-सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को सहायता 04 अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों को सहायता मूल 2,87.20 पूरक 90.00	3,77.20	3,56.12	(-)21.08

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(29)	800 अन्य व्यय			
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं			
	मूल	50,47.50		
	पूरक	48,54.92		
		99,02.42	19,94.89	(-79,07.53)
(30)	07 जिला मण्डल एवं राज्य स्तर पर प्रदर्शनियों का आयोजन			
	मूल	10.00		
	पूरक	1.90		
		11.90	10.20	(-1.70)
(31)	09 सैनिक स्कूल घोड़ाखाल को अनुरक्षण/संचालन निधि हेतु अनुदान			
	मूल	2,75.00	2,75.00	2,67.17
				(-7.83)
(32)	12 ब्लाक/जनपद/राज्य स्तरीय एवं राष्ट्रीय स्तरीय खेलों में भाग लेना			
	मूल	45.00	45.00	39.66
				(-5.34)
(33)	14 दीन दयाल उपाध्याय शैक्षिक उत्कृष्टता पुरस्कार			
	मूल	45.00	45.00	27.25
				(-17.75)
(34)	03 विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा			
	001 निदेशन तथा प्रशासन			
	03 उच्च शिक्षा निदेशालय			
	मूल	3,57.60		
	पूरक	9.60		
	पुनर्वि०	(-1,05.95)	2,61.25	2,61.25
				0.00
(35)	102 विश्वविद्यालयों को सहायता			
	03 कुमाऊं विश्वविद्यालय			
	मूल	36,00.01		
	पुनर्वि०	(-3,08.91)	32,91.10	32,91.10
				0.00
(36)	05 दून विश्वविद्यालय			
	मूल	7,00.01		
	पुनर्वि०	(-83.34)	6,16.67	6,16.67
				0.00
(37)	07 राज्य मुक्त विश्वविद्यालय			
	मूल	2,10.01		
	पुनर्वि०	(-10.01)	2,00.00	2,00.00
				0.00

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(38)	103 राजकीय कालेज तथा संस्थान 03 राजकीय उपाधि महाविद्यालय			
	मूल	80,47.28		
	पूरक	12.00	70,23.12	68,32.32
	पुनर्वि०	(-)10,36.16		(-)1,90.80
वास्तविक व्यय में वर्ष 2005-06 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 3,498 भी सम्मिलित है।				
(39)	04 वर्तमान राजकीय महाविद्यालयों का सुदृढीकरण एवं उन्नयन तथा नए संकायों एवं विषयों का समावेश			
	मूल	10,52.81		
	पूरक	50.00	9,39.30	8,84.29
	पुनर्वि०	(-)1,63.51		(-)55.01
(40)	08 नये राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना			
	मूल	15,57.01		
	पुनर्वि०	(-)65.78	14,91.23	13,76.49
				(-)1,14.74
(41)	104 अराजकीय कालेजों और संस्थानों को सहायता 05 वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप अधिष्ठान व्यय में वृद्धि			
	मूल	1,59.98		
	पुनर्वि०	(-)1.50	1,58.48	1,58.48
				0.00
(42)	800 अन्य व्यय 08 एम.बी.ए. आदि पाठ्यक्रमों में शुल्क निर्धारण हेतु गठित समिति के सदस्यों को मानदेय आदि का भुगतान			
	मूल	3.00		
	पुनर्वि०	(-)3.00	0.00	0.00
				0.00
उपरोक्त क्रम संख्या (34) से (42) के शीर्षों के अन्तर्गत दिनांक 31 मार्च 2013 को अभ्यर्पण निधि की आवश्यकता न होने के कारण किए गए।				
(43)	05 भाषा विकास 001 निदेशन तथा प्रशासन 03 संस्कृत शिक्षा निदेशालय अधिष्ठान			
	मूल	74.27	74.27	34.78
				(-)39.49



उपरोक्त क्रम सं० (45) से (50) के शीर्षों के अन्तर्गत दिनांक 31 मार्च 2013 को अस्पष्ट निधि के बिलों से अवमुक्त होने के कारण किए गए। अवमुक्त राशि जो कि वैयक्तिक लेखा खाता में जमा थी, बिल विभाग द्वारा विलम्ब से स्वीकृत हुई जिस कारण बचत हुई।

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	केल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधित्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(44)	102 आर्थिक भारतीय भाषाओं तथा साहित्य का संवर्धन 04 उत्तराखण्ड भाषा संस्थान अधिष्ठान	मूल 78.94 पुनर्वि० (-)68.94	10.00	10.00
(45)	06 कायद्याला/प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन	मूल 20.00 पुनर्वि० (-)20.00	0.00	0.00
(46)	07 संस्थान की शोध पत्रिका का प्रकाशन	मूल 10.00 पुनर्वि० (-)10.00	0.00	0.00
(47)	09 उत्कृष्ट पुस्तकों के प्रकाशन हेतु अनुदान	मूल 2.50 पुनर्वि० (-)2.50	0.00	0.00
(48)	10 साहित्यकारों का सम्मान	मूल 10.00 पुनर्वि० (-)10.00	0.00	0.00
(49)	11 राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय भाषा सम्मेलन	मूल 25.00 पुनर्वि० (-)25.00	0.00	0.00
(50)	12 पुस्तकालय की स्थापना एवं पुस्तकों का क्रय	मूल 15.00 पुनर्वि० (-)15.00	0.00	0.00

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(66)	800 अन्य व्यय			
	03 प्राविधिक शिक्षा एवं परीक्षा परिषद्			
	मूल	2,27.00		
			1,82.42	1,82.42
	पुनर्वि०	(-44.58)		0.00
	दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 44.58 लाख के अर्भण अधिष्ठान व्ययों के विभिन्न मदों में हुई बचत के कारण किए गए।			
(67)	97 वाह्य सहायतित परियोजनाएं			
	मूल	15,00.00		
			2,00.00	2,00.00
	पुनर्वि०	(-13,00.00)		0.00
	दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 13,00.00 लाख के अभ्यर्पण निधि का उपभोग न हो पाने के कारण किए गए।			
(68)	2204 खेल कूद तथा युवा सेवायें			
	00			
	001 निदेशन तथा प्रशासन			
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र पुरोनिधानित योजना			
	मूल	3,74.11		
			2,62.63	2,62.85
	पुनर्वि०	(-1,11.48)		(+0.22)
	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 12 फरवरी 2013 एवं 29 मार्च 2013 को ₹ 49.59 लाख तथा अभ्यर्पण द्वारा दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 61.89 लाख की कमी निम्न कारणों से की गई—			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ नियमित कर्मियों की नियुक्ति का न होना</li> <li>➤ निधि की वास्तविक आवश्यकता के अनुसार</li> <li>➤ कड़े आर्थिक उपायों के कारण</li> <li>➤ कर्मियों का स्थानान्तरण न होना एवं</li> <li>➤ मानदेय स्वीकृत न होना।</li> </ul>			
(69)	03 खेलकूद निदेशालय			
	मूल	3,95.11		
			4,31.41	3,52.06
	पूरक	36.30		(-79.35)
(70)	05 युवा कल्याण परिषद को अनुदान			
	मूल	80.00		
			36.67	36.67
	पुनर्वि०	(-43.33)		0.00
	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 12 फरवरी 2013 को ₹ 40.00 लाख एवं अभ्यर्पण द्वारा दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 3.33 लाख की कमी आशुलिपिक का पद न भरे जाने तथा निधि की वास्तविक आवश्यकता के कारण की गई।			

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(71)	09 युवा दलों को आर्थिक सहायता मूल 20.00 पुनर्वि० (-)20.00	0.00	0.00	0.00
	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 12 फरवरी 2013 को ₹ 20.00 लाख की कमी के कोई स्पष्ट कारण सूचित नहीं किए गए।			
(72)	104 खेलकूद 03 भूतपूर्व प्रसिद्ध खिलाड़ियों तथा पहलवानों को वित्तीय सहायता मूल 10.00 पुनर्वि० (-)9.00	1.00	0.12	(-)0.88
	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 28 मार्च 2013 को ₹ 9.00 लाख की कमी मांग प्राप्त न होने के कारण किए गए।			
(73)	10 राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार मूल 25.00	25.00	23.47	(-)1.53
(74)	12 प्रादेशीय क्रीड़ा संघों, क्लबों एवं अन्य क्रीड़ा संघों आदि को प्रतियोगिताओं के आयोजन करने एवं खेलकूद उपस्कर क्रय हेतु अनावर्तक अनुदान मूल 40.00 पूरक 5.00	45.00	25.00	(-)20.00
(75)	13 स्पोर्ट्स कालेज को अनुदान मूल 2,70.00 पूरक 60.00	3,30.00	3,05.35	(-)24.65
(76)	16 स्थाई क्रीड़ा उपकरणों का क्रय मूल 15.00 पूरक 5.00	20.00	19.00	(-)1.00
(77)	2205 कला एवं संस्कृति 00 101 ललित कला शिक्षा			

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)	
(88)	105 सार्वजनिक पुस्तकालय 03 केन्द्रीय राज्य पुस्तकालय मूल	1,29.92	1,29.92	1,21.04	(-)8.88
(89)	107 संग्रहालय 03 अधिष्ठान व्यय मूल	93.99	65.47	68.89	(+)3.42
	पुनर्वि०	(-)28.52			

दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 28.52 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों के विभिन्न मदों में हुई बचत के कारण किए गए।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत/आधिक्य जहां परिलक्षित हुए हो, के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)।

(v) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

(1)	<b>2202 सामान्य शिक्षा</b> 02 माध्यमिक शिक्षा 800 अन्य व्यय 06 सैनिक स्कूल, घोड़ा खाल नैनीताल को जल सम्पूर्ति हेतु अनुदान मूल	10.00	10.00	0.00	(-)10.00
(2)	17 माध्यमिक स्तर पर बालिकाओं को प्रोत्साहन अनुदान मूल	5,00.00	5,00.00	0.00	(-)5,00.00
वर्ष 2011-12 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।					
(3)	18 बालिका शिक्षा प्रोत्साहन (साइकिल) योजना पूरक	16,95.44	16,95.44	0.00	(-)16,95.44
(4)	03 विश्वविद्यालय एवं उच्च शिक्षा 107 छात्रवृत्तियां 05 इंजीनियरिंग/मेडिकल आदि के अध्ययन हेतु विशेष छात्रवृत्ति योजना मूल	5.00	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि०	(-)5.00			

वर्ष 2009-10, 2010-11 एवं 2011-12 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।



क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(5)	800 अन्य व्यय			
	04 प्राध्यापकों द्वारा विदेशों में सम्मेलनों, सेमिनारों में भाग लेने के लिए अनुदान			
	मूल	6.00	5.00	0.00
	पुनर्वि०	(-1.00)		(-5.00)
	वर्ष 2011-12 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			
(6)	(+) 05 भाषा विकास	00.0	00.0	0.00
	103 संस्कृत शिक्षा	00.0	00.0	0.00
	07 संस्कृत पाठ्य पुस्तकों का मुद्रण एवं निःशुल्क वितरण			
	मूल	20.00	20.00	0.00
	वर्ष 2011-12 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			
(7)	2204 खेल कूद तथा युवा सेवायें			
	00			
	104 खेलकूद			
	07 विशिष्ट खिलाड़ियों को प्रदेशीय पुरस्कार			
	मूल	43.00	43.00	0.00
	वर्ष 2011-12 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			
(8)	2205 कला एवं संस्कृति			
	00			
	102 कला एवं संस्कृति का संवर्द्धन			
	06 साहित्यिक कला परिषद् की स्थापना			
	मूल	10.00	10.00	0.00
	वर्ष 2009-10, 2010-11 एवं 2011-12 के दौरान भी उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			
(9)	19 सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक महत्व की वस्तुओं का कय			
	मूल	60.00	60.00	0.00
	वर्ष 2009-10, 2010-11 एवं 2011-12 के दौरान भी उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			
(10)	25 कनिष्ठ एवं वरिष्ठ कलाकारों हेतु छात्रवृत्ति योजना			
	मूल	15.00	15.00	0.00
	वर्ष 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11 एवं 2011-12 के दौरान भी उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			
(11)	32 देहरादून में ललित कला एवं संगीत नाटक अकादमी की स्थापना			
	मूल	15.00	15.00	0.00
	वर्ष 2011-12 के दौरान भी उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)।

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(10)	91 जिला योजना मूल	7,00.00	7,39.74	(+) 8.93
	पुनर्वि०	30.81		

प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 29 मार्च 2013 को ₹ 37.29 लाख की वृद्धि "अन्य व्ययों" हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई। दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 6.48 लाख के अभ्यर्पण उक्त शीर्ष में बचत के कारण किए गए।

(11)	104 खेलकूद			
11	राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाली प्रदेशीय टीम के खिलाड़ियों हेतु किट की व्यवस्था			
	मूल	40.00	54.00	(-) 0.04
	पूरक	5.00	53.96	
	पुनर्वि०	9.00		

प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 28 मार्च 2013 को ₹ 9.00 लाख की वृद्धि राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए की गई।

(12)	21 अन्तराष्ट्रीय प्रतियोगिताएं			
	मूल	10.00	29.85	(+) 19.85
(13)	2205 कला एवं संस्कृति			
00	निदेशन तथा प्रशासन			
03	सांस्कृतिक कार्य निदेशालय			
	मूल	2,73.20	3,92.74	(+) 1,28.00
	पुनर्वि०	(-) 8.46		

प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 28 मार्च 2013 को ₹ 4.50 लाख की वृद्धि "अन्य व्यय" मद में निधि की आवश्यकता होने के कारण की गई। दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 12.96 लाख के अभ्यर्पण निम्न कारणों से किए गए—

- रिक्त पदों का न भरा जाना
- कर्मियों का स्थानान्तरण न होने के कारण
- कर्मियों द्वारा अवकाश यात्रा रियायत का उपयोग न किए जाने के कारण।
- कड़े आर्थिक उपायों के कारण।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत/आधिक्य जहां भी परिलक्षित हुए हैं, के कारणों को सूचित नहीं किया गया (अगस्त 2013)।

(vii) दृष्टांत जहां व्यय अपात्तिगत बही उच्चत के समायोजन के फलस्वरूप परिलक्षित हुए:

#### 2202 सामान्य शिक्षा

03 विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा



800 अन्य व्यय	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिर्धारित योजनाएं	मूल	पूरक	पुनर्वि०	वास्तविक व्यय वर्ष 2011-12 के आपत्तिगत बड़ी उच्चतम समायोजन के ₹ 10,60,899 के कारण है।
		0.00	0.00	0.00	
		0.00	10.61		
					(+)10.61

अनुदान के (राजस्व अनुभाग) के अन्तर्गत अनुपूर्वक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 2,12,56.01 लाख प्राप्त किए गए। अनुपूर्वक अनुदान जिन योजनाओं हेतु आवंटित थे, निम्न है-

**प्रारम्भिक शिक्षा**

माह दिसम्बर 2012 को प्रारम्भिक शिक्षा के निम्न योजनाओं हेतु ₹ 79,09.83 लाख के अनुपूर्वक अनुदान प्राप्त किए गए-

- निर्देशालय अधिष्ठान के व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं का भूगतान
- विद्यालयों में पका-पकाया भोजन उपलब्ध कराने हेतु
- वैश्विक शिक्षा परिषद का प्रान्तीयकरण एवं
- सहायता प्राप्त जॉनियर हाइस्कूल एवं क०जी०/नर्सरी विद्यालयों को सहायता।

**माध्यमिक शिक्षा**

माह दिसम्बर 2012 को माध्यमिक शिक्षा के निम्न योजनाओं हेतु ₹ 1,18,26.18 लाख के अनुपूर्वक अनुदान प्राप्त किए गए-

- शिक्षक शिक्षा की पुनर्संरचना एवं पुनर्गठन
- राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में आई०सी०टी० योजना का क्रियान्वयन
- जिला मण्डल एवं राज्य स्तर पर प्रदर्शनियों का आयोजन तथा
- बालिका शिक्षा प्रोत्साहन (साइकिल) योजना।

**विश्वविद्यालय एवं उच्च शिक्षा**

माह दिसम्बर 2012 को विश्वविद्यालय एवं उच्च शिक्षा के निम्न योजनाओं हेतु ₹ 71.60 लाख के अनुपूर्वक अनुदान प्राप्त किए गए-

- राजकीय उपाधि महाविद्यालयों के कमियों को बतन इत्यादि का भूगतान तथा
- वर्तमान राजकीय महाविद्यालयों का सिद्धीकरण एवं उन्नयन तथा नए संकायों एवं विषयों का समावेश।

**भाषा विकास**

माह दिसम्बर 2012 को भाषा विकास के निम्न योजनाओं हेतु ₹ 1,14.08 लाख के अनुपूर्वक अनुदान प्राप्त किए गए-

- भारतीय भाषा केन्द्र देहरादून के कमियों को बतन इत्यादि का भूगतान तथा
- राजकीय संस्कृत पाठशाला के कमियों को बतन इत्यादि भूगतान हेतु सहायक अनुदान।

## तकनीकी शिक्षा

अनुपूर्वक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 8,67,52 लाख का प्राधान्य प्राविधिक शिक्षा की निम्न योजनाओं के लिए किए गए-

- तकनीकी शिक्षा निदेशालय के अन्तर्गत मजदूरी
- पॉलीटेक्निक कालेजों के कर्मियों के वेतन एवं भत्तों का भ्रगतान
- पन्त कालेज ऑफ टेक्नोलॉजी, पन्त नगर को सहायक अनुदान एवं
- इंजीनियरिंग कालेज, गांधीपुर को सहायक अनुदान।

## सामान्य

अनुपूर्वक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 1,59,00 लाख का प्राधान्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (100 प्रतिशत के0पॉ10) के अधिष्ठान व्ययों की पूर्ति हेतु निधि की आवश्यक्ता के कारण किए गए।

## खेलकूद एवं युवा कल्याण

माह दिसम्बर 2012 को खेलकूद एवं युवा सेवाएं के निम्न योजनाओं हेतु ₹ 3,02.30 लाख के अनुपूर्वक अनुदान प्राप्त किए गए-

- खेलकूद निदेशालय, प्रादेशिक विकास दल एवं युवा कल्याण के कर्मियों को वेतन इत्यादि का भ्रगतान
- क्रीडा छात्रावास के आवासीय खिलारियों पर व्यय
- राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाली प्रदेशीय टीम के खिलारियों हेतु किरा की व्यवस्था
- प्रादेशीय क्रीडा संघों, क्लबों एवं अन्य क्रीडा संघों आदि की प्रतियोगिताओं के आयोजन करने एवं खेलकूद उपकरण क्रय
- स्पोर्ट्स कालेज, देहरादून को अनुदान
- स्थाई क्रीडा उपकरणों का क्रय
- स्थिति सर्वेक्षण प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले खिलारियों को सहायता
- खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन।

## कला एवं संस्कृति

माह दिसम्बर 2012 को कला एवं संस्कृति के निम्न योजनाओं हेतु ₹ 5.50 लाख के अनुपूर्वक अनुदान प्राप्त किए गए-

- पुरातत्व अधिष्ठान के कर्मियों के वेतन इत्यादि के भ्रगतान
- पुरावशेष तथा बर्तमान कलाकृति अधिनियम 1972 का कार्यान्वयन (50 प्रतिशत के0पॉ0)।

## पूर्जीगत :

### दलगत-

(viii) ₹ 1,22,03.40 लाख की अन्तिम बचत में से मात्र ₹ 35,77.15 लाख अस्पष्ट हेतु प्रत्याहित किए जा सके।

(ix) ₹ 1,22,03.40 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2012 को प्राप्त ₹ 1,07,31.56 लाख के अनुपूर्वक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए।



(x) अनुदान के पूंजीगत दत्तमत प्रभाग के अन्तर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरन्तर बचत निम्नतः रही—  
(लाख ₹ में)

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2007-08	1,65,54.02	1,48,57.27	16,96.75
2008-09	1,49,52.28	1,34,95.13	14,57.15
2009-10	57,48.35	49,68.53	7,79.82
2010-11	1,59,60.11	99,40.12	60,19.99
2011-12	2,87,26.66	1,20,95.41	1,66,31.25

(xi) बचत निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुई:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(1)	<b>4202 शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय</b>			
	01 सामान्य शिक्षा			
	201 प्रारम्भिक शिक्षा			
	03 प्राथमिक विद्यालयों का विकास एवं सुदृढीकरण			
	मूल	0.01		
	पूरक	22,26.35	22,05.03	7,78.68
	पुनर्वि०	(-)21.33		(-)14,26.35
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 22,26.35 लाख की वृद्धि प्रारम्भिक विद्यालयों के सुदृढीकरण एवं विकास हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई। दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 21.33 लाख के अभ्यर्पण निधि के अवमुक्त न होने के कारण किए गए।			
(2)	04 सर्वशिक्षा अभियान			
	मूल	28,75.94	28,75.94	9,81.36
				(-)18,94.58
(3)	202 माध्यमिक शिक्षा			
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं			
	मूल	1,04,02.00		
			94,20.64	56,56.98
	पुनर्वि०	(-)9,81.36		(-)37,63.66
	दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 9,81.36 लाख के अभ्यर्पण केन्द्रांश प्राप्त न होने के कारण किए गए।			
(4)	11 राजकीय हाई स्कूल व इण्टरमीडिएट कालेजों के भवन हीन/जीर्णशीर्ण भवनों का निर्माण			
	मूल	5,00.00		
			23,51.81	10,02.57
	पूरक	18,51.81		(-)13,49.24
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 18,51.81 लाख की वृद्धि राजकीय हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट कालेजों के पुराने भवनों के निर्माण/पुनरोद्धार हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(5)	16 राजीव गांधी नवोदय विद्यालय के भवनों का निर्माण			
	मूल	7,00.00		
	पुनर्वि०		15,00.00	14,92.92
	पूरक	8,00.00		(-)7.08
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 8,00.00 लाख की वृद्धि राजीव गान्धी नवोदय विद्यालय के भवनों के निर्माण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
(6)	203 विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा			
	04 राजकीय महाविद्यालयों के भूमि/भवन क्रय			
	मूल	1,00.00		
			15,00.00	14,40.00
	पूरक	14,00.00		(-)60.00
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 14,00.00 लाख की वृद्धि भूमि/भवनों के क्रय हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
(7)	07 राजकीय महाविद्यालयों में शिक्षण कक्ष/पुस्तकालय आदि के भवन निर्माण			
	मूल	20.00		
	पूरक	15.00	20.00	20.00
	पुनर्वि०	(-)15.00		0.00
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 15.00 लाख की वृद्धि राजकीय उपाधि विद्यालयों में शिक्षण कक्ष/पुस्तकालय के निर्माण हेतु निधि में आवश्यकता के कारण की गई।			
(8)	11 आदर्श महाविद्यालयों की स्थापना			
	मूल	50.00		
			22.58	22.58
	पुनर्वि०	(-)27.42		0.00
	उपरोक्त क्रम सं० (7) व (8) के शीर्षों के अन्तर्गत दिनांक 31 मार्च 2013 को अभ्यर्पण निधि की वास्तविक आवश्यकता के कारण किए गए।			
(9)	14 कुमाऊ विश्व विद्यालय			
	मूल	6,00.00	6,00.00	85.94
				(-)5,14.06
(10)	17 मुक्त विश्व विद्यालय			
	मूल	4,00.00	4,00.00	2,86.49
				(-)1,13.51
(11)	02 तकनीकी शिक्षा			
	104 बहुशिल्प			
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र पुरोनिधानित योजना			
	मूल	16,00.01		
			4,00.00	4,00.00
	पुनर्वि०	(-)12,00.01		0.00
	दिनांक 31 मार्च 2013 ₹ 12,00.01 लाख के अभ्यर्पण निधि का उपभोग न होने के कारण किए गए।			

प्रधान मंत्रि अर्जुन द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 12,00.00 लाख की वृद्धि स्पॉन्स कॉलेज, देहरादून के भवनों के निर्माण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।  
प्रधान मंत्रि अर्जुन द्वारा माह दिसम्बर 2013 को ₹ 1,76.41 लाख की कमी निधि का उपभोग न हो पाने के कारण की गई।

क्र.सं.	विवरण	मूल	पूरक	पुनर्वि०
03	खेलकेंद्र तथा सेवा सभाग	60.00	12,00.00	(-),1,76.41
102	खेलकेंद्र स्टेडियम			
13	देहरादून स्पॉन्स कॉलेज भवन का निर्माण			
(17)		8,60.00	10,83.59	(-),2,23.59

अर्जुन अर्जुन द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 5,00.00 लाख का प्रधान इंजीनियरिंग कॉलेज, गांधीपुर हेतु स्थाई संपत्तियों के सृजन हेतु निधि की आवश्यकता के कारण किए गए।  
उपरोक्त कम सं० (14) से (16) के शीर्षों के अन्तर्गत दिसम्बर 31 माह 2013 को अर्जुन निधि का उपभोग न हो पाने के कारण किए गए।

क्र.सं.	विवरण	मूल	पूरक	पुनर्वि०
07	तकनीकी विद्यालय	5,00.00		(-),5,00.00
09	इंजीनियरिंग कॉलेज, गांधीपुर (बमोली)		5,00.00	
(15)		0.00	0.00	0.00
06	पत कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी पन्तनगर	3,00.00		(-),1,00.00
105	इंजीनियरिंग/तकनीकी कॉलेज तथा संस्थान			
(14)		2,00.00	2,00.00	0.00

प्रधान मंत्रि अर्जुन द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 56.00 लाख की वृद्धि राजकीय बहुराशी संस्थाओं हेतु भवनों के निर्माण/भूमि के कय हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

क्र.सं.	विवरण	मूल	पूरक
16	पालिटैक्निक हेतु भूमि कय/भवन निर्माण	1,00.00	56.00
(13)		1,56.00	1,00.00

प्रधान मंत्रि अर्जुन द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 4,00.00 लाख की वृद्धि राजकीय बहुराशी संस्थाओं के निर्माण/सुदृढीकरण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

क्र.सं.	विवरण	मूल	पूरक
03	राजकीय बहुराशी संस्थाओं के (पुरुष/महिला) भवन का निर्माण/सुदृढीकरण	1,00.00	4,00.00
(12)		5,00.00	78.65

आधिक्य (+)  
बचत (-)  
₹ लाख में

कूल अर्जुन वास्तविक व्यय



क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(18)	14 पिथौरागढ़ स्पोर्ट्स कालेज भवन का निर्माण मूल	1,00.00		
	पुनर्वि०		0.00	0.00
		(-1,00.00)		
	पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 30 मार्च 2013 को सम्पूर्ण प्रावधान में कमी के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)।			
(19)	16 आउटडोर फील्ड, इंडोर हॉल व मिनी स्टेडियम का निर्माण पूरक	3,00.00		
	पुनर्वि०		2,97.21	0.00
		(-2.79)		
	अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 3,00.00 लाख का प्रावधान आउट डोर फील्ड, इन्डोर हॉल एवं मिनी स्टेडियम के निर्माण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण किए गए। दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 2.79 लाख के अभ्यर्पण निधि की वास्तविक आवश्यकता के कारण किए गए।			
(20)	04 कला और संस्कृति 106 संग्रहालय 03 संग्रहालय भवन सम्बन्धी निर्माण मूल	80.00		
	पूरक	2,00.00	1,18.60	
	पुनर्वि०		1,18.59	(-0.01)
		(-1,61.40)		
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 2,00.00 लाख की वृद्धि संग्रहालय के लिए भवनों के निर्माण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई। दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 1,61.40 लाख के अभ्यर्पण पर्याप्त निधि के स्वीकृत न होने के कारण किए गए।			
(21)	04 महान विभूतियों की मूर्तियां/शहीद स्मारक का निर्माण मूल	30.00		
	पुनर्वि०		26.57	0.00
		(-3.43)		
	प्रावधान में अभ्यर्पण द्वारा दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 3.43 लाख की कमी महान विभूतियों की मूर्तियां/शहीद स्मारकों के निर्माण हेतु प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण की गई।			
(22)	800 अन्य व्यय 03 सांस्कृतिक परिषद/कला केन्द्र/विद्यालय/आडिटोरियम आदि का निर्माण मूल	1,00.00		
	पूरक	1,50.00	2,34.36	
	पुनर्वि०		2,34.36	0.00
		(-15.64)		
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 1,50.00 लाख की वृद्धि सांस्कृतिक परिषद्/कला केन्द्र/प्रेक्षा गृह के निर्माण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई। दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 15.64 लाख के अभ्यर्पण पर्याप्त निधि के स्वीकृत न होने के कारण किए गए।			

उपरोक्त क्रम सं० (1) से (6), (9), (10), (12), (13) एवं (17) के शीर्षों के अन्तर्गत किए गए अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किए गए।



उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत जहाँ परिलक्षित है, के कारण संचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)।

(xii) ट्रेडिंग जहाँ सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

क्रम	लेखाशीर्ष	कुल अर्जदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
------	-----------	-------------	---------------	--------------------------------------

4202 शिक्षा, खेलकूद तथा संस्कृति पर पुंजीगत परिव्यय

01 सामान्य शिक्षा

202 माध्यमिक शिक्षा

19 जिना शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों का भवन निर्माण

मूल

50.00

3,23.00

0.00

(-)/3,23.00

पूरक

2,73.00

वर्ष 2011-12 के दौरान भी उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।

24 टैन लाइब्रेरी एण्ड रिसर्च सेंटर की स्थापना

मूल

30.00

30.00

0.00

(-)/30.00

205 भाषा विकास

03 संस्कृत विद्यालयों में प्रयुक्त टैक एवं शौचालयों का निर्माण

मूल

5.00

5.00

0.00

(-)/5.00

वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 के दौरान भी उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।

05 उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी हेतु अनावारसीय भवन निर्माण

मूल

60.00

60.00

0.00

(-)/60.00

800 अन्य व्यय

30 एन.सी.सी. निदेशालय का भवन निर्माण

मूल

50.00

50.00

0.00

(-)/50.00

03 खेलकूद तथा युवा सेवाएं

102 खेलकूद स्टेडियम

01 कन्द्रीय आयोजनागत/कन्द्रीय परियोजनागत योजनाएं

मूल

10,80.00

10,00.00

0.00

(-)/10,00.00

पुनर्वित्त

(-)/80.00

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण संचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)।

(xiii) आधिक्य निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुआ:

4202 शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पुंजीगत परिव्यय

01 सामान्य शिक्षा

(1)

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
	202 माध्यमिक शिक्षा			
	17 शिक्षा निदेशालय का भवन निर्माण			
	मूल	50.00	1,75.00	3,09.85
	पूरक	1,25.00		(+)1,34.85
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 1,25.00 लाख की वृद्धि शिक्षा निदेशालय के भवनों के निर्माण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
(2)	20 कस्तूरबा गाँधी आवासीय बालिका विद्यालयों का हाईस्कूल स्तर तक विस्तारीकरण			
	पूरक	8,00.00	8,00.00	22,26.35
	अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 8,00.00 लाख का प्रावधान कस्तूरबा गान्धी आवासीय बालिका विद्यालयों का हाईस्कूल स्तर तक उच्चीकरण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण किए गए।			
(3)	203 विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा			
	03 कतिपय राजकीय महा विद्यालयों के निर्माणाधीन भवनों को पूर्ण किया जाना			
	मूल	3,00.00	3,00.00	8,14.06
				(+)5,14.06
(4)	05 उच्च शिक्षा निदेशालय उत्तराखण्ड हल्द्वानी का भवन निर्माण			
	मूल	40.00	40.00	3,00.00
				(+)2,60.00
(5)	18 एफीलेटिंग विश्व विद्यालय			
	मूल	0.01		
	पुनर्वि०	(-)0.01	0.00	1,13.51
				(+)1,13.51
(6)	03 खेलकूद तथा युवक सेवा खेलकूद स्टेडियम			
	102 खेलकूद स्टेडियम			
	04 स्पोर्टस स्टेडियम का निर्माण (नए कार्य)			
	मूल	80.00		
	पुनर्वि०	2,73.81	3,53.81	3,53.81
				0.00
	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 30 मार्च 2013 को ₹ 2,73.81 लाख की वृद्धि खेलकूद स्टेडियम के निर्माण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
(7)	05 स्पोर्टस स्टेडियम का निर्माण (चालू कार्य)			
	मूल	80.00	82.60	82.60
	पुनर्वि०	2.60		0.00
	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 28 मार्च 2013 को ₹ 2.60 लाख की वृद्धि उक्त योजना के पूर्ण किए जाने के लिए निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(8)	06 सिविल सर्विसेज संस्थान की स्थापना मूल 80.00 पूरक 3,75.00	4,55.00	6,78.39	(+2,23.39)
<p>प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 3,75.00 लाख की वृद्धि सिविल सर्विसेज संस्थान की स्थापना हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।</p>				
(9)	15 ग्रामीण क्षेत्रों में मिनी स्टेडियम मूल 25.00 पुनर्वि० 31.26	56.26	56.26	0.00
<p>प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 20 मार्च 2013 को ₹ 31.26 लाख की वृद्धि ग्रामीण क्षेत्रों में मिनी स्टेडियम के निर्माण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।</p>				
(10)	उपरोक्त क्रम सं० (1) से (5) तथा (8) के शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)।	1,10.58	1,10.78	(+0.20)
<p>दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 2,39.42 लाख के अन्वयण विविक्तता दावों की प्रतिपूर्ति एवं अन्य कारणों से हुई बचत के कारण किए गए।</p>				
(3)	110 अस्पताल तथा औषधालय 05 भय रोग रुजोअलय (क्लीनिक) मूल 7,42.96	5,34.08	5,34.08	(-99.92)
<p>वास्तविक व्यय में वर्ष 2011-12 का आपत्तियत बही उर्वरिदेक संशोधन के ₹ 1,07.88 लाख सम्मिलित है। दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 1,13.96 लाख के अन्वयण अधिष्ठान व्ययों के विभिन्न नुदों में हुई बचत के कारण किए गए।</p>				
(14)	10 उच्च न्यायालय में विकित्तालय की स्थापना			
<p>प्रकी तारीख 05 अगस्त 2013 को ₹ 15.40 लाख के अन्वयण अधिष्ठान व्ययों के विभिन्न नुदों में हुई बचत के कारण किए गए।</p>				
<p>उपरोक्त क्रम सं० (1) से (5) तथा (8) के शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए।</p>				
<p>दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 15.40 लाख के अन्वयण अधिष्ठान व्ययों के विभिन्न नुदों में हुई बचत के कारण किए गए।</p>				
<p>उपरोक्त क्रम सं० (1) से (5) तथा (8) के शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए।</p>				



क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(5)	11 ब्लड बैंक की स्थापना मूल	1,16.66	85.83	91.61 (+)5.78
	पुनर्वि०	(-30.83		
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2011-12 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन के ₹ 5,78,626 भी सम्मिलित है।			
	दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 30.83 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों के विभिन्न मदों में मुख्यतः वेतन, महंगाई भत्ते एवं अन्य भत्तों में हुई बचत के कारण किए गए।			
(6)	14 विधान सभा में रा०एलो० औषधालय की स्थापना मूल	30.16	28.29	28.29 0.00
	पुनर्वि०	(-1.87		
	दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 1.87 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों के विभिन्न मदों में मुख्यतः वेतन एवं महंगाई भत्ते में हुई बचत के कारण किए गए।			
(7)	18 मुख्य चिकित्सा अधिकारी का अधिष्ठान मूल	9,17.00	8,90.15	8,93.82 (+)3.67
	पूरक	7.50		
	पुनर्वि०	(-34.35		
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2006-07 एवं 2011-12 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 87,024 तथा ₹ 2,80,221 भी सम्मिलित है।			
	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 20 मार्च 2013 को ₹ 5.00 लाख की वृद्धि चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई। दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 39.35 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों के विभिन्न मदों में मुख्यतः अन्य भत्ते में हुई बचत के कारण किए गए।			
(8)	19 केन्द्रीय औषधि भण्डार की स्थापना मूल	13.95	11.58	11.59 (+)0.01
	पुनर्वि०	(-2.37		
(9)	20 महामहिम राज्यपाल तथा मुख्यमंत्री आवास हेतु चिकित्सा व्यवस्था मूल	12.70	2.97	2.97 0.00
	पुनर्वि०	(-9.73		
(10)	200 अन्य स्वास्थ्य सेवायें 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें मूल	1,27.27	1,02.03	1,02.58 (+)0.55
	पुनर्वि०	(-25.24		
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2011-12 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन के ₹ 56,248 भी सम्मिलित है।			



उपरोक्त क्रम सं० (8) से (10) के लेखाशीर्षों के अन्तर्गत दिनांक 31 मार्च 2013 को अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों के विभिन्न मदों में हुई बचत के कारण किए गए।

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(11)	03 प्रदेश में अन्धेपन की रोकथाम मूल	2,95.60		
	पुनर्वि०	(-82.70)	2,12.90	2,13.43
				(+)0.53
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2011-12 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन के ₹ 54,138 भी सम्मिलित है।			
	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 20 मार्च 2013 को ₹ 1.00 लाख तथा अभ्यर्पण द्वारा दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 81.70 लाख की कमी अधिष्ठान व्ययों के विभिन्न मदों में हुई बचत के कारण किए गए।			
(12)	05 मानसिक चिकित्सा प्राधिकरण मूल	20.57		
	पुनर्वि०	(-4.35)	16.22	16.21
				(-)0.01
(13)	06 टेली मेडिसन की व्यवस्था मूल	25.00		
	पुनर्वि०	(-25.00)	0.00	0.00
				0.00
	उपरोक्त शीर्ष में दिनांक 20 मार्च 2013 को पुनर्विनियोजन द्वारा सम्पूर्ण प्रावधान में कमी का कारण निधि का उपभोग न हो पाना था।			
(14)	07 राज्य मानसिक स्वास्थ्य संस्थान की स्थापना मूल	1,02.92		
	पुनर्वि०	(-33.21)	69.71	69.71
				0.00
(15)	800 अन्य व्यय 07 स्वैच्छिक संस्थाओं को अनुदान मूल	50.00		
	पुनर्वि०	(-30.00)	20.00	20.00
				0.00
(16)	09 विभिन्न मेलों में स्वच्छता एवं चिकित्सा व्यवस्था मूल	25.00		
	पुनर्वि०	(-1.46)	23.54	23.54
				0.00

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)	
(17)	11 नई दिल्ली में उत्तराखण्ड के रोगियों के परिचरों हेतु विश्राम गृह मूल	11.00	9.35	9.35	0.00
	पुनर्वि०	(-)1.65			
(18)	13 मुख्य राजकीय चिकित्सालयों के आस-पास रोगियों के परिचरों के ठहरने हेतु विश्राम गृह मूल	10.00	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि०	(-)10.00			
(19)	02 शहरी स्वास्थ्य सेवायें-अन्य चिकित्सा पद्धतियां 101 आयुर्वेद 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना मूल	0.07	86.41	43.86	(-)42.55
	पूरक	86.34			
(20)	03 निदेशन तथा प्रशासन मूल	6,16.50	6,16.50	5,63.14	(-)53.36
(21)	04 विभागीय औषधीय विनिर्माण मूल	2,19.83	2,19.83	1,82.90	(-)36.93
(22)	08 आयुर्वेदिक मूल	69,70.34	70,02.84	65,67.23	(-)4,35.61
	पूरक	32.50			

वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 एवं 2010-11 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 7,59,777 एवं ₹ 18,750 भी सम्मिलित है।

उपरोक्त क्रम सं० (20) से (22) के शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत के निम्न कारण सूचित किए गए-

- अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के कारण वेतन एवं भत्तों में बचत
- कर्मियों के स्थानान्तरण न होने के कारण यात्रा व्यय में बचत
- जनपद कार्यालयों द्वारा मांग न किए जाने के कारण तथा
- रिक्त पदों के न भरे जाने के कारण।

(23)	102 होम्योपैथी 03 निदेशन तथा प्राशासन मूल	82.02	83.77	53.19	(-)30.58
	पूरक	1.75			

उक्त शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम बचत रिक्त पदों के न भरे जाने के कारण किए गए।

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(24)	04 अस्पताल तथा औषधालय मूल	3,73.49		
	पूरक	18.61		
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 एवं 2010-11 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन क्रमशः ₹ 72,068 एवं ₹ 75,420 भी सम्मिलित है। उक्त शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम बचत रिक्त पदों के न भरे जाने के कारण किए गए।	3,92.10	3,44.93	(-)47.17
(25)	03 ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें-पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति 101 स्वास्थ्य उपकेन्द्र 03 सुदूर क्षेत्र के उपकेन्द्रों में फार्मासिस्ट की व्यवस्था मूल	23,14.39		
	पुनर्वि०	(-)2,43.58		
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2011-12 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन के ₹ 67,362 भी सम्मिलित है।	20,70.81	20,70.41	(-)0.40
(26)	04 स्वास्थ्य उपकेन्द्रों की स्थापना (राज्य पोषित) मूल	16.50		
	पुनर्वि०	(-)8.19		
		8.31	8.31	0.00
(27)	05 मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सुदृढीकरण योजना मूल	20.01		
	पुनर्वि०	(-)20.01		
	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 20 मार्च 2013 को ₹ 10.00 लाख की कमी मशीन एवं उपकरणों में हुई बचत के कारण किए गए। दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 10.01 लाख के अभ्यर्पण प्रशिक्षण व्यय एवं मानदेय में हुई बचत के कारण किए गए।	0.00	0.00	0.00
(28)	103 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र 03 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना मूल	37,44.08		
	पुनर्वि०	(-)3,91.68		
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2006-07 एवं 2011-12 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन के क्रमशः ₹ 20,26,755 एवं ₹ 2,15,978 भी सम्मिलित है। प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 20 मार्च 2013 को ₹ 3.50 लाख की वृद्धि चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई। दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 3,95.18 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों के विभिन्न मदों में हुई बचत के कारण किए गए।	33,52.40	33,47.79	(-)4.61
(29)	91 जिला योजना मूल	2,13.00		
	पूरक	1,53.45		
	पुनर्वि०	(-)6.32		
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2011-12 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन के ₹ 43,657 भी सम्मिलित है।	3,60.13	3,61.30	(+)1.17



क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(30)	104 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र 03 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना			
	मूल	46,19.18		
	पूरक	2,25.99	42,43.37	43,30.77
	पुनर्वि०	(-)6,01.80		(+)87.40
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2011-12 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के ₹ 50,203 भी सम्मिलित है। प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 20 मार्च 2013 को ₹ 15.00 लाख तथा अभ्यर्पण द्वारा दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 5,86.80 लाख की कमी अधिष्ठान व्ययों के विभिन्न मदों में हुई बचत के कारण की गई।			
(31)	91 जिला योजना			
	मूल	1,80.00		
	पूरक	1,76.75	3,55.11	3,55.11
	पुनर्वि०	(-)1.64		0.00
	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 06 फरवरी 2013 को ₹ 1.25 लाख की वृद्धि सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में विद्युत व्यवस्था के लिए निधि की आवश्यकता के कारण की गई। दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 2.89 लाख के अभ्यर्पण निम्न योजनाओं में बचत के कारण किए गए—			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में विद्युत/जल व्यवस्था में ₹ 0.70 लाख</li> <li>➤ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में फर्नीचर एवं उपकरणों में ₹ 0.80 लाख</li> <li>➤ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में विभागीय लघु निर्माण कार्यों में ₹ 1.39 लाख।</li> </ul>			
(32)	110 अस्पताल तथा औषधालय 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें			
	मूल	20,00.00		
	पूरक	26,10.00	43,22.00	43,22.00
	पुनर्वि०	(-)2,88.00		0.00
(33)	06 क्षय रोग रूजालय			
	मूल	10,63.50	10,63.50	9,20.85
				(-)1,42.65
(34)	09 एलोपैथिक चिकित्सालय और औषधालय			
	मूल	39,49.20		
	पूरक	19.99	39,16.78	39,38.71
	पुनर्वि०	(-)52.41		(+)21.93
	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 20 मार्च 2013 को ₹ 1,72.00 लाख की वृद्धि एलोपैथिक चिकित्सालयों एवं औषधालयों के कर्मियों को वेतन एवं महंगाई भत्ते के भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई। दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 2,24.41 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों के विभिन्न मदों में हुई बचत के कारण किए गए।			



वार्षिक व्यय में वर्ष 2011-12 का आपत्तिगत बही उचल का समायोजन के ₹ 20,652 भी सम्मिलित है।

क्रम	लेखाशीर्षक	कुल अनुदान	वार्षिक व्यय	आधिक्य (+)	शु (₹ लाख में)
(35)	10 दिष्टी बांध प्रभावित क्षेत्रों हेतु वैकल्पिक विकल्पा सृष्टि	75.86	47.49	28.37	0.00
	मूल				
	पुनर्वित्त	(-)-28.37			
(36)	17 राजकीय एलाप्टिक विकल्पाओं की स्थापना	49,89.00	42,52.12	7,36.88	(+)-19.12
	मूल				
	पुनर्वित्त	(-)-7,36.88			
	वार्षिक व्यय में वर्ष 2011-12 के आपत्तिगत बही उचल समायोजन के ₹ 20,87,575 भी सम्मिलित है।				
	प्राधान्य में पुनर्वित्तियोजन द्वारा दिनांक 20 मार्च 2013 को ₹ 1,32.00 लाख की कमी महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ता में हुई बचत के कारण किए गए। दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 6,04.88 लाख के अस्पष्टण अधिचलन व्ययों के विभिन्न मदों में हुई बचत के कारण किए गए।				
(37)	18 ग्रामीण महिला विकल्पाओं की स्थापना	2,98.00	2,36.69	61.31	(+)-0.84
	मूल				
	पुनर्वित्त	(-)-61.31			
	वार्षिक व्यय में वर्ष 2011-12 के आपत्तिगत बही उचल समायोजन के ₹ 84,737 भी सम्मिलित है।				
	प्राधान्य में पुनर्वित्तियोजन द्वारा दिनांक 20 मार्च 2013 को ₹ 7.00 लाख की कमी महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ता में हुई बचत के कारण किए गए। दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 54.31 लाख के अस्पष्टण अधिचलन व्ययों के विभिन्न मदों में हुई बचत के कारण किए गए।				
(38)	23 राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य सलाहाकार परिषद् का अधिचलन	19.02	13.52	5.50	(-)-11.51
	मूल				
	पुनर्वित्त	(-)-5.50			
	प्राधान्य में पुनर्वित्तियोजन द्वारा दिनांक 20 मार्च 2013 को ₹ 5.50 लाख की कमी अधिचलन व्ययों के विभिन्न मदों में हुई बचत के कारण की गई।				
(39)	800 अन्य व्यय	69.40	53.03	16.37	
	मूल				
	पुनर्वित्त	(-)-16.37			
	01 कर्तीय आयोजनगत/कन्द द्वारा पुनर्वित्तियोजन योजनाय				
	मूल				
	पुनर्वित्त				

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)	
(53)	05 मातृ एवं शिशु कल्याण मूल	30,34.55	25,96.62	25,99.80	(+)3.18
	पुनर्वि०	(-)4,37.93			
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2011-12 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 3,17,802 भी सम्मिलित है। प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 20 मार्च 2013 को ₹ 40.00 लाख की कमी अन्य भत्ते में हुई बचत के कारण की गई। दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 3,97.93 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों के विभिन्न मदों में हुई बचत के कारण किए गए।				
(54)	06 कुष्ठ रोगियों की सहायता मूल	5,35.25	4,29.21	4,34.87	(+)5.66
	पुनर्वि०	(-)1,06.04			
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2006-07 एवं 2011-12 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन के क्रमशः ₹ 3,82,591 एवं ₹ 1,82,096 भी सम्मिलित है।				
(55)	99 राज्य सरकार द्वारा निजी सहभागिता के आधार पर विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों का संचालन मूल	36,00.00	31,51.92	31,51.92	0.00
	पुनर्वि०	(-)4,48.08			
	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 20 मार्च 2013 को ₹ 1,50.00 लाख तथा अभ्यर्पण द्वारा दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 2,98.08 लाख की कमी के कारणों को सूचित नहीं किया गया (अगस्त 2013)।				
(56)	102 खाद्य अपमिश्रण का निवारण 03 सरकारी जन विश्लेषक प्रयोगशाला मूल	2,76.21	2,06.48	2,06.85	(+)0.37
	पुनर्वि०	(-)69.73			
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2011-12 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन के ₹ 55,084 भी सम्मिलित है।				
(57)	104 औषधि नियंत्रण 03 ड्रग कन्ट्रोल मूल	1,14.89	90.44	90.44	0.00
	पुनर्वि०	(-)24.45			
(58)	107 लोक स्वास्थ्य प्रयोगशालायें 03 प्रभाग के मुख्य स्थानों पर प्रयोगशालायें मूल	37.13	24.02	24.02	0.00
	पुनर्वि०	(-)13.11			

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(59)	800 अन्य व्यय			
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें			
	मूल	3,32.05		
			1,85.71	
	पुनर्वि०	(-1,46.34)		0.00
(60)	04 जन्म-मरण सम्बन्धी आंकड़ों के पंजीयन और संग्रहण व्यवस्था			
	मूल	20.32		
			8.25	
	पुनर्वि०	(-12.07)		(-)0.01
(61)	06 परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्मित भवनों के मरम्मत अनुरक्षण निर्माण कार्य			
	मूल	35.00		
			31.92	
	पुनर्वि०	(-3.08)		0.00
(62)	09 दैवी आपदा व दुर्घटनाओं में उपचार हेतु चिकित्सा आपदा निधि			
	मूल	5.00		
			0.00	
	पुनर्वि०	(-5.00)		0.00
(63)	11 पार्ट टाईम दाईयों को अतिरिक्त मानदेय			
	मूल	60.00		
			53.40	
	पुनर्वि०	(-6.60)		0.00
(64)	<b>2211 परिवार कल्याण</b>			
	00			
	001 निदेशन तथा प्रशासन			
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें			
	मूल	6,76.31		
			4,89.25	
	पुनर्वि०	(-1,87.06)		(-)0.01
(65)	003 प्रशिक्षण			
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें			
	मूल	2,16.60		
			1,66.91	
	पुनर्वि०	(-49.69)		0.00



क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(3)	03 ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें-पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति			
	110 अस्पताल तथा औषधालय			
	07 उपचारिका सेवायें			
	मूल	0.00		
	पूरक	0.00	0.00	2.13
	पुनर्वि०	0.00		(+)2.13

उपरोक्त क्रम सं० (3) के शीर्ष के अन्तर्गत बिना प्रावधान के व्यय किए जाने के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)।

अनुदान के राजस्व प्रभाग के अन्तर्गत माह दिसम्बर 2012 को ₹ 35,32.46 लाख के अनुपूरक अनुदान प्राप्त किए गए। योजनाएं जिनके लिए अनुपूरक अनुदान आवंटित किए गए निम्न हैं-

- मुख्यालय अधिष्ठान
- एलोपैथिक एकीकृत चिकित्सालय एवं औषधालय
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी का अधिष्ठान
- एलोपैथिक एवं आयुर्वेदिक चिकित्सालयों की स्थापना (100 प्रतिशत के०स०)
- आयुर्वेदिक चिकित्सालयों का अधिष्ठान
- होमियोपैथिक निदेशालय का अधिष्ठान
- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का अधिष्ठान
- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में बिजली/पानी की व्यवस्था एवं लघु निर्माण कार्य
- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का अधिष्ठान
- राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को अनुदान सहायता (35,32.46 लाख) (15 प्रतिशत राज्यांश)
- एलोपैथिक चिकित्सालयों एवं औषधालयों के अन्तर्गत व्यावसायिक एवं विशेष सेवाओं का भुगतान
- राजकीय चिकित्सालयों में मशीन एवं उपकरणों की व्यवस्था
- राजकीय चिकित्सालयों में विभागीय लघु निर्माण कार्य तथा
- होमियोपैथिक चिकित्सालयों का अधिष्ठान।

#### पूँजीगत : दत्तमत-

- (vii) ₹ 2,30,96.81 लाख की अन्तिम बचत में से मात्र ₹ 1,35.21 लाख अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित किए जा सके।
- (viii) ₹ 2,30,96.81 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए ₹ 1,77,45.37 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए।
- (ix) अनुदान के पूँजीगत दत्तमत प्रभाग के अन्तर्गत पिछले पांच वर्षों से निरन्तर बचत निम्नतः रही-  
(₹ लाख में)

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2007-08	2,20,93.13	1,53,93.26	66,99.87
2008-09	1,54,69.09	76,85.62	77,83.47
2009-10	57,93.78	39,03.69	18,90.09
2010-11	1,29,40.42	66,88.88	62,51.54
2011-12	1,28,60.20	89,59.65	39,00.55



(x) बचत (अन्य शीर्षों के आधिक्य से प्रतिसंतुलित हुई) निम्न के अन्तर्गत परिलक्षित हुई:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(1)	<b>4210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय</b>			
	01 शहरी स्वास्थ्य सेवायें			
	110 अस्पताल तथा औषधालय			
	04 ब्लैड बैंक स्थापना/निर्माण कार्य			
	मूल	20.00		
			0.00	0.00
	पुनर्वि०	(-)20.00		
(2)	14 आवासीय भवनों की व्यवस्था			
	मूल	2,00.00		
			1,79.20	0.00
	पुनर्वि०	(-)20.80		
(3)	17 अनावासीय भवनों में वृहद स्तरीय अनुरक्षण विस्तारीकरण तथा निर्माण			
	मूल	2,50.00		
	पूरक	40.00	2,77.89	0.00
	पुनर्वि०	(-)12.11		
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 40.00 लाख की वृद्धि अनावासीय भवनों में वृहद स्तरीय अनुरक्षण, विस्तारीकरण तथा निर्माण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
(4)	21 सी०एम०ओ० कार्यालय भवन का निर्माण			
	मूल	50.00		
			0.00	0.00
	पुनर्वि०	(-)50.00		
(5)	22 बी०डी० पाण्डे चिकित्सालय नैनीताल का निर्माण			
	मूल	1,00.00		
			0.00	0.00
	पुनर्वि०	(-)1,00.00		
(6)	23 बेस चिकित्सालय पिथौरागढ़ का निर्माण			
	मूल	1,00.00		
			0.00	0.00
	पुनर्वि०	(-)1,00.00		

उपरोक्त क्रम सं० (5) एवं (6) के शीर्षों के अन्तर्गत दिनांक 22 मार्च 2013 को पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में कमी के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)।

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(7)	02 ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें			
	103 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र			
	91 जिला योजना			
	मूल	3,50.00		
	पूरक	98.86	4,35.86	4,35.86
	पुनर्वि०	(-)13.00		0.00
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 98.86 लाख की वृद्धि नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के भवनों के निर्माण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
(8)	110 अस्पताल तथा औषधालय			
	09 ब्लड बैंक की स्थापना/निर्माण कार्य			
	मूल	10.00		
			0.00	0.00
	पुनर्वि०	(-)10.00		0.00
(9)	91 जिला योजना			
	मूल	4,00.00		
	पूरक	6,57.49	10,50.89	10,50.90
	पुनर्वि०	(-)6.60		(+)0.01
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 6,57.49 लाख की वृद्धि नए राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालयों के भवनों के निर्माण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
(10)	800 अन्य व्यय			
	03 राज्य सेक्टर			
	मूल	2,10.01	2,10.01	1,99.65
				(-)10.36
(11)	03 चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान			
	105 एलौपैथी			
	03 श्रीनगर में मेडिकल कालेज की स्थापना			
	मूल	51,00.00	51,00.00	12,36.87
				(-)38,63.13
(12)	07 एम्स की स्थापना हेतु आधारभूत संरचना के लिए राज्य सरकार की सहायता			
	मूल	6,00.00	6,00.00	2,08.56
				(-)3,91.44
(13)	08 दून मेडिकल कालेज की स्थापना			
	मूल	8,00.00		
			83,00.00	40,00.00
	पूरक	75,00.00		(-)43,00.00
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 75,00.00 लाख की वृद्धि दून मेडिकल कालेज की स्थापना हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(14)	11 नर्सिंग स्कूल की स्थापना मूल	80.00		
	पूरक	10,00.00		
		10,80.00	6,80.85	(-)3,99.15
प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 10,00.00 लाख की वृद्धि नर्सिंग स्कूल की स्थापना हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।				
(15)	4211 परिवार कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय 00			
	101 ग्रामीण परिवार कल्याण सेवा			
	91 उपकेन्द्रों के भवनों का निर्माण (जिला योजना)			
	मूल	2,00.00		
	पूरक	2,00.00	3,98.75	0.00
	पुनर्वि०	(-)1.25		
प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 2,00.00 लाख की वृद्धि जिला योजना के अन्तर्गत उप-केन्द्रों के भवनों के निर्माण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।				
उपरोक्त क्रम सं० (1), (2), (4), (7), (8), (9) एवं (15) के शीर्षों के अन्तर्गत दिनांक 31 मार्च 2013 को किए गए अभ्यर्षण के कोई अपेक्षित कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)।				
उपरोक्त क्रम सं० (10 से 14) के शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)।				
(xi) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:				
(1)	4210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय 02 ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें			
	110 अस्पताल तथा औषधालय			
	08 शव विच्छेदन गृह का निर्माण			
	मूल	20.00		
			14.41	(-)14.41
	पुनर्वि०	(-)5.59		
वर्ष 2011-12 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।				
(2)	800 अन्य व्यय			
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें			
	मूल	15.01	15.01	(-)15.01
(3)	03 ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें			
	105 एलौपैथी			
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें			
	मूल	69,32.50	69,32.50	(-)69,32.50

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)	
(4)	10 नसिंग कालेजों की स्थापना मूल	1,50.00	1,50.00	0.00	(-)1,50.00
(5)	12 अल्मोड़ा में मेडिकल कालेज की स्थापना पूरक	75,00.00	75,00.00	0.00	(-)75,00.00
(6)	<b>4211 परिवार कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय</b> 00				
	101 ग्रामीण परिवार कल्याण सेवा				
	03 उप-केन्द्रों के भवन का निर्माण मूल	50.00	50.00	0.00	(-)50.00

वर्ष 2011-12 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)।

(xii) आधिक्य निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुआ:

(1)	<b>4210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय</b> 02 ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें				
	104 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र				
	03 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना मूल	4,00.00	4,00.00	4,64.41	(+)64.41
(2)	110 अस्पताल तथा औषधालय				
	05 तहसील स्तरीय विशिष्ट चिकित्सा सेवा सुविधा निर्माण (चालू अंश) मूल	2,00.00			
			4,04.41	4,04.41	0.00
	पुनर्वि०	2,04.41			
	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 22 मार्च 2013 को ₹ 2,04.41 लाख की वृद्धि तहसील स्तर पर चिकित्सा सेवाओं हेतु वृहत् निर्माण कार्यों के लिए निधि की आवश्यकता के कारण की गई।				
(3)	03 चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान				
	105 एलौपैथी				
	06 अल्मोड़ा में मेडिकल कालेज की स्थापना तथा बेस चिकित्सालय का उच्चीकरण मूल	5,00.00	5,00.00	11,00.00	(+)6,00.00

उपरोक्त क्रम सं० (1) एवं (3) शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)



अनुदान सं० 13 जलापूर्ति, आवास एवं नगर विकास

मुख्य लेखाशीर्ष कुल अनुदान वास्तविक व्यय आधिक्य (+)  
बचत (-)  
( ₹ हजार में )

राजस्व :

2215 जल पूर्ति तथा सफाई  
2217 शहरी विकास

दत्तमत—

मूल	5,37,29,77	6,22,89,21	4,69,67,23	(-)1,53,21,98
पूरक	85,59,44			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च, 2013)				32,71,63

पूंजीगत:

4215 जलापूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय  
4217 शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय

दत्तमत—

मूल	4,92,50,00	5,59,50,00	2,51,50,98	(-)3,07,99,02
पूरक	67,00,00			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च, 2013)				91

टिप्पणियां एवं टीकायें

राजस्व :

दत्तमत—

- ₹ 1,53,21.98 लाख की अन्तिम बचत में से मात्र ₹ 32,71.63 लाख अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित किए जा सके।
- ₹ 1,53,21.98 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2012 को प्राप्त अनुपूरक अनुदान ₹ 85,59.44 लाख अनावश्यक सिद्ध हुए।
- अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अन्तर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरन्तर बचत निम्नतः रही—  
( ₹ लाख में )

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2007-08	4,72,86.05	4,04,40.69	68,45.36
2008-09	7,04,82.17	6,16,13.60	88,68.57
2009-10	8,81,86.35	8,34,11.61	47,74.74
2010-11	8,47,77.60	4,74,98.08	3,72,79.52
2011-12	6,49,00.76	4,13,24.43	2,35,76.33

(iv) बचत निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुई:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(1)	<b>2215 जल पूर्ति तथा सफाई</b>			
	01 जलपूर्ति			
	101 शहरी जलपूर्ति कार्यक्रम			
	06 चारधाम यात्रा/पर्यटन मार्गों पर पेयजल उपलब्ध कराना			
	मूल	50.00	50.00	45.99
	पुनर्वि०			(-)4.01
(2)	102 ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम			
	07 केन्द्रीय पोषित योजनाओं पर देय विभागीय शुल्क का भुगतान			
	मूल	10,00.00	10,00.00	8,93.76
	पुनर्वि०			(-)1,06.24
(3)	09 रीवर बैंक फिल्ट्रेशन तकनीक पर विभिन्न निष्क्रिय स्रोतों के जीर्णोद्धार हेतु अनुदान			
	पूरक	1,00.00		
	पुनर्वि०	(-)10.34	89.66	89.66
				0.00
(4)	97 बाह्य/विश्व बैंक सहायतित			
	मूल	1,80,00.00		
	पुनर्वि०	(-)5,43.00	1,74,57.00	1,50,00.00
				(-)24,57.00
(5)	800 अन्य व्यय			
	03 पेयजल सलाहकार समिति			
	मूल	25.00	25.00	3.65
	पुनर्वि०			(-)21.35
(6)	04 कन्सलटेंसी, रिमोट सेंसिंग एवं मास्टर प्लान			
	मूल	35.00		
	पुनर्वि०	(-)13.90	21.10	4.40
				(-)16.70
(7)	05 रेन वाटर हार्वेस्ट हेतु अनुदान			
	पूरक	10.00		
	पुनर्वि०	(-)10.00	0.00	0.00
				0.00
(8)	02 मल निकासी एवं सफाई			
	105 सफाई सेवाएं			
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	55,83.74		
	पुनर्वि०	(-)26,38.06	29,45.68	29,45.68
				0.00

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(9)	<b>2217 शहरी विकास</b>			
	03 छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास			
	001 निदेशन तथा प्रशासन			
	06 नगर एवं ग्राम्य नियोजन अधिष्ठान			
	मूल	3,40.95		
			3,51.65	
	पूरक	10.70		
			2,84.31	(-)67.34
(10)	07 विहित अधिकारियों का अधिष्ठान			
	मूल	1,51.46		
			1,58.96	
	पूरक	7.50		
			1,44.78	(-)14.18
(11)	191 स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों को सहायता			
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	32,19.25	32,19.25	16,26.95
				(-)15,92.30
(12)	03 नगरों का समेकित विकास			
	मूल	4,40.03		
			14,40.03	
	पूरक	10,00.00		
			10,09.12	(-)4,30.91
(13)	97 वाह्य सहायतित योजना			
	मूल	50,00.00	50,00.00	11,85.00
				(-)38,15.00
(14)	800 अन्य व्यय			
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	82,07.90	82,07.90	21,66.57
				(-)60,41.33
(15)	04 नगरों का समेकित विकास			
	001 निदेशन तथा प्रशासन			
	01 स्थानीय निकाय अधिष्ठान			
	मूल	96.56		
			1,04.31	
	पूरक	7.75		
			92.65	(-)11.66
(16)	80 सामान्य			
	001 निदेशन तथा प्रशासन			

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
	03 नगर पंचायतों का चुनाव मूल	1,47.60		
	पूरक	1,47.72		
		2,95.32	2,89.25	(-)6.07
(17)	04 उत्तराखण्ड सफाई कर्मचारी आयोग मूल	19.85		
	पूरक	7.55		
		27.40	14.53	(-)12.87
(18)	800 अन्य व्यय			
	03 हरिद्वार कुम्भ मेला अस्थाई अधिष्ठान पूरक	48.22		
		48.22	40.07	(-)8.15
(19)	04 शहरी भूमि सीमा रोपण मूल	49.16		
		49.16	47.88	(-)1.28
(20)	06 मेला प्राधिकरण का अधिष्ठान मूल	28.16		
		28.16	23.58	(-)4.58
(21)	07 उत्तराखण्ड आवास एवं विकास परिषद् मूल	53.22		
	पुनर्वि०	(-)28.76		
		24.46	24.46	0.00
(22)	08 शहरी पर्यावरण संरक्षण परिषद् मूल	11.79		
		11.79	2.21	(-)9.58

उपरोक्त क्रम सं० (3), (4), (6), (7), (8) एवं (21) के शीर्षों के अन्तर्गत दिनांक 31 मार्च 2013 को अभ्यर्पण निधि के विलम्ब से स्वीकृत होने तथा प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण किए गए।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत जहां परिलक्षित हुए हैं, के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)।

(v) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

(1)	<b>2215 जल पूर्ति तथा सफाई</b>			
	02 मल निकासी एवं सफाई			
	106 वायु एवं जल प्रदूषण का निवारण			
	05 गंगा यमुना एवं सहायक नदियों को प्रदूषण मुक्त करना मूल	20.00		
			14.34	0.00
	पुनर्वि०	(-)5.66		(-)14.34

वर्ष 2011-12 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।



क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(2)	<b>2217 शहरी विकास</b>			
	03 छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास			
	001 निदेशन तथा प्रशासन			
	08 परियोजनाओं की प्रारम्भिक तैयारियों एवं रिपोर्ट तैयार करने हेतु			
	मूल	20.01	20.01	0.00
				(-)20.01
	वर्ष 2011-12 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			
(3)	04 नगरों का समेकित विकास			
	001 निदेशन तथा प्रशासन			
	02 शहरी विकास योजना अनुश्रवण परिषद्			
	मूल	15.05	15.05	0.00
				(-)15.05

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)।

(vi) आधिक्य निम्न शीर्ष के अन्तर्गत परिलक्षित हुआ:

### 2215 जल पूर्ति तथा सफाई

01 जलपूर्ति

101 शहरी जलपूर्ति कार्यक्रम

05 नगरीय पेय जल

मूल 70,90.00

पूरक 23,10.00

पुनर्वि० (-)21.91

93,78.09 1,18,91.49 (+)25,13.40

दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 21.91 लाख के अभ्यर्षण स्वीकृत/प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण किए गए।

उक्त शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)।

अनुदान के राजस्व प्रभाग के अन्तर्गत माह दिसम्बर 2012 को ₹ 85,59.44 लाख के अनुपूरक अनुदान प्राप्त किए गए। इसमें ₹ 73,30.00 लाख जलापूर्ति एवं स्वच्छता के लिए सहायक अनुदान तथा ₹ 12,29.44 लाख शहरी विकास के विभिन्न विभागों के अधिष्ठान व्ययों की पूर्ति के लिए थे। कुल मिलाकर अनुदान के राजस्व प्रभाग के निम्न योजनाओं हेतु अनुपूरक अनुदान प्रदान किए गए—

जलापूर्ति तथा स्वच्छता हेतु अनुपूरक अनुदान द्वारा सहायक अनुदान

- नगरीय पेयजल योजनाओं का पुनर्गठन, जीर्णोद्धार सुदृढीकरण हेतु अनुदान
- अवशेष विद्युत देयकों का उत्तराखण्ड विद्युत निगम को भुगतान
- हैण्ड पम्पों की मरम्मत/रख-रखाव आयरन रिमूवल यंत्र हेतु अनुदान
- पम्पिंग योजनाओं के रख-रखाव हेतु अनुदान
- रीवर बैंक फिल्डेशन तकनीक पर विभिन्न निष्क्रिय स्रोतों के जीर्णोद्धार हेतु

- ग्रामीण पेयजल योजनाओं के जल शोधन संयंत्रों के जीर्णोद्धार हेतु अनुदान
- जल विभाग के कर्मियों को सेवानिवृत्तिक लाभ का भुगतान
- जल संस्थान के कार्मिकों को ग्रेच्युटी के भुगतान हेतु अनुदान
- रेन वाटर हार्वेस्टिंग हेतु अनुदान तथा
- गंगा कार्यकारी योजना के अन्तर्गत रख-रखाव हेतु जल संस्थान को अनुदान।

शहरी विकास के अधिष्ठान व्ययों की पूर्ति हेतु विभिन्न योजनाओं/विभागों को आवंटित अनुपूरक अनुदान निम्न है—

- नगर एवं ग्राम्य नियोजन अधिष्ठान
- विहित अधिकारियों का अधिष्ठान
- नगर निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन परियोजना का क्रियान्वयन
- शहरी विकास निदेशालय अधिष्ठान
- नगर पंचायतों का चुनाव का अधिष्ठान
- उत्तराखण्ड सफाई कर्मचारी आयोग
- हरिद्वार कुम्भ मेला अस्थाई अधिष्ठान।

**पूँजीगत:**  
**दत्तमत—**

- (vii) ₹ 3,07,99.02 लाख की अन्तिम बचत में से मात्र ₹ 0.91 लाख अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित किए जा सके।  
 (viii) ₹ 3,07,99.02 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए ₹ 67,00.00 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए।  
 (ix) बचत निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुई:

(1)	<b>4215 जलपूर्ति तथा सफाई पर पूँजीगत परिव्यय</b>				
	01 जल पूर्ति				
	101 शहरी जल पूर्ति				
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना				
	मूल	5,00.00			
			1,31.05	1,31.05	0.00
	पुनर्वि०	(-)3,68.95			
	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 28 फरवरी 2013 को ₹ 3,68.95 लाख की कमी शहरी पेयजल योजना में निधि की वास्तविक आवश्यकता के आधार पर की गई।				

(2)	102 ग्रामीण जल पूर्ति				
	91 जिला योजना				
	मूल	35,00.00			
			37,00.00	35,97.86	(-)1,02.14
	पूरक	2,00.00			
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 2,00.00 लाख की वृद्धि ग्रामीण पेयजल तथा जलोत्सारण योजना हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।				

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(1)	4215 जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परियोजनाएँ	10,00.00	31,00.00	44,68.04
	मूल	10,00.00	31,00.00	44,68.04
	पूरक	3,68.04	3,68.04	0.00
	पूनाई			
	03 ग्रामीण पंचायत सेक्टर			
	01 जल पूर्ति			
	102 ग्रामीण जल पूर्ति			
	03 ग्रामीण पंचायत सेक्टर			

(xi) आधिक्य निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुए:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(1)	4217 शहरी विकास पर पूंजीगत परियोजनाएँ	50.00	50.00	0.00
	03 शहरी विकास निदेशालय का भवन निर्माण	50.00	50.00	0.00
	051 निर्माण			
	03 छोटें तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समन्वित विकास			
	03 छोटें तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समन्वित विकास			

(x) दृष्टांत जहाँ सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(4)	97 शहरी विकास परियोजनाएँ	2,00,00.00	2,00,00.00	0.00
	मूल	2,00,00.00	2,00,00.00	0.00
	800 अन्य व्यय			
	01 कन्द्रीय आयाजनागत/कन्द्रीय प्रयोजित योजनाएँ			
	मूल	2,36,00.00	2,36,00.00	0.00
	99,08.13			
	(-),1,36,91.87			

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(3)	4217 शहरी विकास पर पूंजीगत परियोजनाएँ	9,00.00	9,00.00	0.00
	03 शहरी विकास निदेशालय का भवन निर्माण	9,00.00	9,00.00	0.00
	191 स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास, प्राधिकरणों तथा नगर सुधार बोर्डों को सहायता			
	03 छोटें तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समन्वित विकास			
	03 शहरी विकास निदेशालय का भवन निर्माण			
	पूरक	9,00.00	9,00.00	0.00
	मूल	1,86.26	1,86.26	0.00
	(-),7,13.74			

(₹ लाख में)  
बचत (-)  
आधिक्य (+)

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(2)	4217 राष्ट्रीय विकास पर पूंजीगत परिव्यय			
	03 छोटें तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समकित विकास			
	800 अन्य व्यय			
	03			
	मूल	0.00		
	पूरक	0.00		
	पुनर्वि०	0.00		
			0.00	
			11,18.58	(+)11,18.58

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत बिना प्रावधान के व्यय किए जाने के कारणों को स्पष्टित नहीं किया गया। (अप्रैल 2013)।





(iv) बचत निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुई:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(1)	<b>2220 सूचना तथा प्रसार</b>			
	01 फिल्म			
	105 फिल्मों का निर्माण			
	03 अधिष्ठान			
	मूल	86.81		
			96.81	
	पूरक	10.00	79.82	(-)16.99
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 10.00 लाख की वृद्धि अधिष्ठान व्ययों की पूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
(2)	<b>60 अन्य</b>			
	001 निदेशन तथा प्रशासन			
	03 अधिष्ठान व्यय			
	मूल	3,75.87		
			4,43.87	
	पूरक	68.00	4,24.57	(-)19.30
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 68.00 लाख की वृद्धि कार्यालय व्यय एवं आतिथ्य व्यय की पूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
(3)	<b>101 विज्ञापन तथा दृश्य प्रचार</b>			
	03 गीत एवं नाट्य योजना			
	मूल	10.00	10.00	
			8.97	(-)1.03
(4)	<b>05 अधिष्ठान</b>			
	मूल	28,74.95		
			31,24.95	
	पूरक	2,50.00	31,19.63	(-)5.32
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 2,50.00 लाख की वृद्धि विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
(5)	<b>91 जिला योजना</b>			
	मूल	33.00	33.00	
			31.51	(-)1.49
(6)	<b>102 सूचना केन्द्र</b>			
	03 सूचना केन्द्र का अधिष्ठान			
	मूल	72.22	72.22	
			64.44	(-)7.78
(7)	<b>04 हल्द्वानी मीडिया सेंटर</b>			
	मूल	8.63	8.63	
			5.60	(-)3.03

2220 योजना तथा प्रसार 01 कि० म०

(v) देखा जा रहा है कि अनुदान अग्रिम रूप से:

उपरोक्त शीर्षक के अन्तर्गत व्ययों का अनुदान नहीं किन्तु जाने तथा अन्तिम व्यय के कारण सीमित नहीं किन्तु म० (अगस्त 2013)।

क्र० सं०	विवरण	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) / बचत (-) (₹ लाख में)
(8)	103 प्रसूतना सेवाएं 03 उत्तराखण्ड में प्रसूतना की स्थापना	10.01	7.11	(-2.90)
(9)	05 टेली प्रिंटर योजना	30.00	19.46	(-10.54)
(10)	106 क्षेत्र प्रचार 03 अधिष्ठान	2,71.50	2,13.68	(-57.82)
(11)	04 जिला सूचना कार्यालय का सुदृढीकरण (जियोथो)	5.00	2.52	(-2.48)
(12)	109 फोटो सेवाएं 03 अधिष्ठान	38.46	24.89	(-13.57)
(13)	110 प्रकाशन 03 अधिष्ठान	88.26	68.66	(-19.60)
(14)	91 जिला योजना	7.00	5.17	(-1.83)
(15)	800 अन्य व्यय 03 स्वतंत्रता तथा गणतन्त्र दिवस समारोह (उत्तराखण्ड साहित्यिक को-ऑर्डिनेटर) उत्सवों आदि पर	16.00	11.39	(-4.61)
(16)	07 प्रदेश में महिला सलाहकार समिति का गठन	15.00	1.99	(-13.01)

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
105	फिल्मों का निर्माण			
06	फिल्म परिषद् की स्थापना			
	मूल	1.00	1.00	0.00
				(-)1.00

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)।

(vi) आधिक्य निम्न शीर्ष के अन्तर्गत परिलक्षित हुआ:

**2220 सूचना तथा प्रसार**

60 अन्य

800 अन्य व्यय

06 श्रमजीवी पत्रकारों के चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति

मूल 5.00 5.00 7.00 (+)2.00

उपरोक्त शीर्ष के अन्तिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)।

**पूँजीगत :**

**दत्तमत—**

(vii) पूँजीगत दत्तमत अनुदान के अन्तर्गत ₹ 37.60 लाख का व्ययाधिक्य हुआ। व्ययाधिक्य के नियमितीकरण की आवश्यकता है।

(viii) आधिक्य निम्न शीर्ष के अन्तर्गत परिलक्षित हुआ:

**4059 लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय**

60 अन्य

051 निर्माण

03 सूचना निदेशालय हेतु भवन निर्माण की व्यवस्था

मूल 1,00.00 1,00.00 1,37.60 (+)37.60

उक्त शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)।



## अनुदान सं० 15 कल्याण योजनायें

मुख्य लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) ( ₹ हजार में )
<b>राजस्व :</b>			
2225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण			
2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण			
2250 अन्य सामाजिक सेवाएं			
2251 सचिवालय-सामाजिक सेवाएं			
<b>दत्तमत-</b>			
मूल	6,39,20,42		
		7,08,88,22	(-)1,91,95,78
पूरक	69,67,80		
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च, 2013)			1,21,57,56
<b>पूंजीगत :</b>			
4225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
4235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय			
4250 अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
<b>दत्तमत-</b>			
मूल	18,85,52		
		26,35,52	(-)3,53,99
पूरक	7,50,00		
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च, 2013)			1,00,00
<b>टिप्पणियां एवं टीकायें</b>			
<b>राजस्व :</b>			
<b>दत्तमत-</b>			
(i) ₹ 1,91,95.78 लाख की अन्तिम बचत में से मात्र ₹ 1,21,57.56 लाख अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित किए जा सके।			
(ii) ₹ 1,91,95.78 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2012 को प्राप्त अनुपूरक अनुदान ₹ 69,67.80 लाख अनावश्यक सिद्ध हुए।			
(iii) अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अन्तर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरन्तर बचत निम्नतः रही-			
			( ₹ लाख में )
वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2007-08	2,69,51.15	2,33,10.19	36,40.96
2008-09	3,32,24.04	2,38,71.17	93,52.87
2009-10	3,41,61.79	2,61,18.71	80,43.08
2010-11	4,65,25.84	3,81,53.51	83,72.33
2011-12	6,47,07.12	4,49,62.43	1,97,44.69

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(13)	04 परिवीक्षा सेवा क्षेत्र मूल	97.06	78.70	(-)18.36
(14)	05 बाल कल्याण कोर्ट बोर्ड की स्थापना मूल	35.10	30.88	(-)4.22
(15)	06 बाल कल्याण की विविध योजनायें मूल	5,13.51		
	पुनर्वि०	(-)1,22.71		
	दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 1,22.71 लाख के अभ्यर्पण जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा निधि का उपभोग न किए जाने तथा बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्यों की नियुक्ति न होने पर हुई बचत के कारण किए गए।			
(16)	07 संस्थानों/गृहों का संचालन मूल	5,69.34	4,92.44	(-)76.90
(17)	11 अनुपूरक पोषाहार का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन (राज्य योजना) मूल	3.00	0.00	0.00
	पुनर्वि०	(-)3.00		
(18)	14 पोषक मापक/स्तनपान योजना (राज्य योजना) मूल	10.00	0.00	0.00
	पुनर्वि०	(-)10.00		
	उपरोक्त क्रम सं० (11) एवं (12) के शीर्षों के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अभ्यर्पण के कोई स्पष्ट कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)।			
(19)	15 निदेशालय हेतु अतिरिक्त स्टाफ की व्यवस्था मूल	57.70	35.53	(-)0.01
	पुनर्वि०	(-)22.16		
	दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 22.16 लाख के अभ्यर्पण रिक्त पदों के न भरे जाने के कारण किए गए।			
(20)	103 महिला कल्याण 09 अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम 1956 के अधीन अतिरिक्त उद्धार संगठनों की स्थापना मूल	7.40	2.24	(-)5.16





क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)	
(29)	04 भिक्षावृत्ति का निवारण मूल	56.80	56.80	42.72	(-)14.08
(30)	800 अन्य व्यय 07 योजनाओं का मूल्यांकन, प्रचार प्रसार मूल	20.00	20.00	9.88	(-)10.12
(31)	91 सम्प्रेक्षण गृहों आदि का अनुरक्षण एवं सुदृढीकरण मूल	30.00	30.00	0.20	(-)29.80
(32)	60 अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम 102 समाज सुरक्षा योजनाओं के अधीन पेंशन 05 सामाजिक सुरक्षा के अन्तर्गत वृद्धावस्था पेंशन मूल	64,25.00	64,60.58	63,75.79	(-)84.79
	पूरक	35.58			
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 35.58 लाख की वृद्धि वृद्धावस्था पेंशन के भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।				
(33)	91 पेंशन शिविरों का आयोजन मूल	30.00	30.00	28.10	(-)1.90
(34)	200 अन्य कार्यक्रम 03 सैनिकों का कल्याण मूल	20,55.72	20,55.72	19,90.20	(-)65.52
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 का आपत्तिगत बही उच्यत का समायोजन ₹ 1,009 भी सम्मिलित है।				
(35)	800 अन्य व्यय 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना मूल	55,24.20	55,24.20	50,41.08	(-)4,83.12
(36)	06 गरीबी रेखा से नीचे निवास करने वाले परिवारों के लिए जनश्री बीमा योजना मूल	4,92.70	4,92.70	4,43.64	(-)49.06
(37)	2250 अन्य सामाजिक सेवार्थें 00 800 अन्य व्यय 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं मूल	12,66.00	37,66.00	27,14.13	(-)10,51.87
	पूरक	25,00.00			



प्रावधान में अर्जपुरक अर्जदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 25,00.00 लाख की वृद्धि अल्पसंख्यक समुदाय हेतु मन्दी सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट विकास योजना (100% कोषो) हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

कम लेखाशीर्षक अर्जदान वार्षिक व्यय आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)

(38)	04 अल्प संख्यक आयुग का अधिष्ठान	मूल	46.73	32.08	(-)	14.65
(39)	09 पन्दह सौकी कार्दकम के क्रियान्वयन पर व्यय	मूल	30.00	5.00	(-)	25.00
(40)	16 अल्प संख्यक समुदाय के कक्षा 1 से 10 के छात्रों को छात्रवृत्ति	मूल	15,00.00	4,16.37	(-)	10,83.63
(41)	18 अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय	मूल	45.75	21.70	(-)	1,01.10
		पूरक	77.05	1,22.80		

प्रावधान में अर्जपुरक अर्जदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 77.05 लाख की वृद्धि अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय के अधिष्ठान व्ययों की पूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

2251 सावित्रालय-सामाजिक सेवाय

(42)	00	092 अन्य कार्यालय	मूल	2.00			
	04	मूलक स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के दाह संस्कार हेतु उनके अश्रितों को आर्थिक सहायता	पूरक	2.00	4.00	(-)	1.28
(43)	05	स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का सम्मान तथा अन्य सहायता	मूल	15.00	0.27	(-)	14.73

उपरोक्त शीर्षक के अन्तर्गत अन्तिम बचत/आधिक्य के कारण संचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)।

(V) वृद्धित जहाँ सम्पूर्ण प्रावधान अपूर्यक्त रहे:

2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण

02 समाज कल्याण

क्रम	लेखाशीर्ष	कल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)	बचत (-)	₹ लाख में
	101 विकलांग व्यक्तियों का कल्याण					
	16 प्रदेश में समस्त जिला मुख्यालयों पर जिला विकलांग पुनर्वास केंद्र					
	मूल	65.00	65.00			
	वर्ष 2010-11 तथा 2011-12 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।					
(2)	102 बाल कल्याण					
	10 स्टीट विर्डन हेतु गृह का संभालन					
	मूल	15.00	15.00			
	वर्ष 2011-12 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।					
(3)	103 महिला कल्याण					
	16 विभिन्न विभागीय कार्यालयों से मुक्त किये एवं अन्तर्वासियों के पुनर्वासन एवं प्रशिक्षण के लिए रात सहयोग					
	मूल	20.00	20.00			
	वर्ष 2011-12 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।					
(4)	104 वृद्ध, अशक्त, दुर्बल तथा निस्सहाय निराश्रित व्यक्तियों का कल्याण					
	05 वृद्ध, अशक्त, दुर्बल तथा निस्सहाय निराश्रित व्यक्तियों का कल्याण					
	मूल	5.00	5.00			
	वर्ष 2011-12 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।					
(5)	800 अन्य व्यय					
	06 विकलांग शिक्षित बेरोजगारों के कौशल वृद्धि हेतु प्रशिक्षण योजना					
	मूल	5.00	5.00			
	वर्ष 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11 एवं 2011-12 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।					
(6)	12 शिक्षित निरक्षर अधिनियम का क्रियान्वयन					
	मूल	5.00	5.00			
	वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।					
(7)	2250 अन्य सामाजिक सेवाएं					
	800 अन्य व्यय					
	21 जिला अध्यक्षक कल्याण कार्यालयों का अधिदान					
	मूल	27.81	27.81			
	वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।					
(8)	2251 परिवार-सामाजिक सेवाएं					
	092 अन्य कार्यालय					
	मूल					
	वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।					

कम	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वार्षिक व्यय	आधिक्य (+)	अधिक्य (-)	बचत (-)	₹ लाख में
----	-----------	------------	--------------	------------	------------	---------	-----------

03 स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी संस्थान द्वारा स्वतन्त्रता जन्म शताब्दी आदि के लिए सहायक अनुदान  
 मूल 1.00  
 वर्ष 2008-09, 2009-10, 2010-11 एवं 2011-12 के दौरान भी उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्राधान्य  
 अभ्युक्त रहे थे।

उपर्युक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्राधान्य के अभ्युक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)।

(vi) आधिक्य निम्न शीर्ष के अन्तर्गत परिलक्षित हुए:

(1)	2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	02 समाज कल्याण	101 विकलांग व्यक्तियों का कल्याण	17 नि:शुल्क यात्रा के व्यय की प्रतिपूर्ति	मूल 80.00	80.00	1,27.75	(+)47.75
(2)	60 अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम	107 स्वतन्त्रता सैनिक सम्मान प्रदान योजना	03 स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों तथा उनके आश्रितों को प्रदान	मूल 10,00.00	10,00.00	11,73.49	(+)1,73.49	
(3)	2250 अन्य सामाजिक सेवाएं	800 अन्य व्यय	05 अरबी फारसी मदरसों का आर्थनिकीकरण (100 प्रतिशत कोषों)	मूल 2,52.00	4,44.54	4,95.44	(+)50.90	
				प्रक 1,92.54				
(4)	07 अरबिया मदरसों को अनुदान	मूल 25.00			25.00	1,12.49	(+)87.49	

उपर्युक्त शीर्ष के अन्तर्गत आन्तक आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)।

पूर्णागत :  
दलगत-

(vii) ₹ 3,53.99 लाख की आन्तक बचत में से मात्र ₹ 1,00.00 लाख अभ्युक्त हेतु प्रत्याहित किए जा सके।



(viii) ₹ 3,53.99 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2012 को प्राप्त अनुपूरक अनुदान ₹ 7,50.00 लाख अधिक सिद्ध हुए।

(ix) अनुदान के पूंजीगत दत्तमत प्रभाग के अन्तर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरन्तर बचत निम्नतः रही—  
(₹ लाख में)

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2007-08	10,82.63	8,67.46	2,15.17
2008-09	14,54.84	8,15.90	6,38.94
2009-10	7,60.03	2,51.37	5,08.66
2010-11	17,17.45	3,43.58	13,73.87
2011-12	32,19.88	10,16.84	22,03.04

(x) बचत मुख्यतः निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुई:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (लाख ₹ में)
(1)	<b>4225 अनुसूचित जातियों/जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय</b>			
	03 पिछड़े वर्गों का कल्याण			
	277 शिक्षा			
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	1,50.00	1,50.00	50.00 (-)1,00.00
(2)	<b>4235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय</b>			
	02 समाज कल्याण			
	103 महिला कल्याण			
	10 कार्यशील महिला छात्रावास (राज्य योजना)			
	मूल	1,00.00		
			0.00	0.00 0.00
	पुनर्वि०	(-)1,00.00		
	उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कोई स्पष्ट कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)।			
(3)	<b>60 अन्य सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रम</b>			
	200 अन्य कार्यक्रम			
	03 सैनिक कल्याण			
	मूल	2,60.00	2,60.00	1,36.20 (-)1,23.80
	उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारणों को सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)।			

(xi) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

(1)	<b>4235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय</b>			
	02 समाज कल्याण			
	101 विकलांग व्यक्तियों का कल्याण			
	05 विकलांग प्रशिक्षण केन्द्र हेतु भूमि क्रय/भवन निर्माण			
	मूल	80.00	80.00	0.00 (-)80.00
	वर्ष 2011-12 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			



क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)	
(2)	102 बाल कल्याण 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र पुरोनिधानित योजनाएं मूल	50.00	50.00	0.00	(-)50.00
	वर्ष 2009-10, 2010-11 एवं 2011-12 के दौरान भी उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।				
(3)	03 स्ट्रीट चिल्ड्रन हेतु गृहों का निर्माण मूल	50.00	3,50.00	0.00	(-)3,50.00
	पूरक	3,00.00			
	वर्ष 2011-12 के दौरान भी उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।				
(4)	04 10 वर्ष से अधिक आयु के किशोरों हेतु राज्यस्तरीय आश्रय गृहों का निर्माण मूल	25.00	25.00	0.00	(-)25.00
	वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 के दौरान भी उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।				
(5)	103 महिला कल्याण 09 18 वर्ष से अधिक आयु की बालिकाओं/महिलाओं हेतु राज्यस्तरीय उत्तर रक्षा गृहों का निर्माण मूल	25.00	25.00	0.00	(-)25.00
	वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 के दौरान भी उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।				
(6)	104 विकलांग व्यक्तियों का कल्याण 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना मूल	10.00	10.00	0.00	(-)10.00
	वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 के दौरान भी उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।				
(7)	190 सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश 03 विकलांग हेतु स्वरोजगार अंशपूजी (49 प्रतिशत के०स०) मूल	5.00	5.00	0.00	(-)5.00

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारणों को सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)।

(xii) आधिक्य निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुआ:

(1)	4250 अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय 00 800 अन्य व्यय 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना मूल	5,00.01	5,00.01	7,12.25	(+)2,12.24
(2)	05 कलियर शरीफ दरगाह परिसर के मास्टर प्लान का क्रियान्वयन मूल	0.50	0.50	3,03.25	(+)3,02.75
	उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)।				

## अनुदान सं० 16 श्रम और रोजगार

<b>मुख्य लेखाशीर्ष</b>	<b>कुल अनुदान</b>	<b>वास्तविक व्यय</b>	<b>आधिक्य (+) बचत (-) ( ₹ हजार में )</b>
------------------------	-------------------	----------------------	--------------------------------------------------

राजस्व :

**2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य**  
**2230 श्रम तथा रोजगार**

दत्तमत—

मूल	81,71,61			
		1,12,98,14	76,52,90	(-)36,45,24
पूरक	31,26,53			

वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च, 2013)

00

अनुदान के राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 2.80 हजार नहीं लिए गए हैं जो कि आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किए गए थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वर्ष के अन्त तक नहीं हुई।

पूंजीगत :

**4216 आवास पर पूंजीगत परिव्यय**

दत्तमत—

मूल	6,80,00			
		6,80,00	6,37,10	(-)42,90
पूरक	00			

वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च, 2013)

00

टिप्पणियाँ एवं टीकायें

राजस्व :

दत्तमत—

- (i) ₹ 36,45.24 लाख की अन्तिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।
- (ii) ₹ 36,45.24 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2012 को प्राप्त ₹ 31,26.53 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए।
- (iii) अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अन्तर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरन्तर बचत निम्नतः रही—

( ₹ लाख में )

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2007-08	63,15.61	24,75.06	38,40.55
2008-09	68,55.11	33,26.53	35,28.58
2009-10	51,61.34	45,99.93	5,61.41
2010-11	72,17.76	60,09.72	12,08.04
2011-12	71,43.23	59,04.03	12,39.20

(iv) बचत मुख्यतः निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुई:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(1)	<b>2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य</b>			
	01 शहरी स्वास्थ्य सेवाएं-पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति			
	102 कर्मचारी राज्य बीमा योजना			
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें			
	मूल	8,47.69		
			10,44.44	9,06.46
	पूरक	1,96.75		(-)1,37.98
(2)	<b>2230 श्रम तथा रोजगार</b>			
	01 श्रम			
	001 निदेशन तथा प्रशासन			
	03 श्रम विभाग का अधिष्ठान			
	मूल	1,82.17		
			1,94.27	1,35.36
	पूरक	12.10		(-)58.91
(3)	101 औद्योगिक सम्बन्ध			
	03 विभिन्न श्रम विनियमों के प्रवर्तन			
	मूल	4,81.16		
			4,86.66	4,01.40
	पूरक	5.50		(-)85.26
(4)	04 राज्य श्रम सलाहकार संविदा बोर्ड			
	मूल	21.51	21.51	15.35
				(-)6.16
(5)	05 औद्योगिक न्यायाधिकरण एवं श्रम न्यायालय का अधिष्ठान			
	मूल	1,42.42		
			1,56.42	1,22.13
	पूरक	14.00		(-)34.29
(6)	102 कार्य की परिस्थितियां तथा सुरक्षा			
	03 निरीक्षण अधिष्ठान			
	मूल	70.73		
			72.23	52.13
	पूरक	1.50		(-)20.10
(7)	103 सामान्य श्रम कल्याण			
	03 श्रमिक कल्याण की विविध योजनायें/कल्याण केन्द्र			
	मूल	65.98	65.98	43.35
				(-)22.63

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(8)	02 रोजगार सेवाएं 001 निदेशन तथा प्रशासन 03 रोजगार सम्बन्धी अधिष्ठान मूल	5,77.03		
	पूरक	35.65	6,12.68	4,74.63 (-)1,38.05
(9)	800 अन्य व्यय 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं मूल	14.55	14.55	5.59 (-)8.96
(10)	03 शिक्षण एवं मार्ग दर्शन केन्द्रों की स्थापना (पिछड़े वर्ग हेतु) मूल	1,23.99		
	पूरक	6.20	1,30.19	99.71 (-)30.48
(11)	07 बेरोजगारी भत्ता मूल	25.00		
	पूरक	25,00.00	25,25.00	72.99 (-)24,52.01
(12)	03 प्रशिक्षण 001 निदेशन तथा प्रशासन 01 प्रशिक्षण एवं रोजगार सम्बन्धी अधिष्ठान मूल	2,13.12		
	पूरक	6.55	2,19.67	1,78.72 (-)40.95
(13)	003 दस्तकारों तथा पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं मूल	3,89.55		
	पूरक	3,89.55	3,89.55	2,66.01 (-)1,23.54
(14)	03 दस्तकार प्रशिक्षण योजना एवं अधिष्ठान मूल	47,62.98		
	पूरक	3,06.28	50,69.26	46,59.46 (-)4,09.80
वास्तविक व्यय में वर्ष 2011-12 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन ₹ 18,878 भी सम्मिलित है।				
(15)	07 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का सुदृढीकरण मूल	1,10.00	1,10.00	1,07.60 (-)2.40



क्रम	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(16)	08 औद्योगिक प्रशिक्षण सलाहकार समिति	19.60	19.60	(-)-14.86
(17)	09 नये व्यवसाय एवं अतिरिक्त यूनित खोला जाना	48.23	48.23	(-)-8.30
(18)	102 शिक्षित प्रशिक्षण 03 शिक्षित प्रशिक्षण योजना	9.08	9.08	(-)-6.20
(1)	2230 श्रम तथा रोजगार 01 श्रम 102 कार्य की परिस्थितियां तथा सुरक्षा 04 कारखाना/बौध्दिक प्रभाग का विकेन्द्रीकरण एवं सिद्धीकरण	12.00	12.00	(-)-12.00
(2)	103 सामान्य श्रम कल्याण 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा प्रयोजित योजना	30.00	30.00	(-)-30.00
<p>(v) दृष्टित जहाँ सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:</p> <p>उपर्युक्त शीर्षों के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)।</p> <p>प्रावधान में अनुपूर्वक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 31,26.53 लाख की वृद्धि श्रम एवं रोजगार की निम्न योजनाओं के अतिरिक्त व्ययों की पूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई-</p>				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ श्रम विभाग का अतिरिक्त</li> <li>➤ औद्योगिक न्यायालय एवं श्रम न्यायालय का अतिरिक्त</li> <li>➤ निरीक्षण अतिरिक्त</li> <li>➤ कारखाना/बौध्दिक का विकेन्द्रीकरण एवं सिद्धीकरण</li> <li>➤ बर्खास्त श्रमिकों के पुनर्वासन की योजना (50 प्रतिशत कोषों)</li> <li>➤ रोजगार अतिरिक्त के अन्तर्गत रोजगार सेवाएं</li> <li>➤ प्रशिक्षण एवं मार्गदर्शन केन्द्रों की स्थापना (पिछड़ी जातियों के लिए)</li> <li>➤ प्रशिक्षण एवं रोजगार संबंधी अतिरिक्त</li> <li>➤ बेरोजगारी भत्ता तथा</li> <li>➤ दरतकार प्रशिक्षण योजना अतिरिक्त।</li> </ul>			

पूँजीगत :  
दत्तमत—

- (vi) ₹ 42.90 लाख की अन्तिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।  
(vii) अनुदान के पूँजीगत दत्तमत प्रभाग के अन्तर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरन्तर बचत निम्नतः रही—  
(लाख ₹ में)

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2007-08	10,95.30	10,59.87	35.43
2008-09	6,00.00	1,06.68	4,93.32
2009-10	2,65.00	2,19.18	45.82
2010-11	8,37.68	6,71.20	1,66.48
2011-12	16,92.75	10,47.25	6,45.50

(viii) बचत निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुई:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(1)	<b>4216</b> आवास पर पूँजीगत परिव्यय 80 सामान्य 001 निदेशन तथा प्रशासन 03 श्रमायुक्त के अधीन आवासीय/अनावासीय भवन/भूमि क्रय मूल	80.00	80.00	65.00 (-)15.00
(2)	07 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का सुदृढीकरण मूल	5,00.00	5,00.00	4,92.10 (-)7.90
(3)	003 प्रशिक्षण 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना मूल	1,00.00	1,00.00	80.00 (-)20.00

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)।

## अनुदान सं० 17 कृषि कर्म एवं अनुसंधान

मुख्य लेखाशीर्ष

कुल अनुदान

वास्तविक व्यय

आधिक्य (+)  
बचत (-)  
( ₹ हजार में )

राजस्व :

- 2401** फसल कृषि कर्म  
**2402** मृदा तथा जल संरक्षण  
**2415** कृषि अनुसन्धान तथा शिक्षा

दत्तमत—

मूल	3,96,13,96			
		4,16,25,70	2,84,42,94	(-)1,31,82,76
पूरक	20,11,74			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च, 2013)				00

पूंजीगत :

- 4401** फसल कृषि-कर्म पर पूंजीगत परिव्यय  
**6401** फसल कृषि-कर्म के लिए कर्ज

दत्तमत—

मूल	26,47,32			
		1,78,30,32	1,91,57,53	(+ )13,27,21
पूरक	1,51,83,00			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च, 2013)				00

टिप्पणियाँ एवं टीकायें

राजस्व :

दत्तमत—

- (i) ₹ 1,31,82.76 लाख की अन्तिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।
- (ii) ₹ 1,31,82.76 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2012 को प्राप्त अनुपूरक अनुदान के ₹ 20,11.74 लाख अनावश्यक सिद्ध हुए।
- (iii) अनुदान के राजस्व दत्तमत अनुभाग के अन्तर्गत पिछले पांच वर्षों से निरन्तर बचत निम्नवत् रही—

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	( ₹ लाख में ) बचत
2007-08	2,37,28.25	2,12,15.65	25,12.60
2008-09	3,02,24.50	2,69,89.64	32,34.86
2009-10	2,80,56.67	2,66,25.09	14,31.58
2010-11	4,31,49.32	3,48,78.15	82,71.17
2011-12	4,64,41.32	4,19,68.13	44,73.19

(iv) बचत मुख्यतः निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुई:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(1)	<b>2401 फसल कृषि कर्म</b>			
	00			
	001 निदेशन तथा प्रशासन			
	04 कृषि विभाग का सामान्य अधिष्ठान			
	मूल	71,91.01		
			73,76.01	
	पूरक	1,85.00		
			71,81.10	(-),94.91
प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 1,85.00 लाख की वृद्धि कृषि विभाग के अधिष्ठान व्ययों की पूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।				
(2)	102 खाद्यान्नों की फसलें			
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं			
	मूल	21,91.01	21,91.01	
			13,80.95	(-),8,10.06
(3)	03 स्थानीय फसलों को प्रोत्साहन कार्यक्रम			
	मूल	14.51	14.51	
			5.06	(-),9.45
(4)	04 खाद्यान्न सुरक्षा कार्यक्रम			
	मूल	10.00	10.00	
			7.70	(-),2.30
(5)	108 वाणिज्यिक फसलें			
	03 गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग का अधिष्ठान			
	मूल	10,58.79	10,58.79	
			8,34.17	(-),2,24.62
(6)	05 प्रदेश स्तरीय गन्ना विकास सलाहकार समिति			
	मूल	15.00	15.00	
			4.20	(-),10.80
(7)	110 फसल बीमा			
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं			
	मूल	6,00.00	6,00.00	
			27.79	(-),5,72.21
(8)	111 कृषि अर्थ व्यवस्था तथा सांख्यिकी			
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं			
	मूल	46.14	46.14	
			35.58	(-),10.56
(9)	112 दालों का विकास			
	03 अरहर टी0एल0 बीज वितरण			
	पूरक	14.53	14.53	
			9.74	(-),4.79



क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)	
(10)	113 कृषि इंजीनियरिंग 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं मूल	1,00.00	1,79.00	78.96	(-)1,00.04
	पूरक	79.00			
<p>प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 79.00 लाख की वृद्धि आकस्मिकता निधि से पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी एवं मैनेजमेंट योजना (100 प्रतिशत के०पो०) हेतु लिए गए अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।</p>					
(11)	800 अन्य योजनायें 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना मूल	1,17,44.31	1,17,44.31	9,50.88	(-)1,07,93.43
(12)	04 कृषि निवेश भण्डारों प्रक्षेत्रों तथा प्रशिक्षण केन्द्रों का सुदृढीकरण मूल	1,64.02	1,64.02	1,60.38	(-)3.64
(13)	05 जलागम प्रबन्ध निदेशालय मूल	51.69	51.69	33.13	(-)18.56
(14)	06 विभिन्न प्रयोगशालाओं का संचालन व्यय मूल	38.75	38.75	37.18	(-)1.57
(15)	11 जलागम प्रबन्ध परियोजनाएं अनुश्रवण विकास परिषद् मूल	12.45	12.45	1.02	(-)11.43
<p>वास्तविक व्यय में वर्ष 2011-12 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन के ₹ 43,000 भी सम्मिलित है।</p>					
(16)	91 जिला योजना मूल	3,91.00	5,99.21	5,61.92	(-)37.29
	पूरक	2,08.21			
(17)	97 बाह्य सहायतित योजना मूल	32,19.21	32,19.21	28,83.03	(-)3,36.18
<p>वास्तविक व्यय में वर्ष 2010-11 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन के ₹ 5,19,991 भी सम्मिलित है।</p>					
(18)	<b>2415 कृषि अनुसंधान</b> 80 सामान्य				

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
	120 अन्य संस्थाओं को सहायता			
	03 कृषि विश्वविद्यालय पन्तनगर को सहायक अनुदान			
	मूल	99,10.00		
	पूरक	15,00.00		
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 15,00.00 लाख की वृद्धि कृषि विश्वविद्यालय, पन्तनगर के शिक्षण/शिक्षणेत्तर कर्मियों के वेतन एवं भत्तों के भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।	1,14,10.00	1,14,00.00	(-)10.00
(19)	04 भरसाड़ औद्योगिक महाविद्यालय			
	मूल	15,00.00	15,00.00	14,07.04
				(-)92.96
(20)	05 पन्तनगर विश्वविद्यालय में वाह्य शोध केन्द्रों का निर्माण			
	मूल	3,00.00		
	पुनर्वि०	(-)1,11.94		
	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 25 मार्च 2013 को ₹ 1,11.94 लाख की कमी पन्त नगर विश्वविद्यालय में वाह्य शोध केन्द्रों के निर्माण योजना में निधि की आवश्यकता न होने के कारण की गई।	1,88.06	50.00	(-)1,38.06
(21)	08 कृषि विश्वविद्यालय, पन्तनगर के सुदृढीकरण की विशिष्ट योजना			
	मूल	1,50.00		
	पुनर्वि०	1,11.94		
	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 25 मार्च 2013 को ₹ 1,11.94 लाख की वृद्धि कृषि विश्वविद्यालय, पन्तनगर के सुदृढीकरण योजना हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।	2,61.94	2,08.10	(-)53.84
उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत बचत का अभ्यर्पण नहीं किए जाने तथा अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)।				
(v) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:				
(1)	2401 फसल कृषि कर्म			
	00			
	107 वनस्पति संरक्षण			
	91 जिला योजना			
	मूल	50.00	50.00	0.00
				(-)50.00
(2)	800 अन्य व्यय			
	12 मृदा परीक्षण प्रसार कार्यक्रम			
	मूल	1.00	1.00	0.00
	उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)।			(-)1.00

(vi) आधिक्य मुख्यतः निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुए:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)	
(1)	<b>2401 फसल कृषि कर्म</b> 00				
	103 बीज				
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना (100 प्रतिशत के०पो०)				
	मूल	0.01	0.01	3,01.58	(+)3,01.57
(2)	03 प्रयोगात्मक प्रक्षेत्र प्रदर्शन और बीज बर्द्धन प्रक्षेत्र				
	मूल	25.01	25.01	26.81	(+)1.80
(3)	119 औद्यानिक एवं सब्जियों की फसलें				
	03 औद्यानिक विकास				
	मूल	0.00			
	पूरक	0.00	0.00	2.14	(+)2.14
	पुनर्वि०	0.00			

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)।

पूँजीगत :  
दत्तमत—

- (vii) अनुदान के पूँजीगत दत्तमत प्रभाग के अन्तर्गत ₹ 13,27.21 लाख का व्ययाधिक्य हुआ। व्ययाधिक्य के नियमितीकरण की आवश्यकता है।
- (viii) ₹ 13,27.21 लाख के व्ययाधिक्य को देखते हुए माह दिसम्बर 2012 को अनुपूरक अनुदान द्वारा स्वीकृत ₹ 1,51,83.00 लाख अपर्याप्त सिद्ध हुए।
- (ix) बचत मुख्यतः निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुई:

(1)	<b>4401 फसल कृषि-कर्म पर पूँजीगत परिव्यय</b> 00				
	103 बीज				
	03 खाद्यान्न/दलहन/तिलहन/बीज की लागत प्रासंगिक व्यय सहित				
	मूल	15,00.00	15,00.00	9,49.99	(-)5,50.01
(2)	800 अन्य व्यय				
	05 विभागीय भवनों का निर्माण एवं अनुरक्षण				
	मूल	43.00	43.00	31.24	(-)11.76
(3)	<b>6401 फसल कृषि कर्म के लिए कर्ज</b> 00				

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
109	वाणिज्यिक फसलें			
10	उत्तराखण्ड सहकारी क्षेत्र/निगम की मिलों को ऋण मूल	25,19.32		
	पूरक	1,36,83.00		
		1,62,02.32	1,56,36.32	(-)5,66.00

प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 1,36,83.00 लाख की वृद्धि किसानों को वर्ष 2011-12 के अवशेष गन्ना मूल्य के भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत बचत का अभ्यर्पण नहीं किए जाने तथा अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)।

(x) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा:

#### 6401 फसल कृषि कर्म के लिए कर्ज

00

109 वाणिज्यिक फसलें

03 एन0सी0डी0सी0 योजना उर्वरक गोदाम निर्माण हेतु ऋण

मूल	45.00	45.00	0.00	(-)45.00
-----	-------	-------	------	----------

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)।

(xi) आधिक्य निम्न शीर्ष के अन्तर्गत परिलक्षित हुआ:

#### 4401 फसल कृषि-कर्म पर पूंजीगत परिव्यय

00

107 वनस्पति संरक्षण

03 कीटनाशक औषधियों की खरीद एवं माइक्रो न्यूट्रिमेंट की लागत जिसमें प्रांसगिक व्यय सम्मिलित है

मूल	4,50.00	4,50.00	9,99.98	(+)5,49.98
-----	---------	---------	---------	------------

उक्त शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)।



## अनुदान सं० 18 सहकारिता

मुख्य लेखाशीर्ष कुल अनुदान वास्तविक व्यय आधिक्य (+)  
बचत (-)  
( ₹ हजार में )

राजस्व :

### 2425 सहकारिता

दत्तमत—

मूल	37,01,27			
		38,32,17	32,29,16	(-)6,03,01
पूरक	1,30,90			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च, 2013)				00

अनुदान के राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 7 हजार नहीं लिए गए हैं जो कि आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किए गए थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वर्ष के अन्त तक नहीं हुई।

पूँजीगत :

### 4425 सहकारिता पर पूँजीगत परिव्यय

### 6425 सहकारिता के लिए कर्ज

दत्तमत—

मूल	4,50,00			
		4,80,00	4,80,00	00
पूरक	30,00			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च, 2013)				00

टिप्पणियां एवं टीकायें

राजस्व :

दत्तमत—

- (i) ₹ 6,03.01 लाख की अन्तिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।
- (ii) ₹ 6,03.01 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2012 को ₹ 1,30.90 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए।
- (iii) अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अन्तर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरन्तर बचत निम्नतः रही—

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	( ₹ लाख में ) बचत
2007-08	21,68.20	20,29.05	1,39.15
2008-09	22,15.12	14,42.67	7,72.45
2009-10	27,72.05	25,89.12	1,82.93
2010-11	30,79.28	25,92.23	4,87.05
2011-12	42,30.95	32,00.65	10,30.30

(iv) बचत निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुई:

क्रम	लेखाशीर्ष	कैल अर्जदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(1)	2425 सहकारिता			
	00			
	001 निदेशन तथा प्रशासन			
	03 सामान्य अखिखान एवं अधीक्षण	14,58.53	14,58.53	
	मूल	14,58.53	11,09.68	(-)3,48.85
	उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण निधि की आवश्यक्ता न होना सूचित किया गया।			
(2)	800 अन्य व्यय			
	04 एकीकृत सहकारी विकास परियोजना हेतु अर्जदान (राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा पोषित)	2,50.00	2,80.00	(-)67.92
	मूल	2,50.00	2,12.08	
	प्रदान करने के लिए की गई।			
	विकास परियोजना हेतु अर्जदान (राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा पोषित) को सहायक अर्जदान			
	ग्राहमान में अर्जपूर्वक अर्जदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 30.00 लाख की वृद्धि एकीकृत सहकारी			
	प्रदान करने के लिए की गई।			
	उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम बचत परियोजनाओं का वित्तीय सहायता पाने के पात्र न होना सूचित			
	किया गया।			
(3)	20 सहकारी परिषद का गठन एवं संचालन	18.00	18.00	
	मूल	18.00	16.00	(-)2.00
	उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत बचत का अत्यल्प नहीं किए जाने तथा अन्तिम बचत कम सं० (1) एवं (2) को छोड़कर, के कारणों को सूचित नहीं किया गया (अगस्त 2013)।			
(v) दृष्टान्त जहाँ सम्पूर्ण ग्राहमान अपर्युक्त रहे:				
(1)	2425 सहकारिता			
	00			
	800 अन्य व्यय			
	19 बेदानाशन कमेटी की संस्तुतियां लागू करना	6,00.00	1,80.00	(-)1,80.00
	मूल	6,00.00	0.00	
	पुनर्वि०	(-)4,20.00		
	वर्ष 2011-12 के दौरान भी उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण ग्राहमान अपर्युक्त रहे थे।			
	उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत सम्पूर्ण ग्राहमान का अपर्युक्त रहने का कारण शासन से निधि का अपर्युक्त न			
	होना सूचित किया गया।			
(2)	24 उत्तराखण्ड राज्य सहकारी संघ लि० का भवन निर्माण हेतु सहायता	5.00	5.00	
	मूल	5.00	0.00	(-)5.00
	वर्ष 2011-12 के दौरान भी उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण ग्राहमान अपर्युक्त रहे थे।			
	उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण ग्राहमान के अपर्युक्त रहने का कारण शासन से पर्याप्त निधि की			
	सुवीकृति न होना सूचित किया गया (अगस्त 2013)।			

(vi) आधिक्य निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुआ:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(1)	<b>2425 सहकारिता</b>			
	00			
	001 निदेशन तथा प्रशासन			
	05 सहकारिता न्यायधिकरण			
	मूल	58.42	58.42	59.88
				(+)1.46
(2)	<b>800 अन्य व्यय</b>			
	13 सहकारी सहभागिता योजना			
	मूल	8,00.00		
			12,20.00	12,20.00
				0.00
	पुनर्वि०	4,20.00		

प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 29 मार्च 2013 को ₹ 4,20.00 लाख की वृद्धि सहकारी सहभागिता योजना को उपदान प्रदान करने के लिए निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

उपरोक्त क्रम सं० (1) के शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)।

पूँजीगत :

दत्तमत—

(vii) पूँजीगत प्रावधान ₹ 4,80.00 लाख वर्ष के दौरान पूर्णतः उपयोग कर लिए गए।

## अनुदान सं० 19 ग्राम्य विकास

मुख्य लेखाशीर्षक कुल अनुदान वास्तविक व्यय आधिक्य (+)  
बचत (-)  
( ₹ हजार में )

राजस्व :

2501 ग्राम विकास के लिये विशेष कार्यक्रम  
2515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम

दत्तमत—

मूल	3,78,19,44			
		3,89,51,67	2,56,51,69	(-),1,32,99,98
पूरक	11,32,23			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च, 2013)				95,74,05

पूंजीगत :

4515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय

दत्तमत—

मूल	2,92,36,01			
		3,12,36,01	1,79,81,42	(-),1,32,54,59
पूरक	20,00,00			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च, 2013)				1,05,21,09

अनुदान के पूंजीगत दत्तमत अनुभाग में ₹ 18,32,35 हजार नहीं लिए गए हैं जो कि आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किए गए थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वर्ष के अन्त तक नहीं हुई।

टिप्पणियाँ एवं टीकायें

राजस्व :

दत्तमत—

- (i) ₹ 1,32,99.98 लाख की अन्तिम बचत में से मात्र ₹ 95,74.05 लाख अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित किए जा सके।
- (ii) ₹ 1,32,99.98 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2012 को ₹ 11,32.23 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए।
- (iii) अनुदान के राजस्व दत्तमत अनुभाग के अन्तर्गत पिछले पांच वर्षों से निरन्तर बचत निम्नतः रही—

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत ( ₹ लाख में )
2007-08	3,09,84.40	2,60,21.29	49,63.11
2008-09	3,39,56.17	2,94,43.04	45,13.13
2009-10	3,69,68.39	2,99,47.07	70,21.32
2010-11	4,62,87.99	3,87,66.25	75,21.74
2011-12	3,87,84.37	2,95,13.73	92,70.64



(iv) बचत निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुई:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(1)	<b>2501</b> ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम			
	01 समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम			
	800 अन्य व्यय			
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं			
	मूल	76,15.66		
	पुनर्वि०		43,13.93	42,93.94
				(-)19.99
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 का आपत्तिगत बही उचन्त का समायोजन के ₹ 2,359 भी सम्मिलित है। दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 33,01.73 लाख के अभ्यर्पण निम्न कारणों से किए गए-			
	➤ राज्यांश के प्राप्त न होने तथा			
	➤ केन्द्रांश के सापेक्ष राज्यांश प्राप्त न होना।			
(2)	<b>2515</b> अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम			
	00			
	001 निदेशन तथा प्रशासन			
	03 ग्राम्य विकास का मुख्यालय/क्षेत्रीय कार्यालय अधिष्ठान			
	मूल	1,46.36		
	पुनर्वि०		1,25.91	1,25.92
				(+)0.01
	दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 20.45 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान देयकों के भुगतान के पश्चात शेष राशि की बचत के कारण किए गए।			
(3)	04 पंचायती राज निदेशालय अधिष्ठान			
	मूल	80.76		
	पूरक	1.25	82.01	64.65
				(-)17.36
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 1.25 लाख की वृद्धि पंचायती राज निदेशालय के अधिष्ठान व्ययों की पूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
(4)	003 प्रशिक्षण			
	03 कर्मचारियों का प्रशिक्षण (क्षेत्रीय/जिला ग्राम विकास संस्थान)			
	मूल	5,90.91		
	पुनर्वि०		5,16.01	5,16.01
				0.00
	दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 74.90 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों के विभिन्न मदों में हुई बचत के कारण किए गए।			
(5)	101 पंचायती राज			
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	37,56.21	37,56.21	29,77.00
				(-)7,79.21

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(1)	<b>2700 मुख्य सिंचाई</b>			
	00			
	001 निदेशन तथा प्रशासन			
	03 निदेशन			
	मूल	21,68.12		
	पूरक	10.22	21,06.24	21,06.19
	पुनर्वि०	(-72.10)		(-)0.05
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 10.22 लाख की वृद्धि अधिष्ठान व्ययों की पूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
(2)	<b>04 कार्यकारी अधिष्ठान</b>			
	मूल	1,98,49.50		
	पुनर्वि०	(-12,35.37)	1,86,14.13	1,85,24.99
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2005-06, 2010-11 एवं 2011-12 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के क्रमशः ₹ 9,50,343, ₹ 41,884 एवं ₹ 1,40,425 भी सम्मिलित है।			
	उपरोक्त क्रम सं० (1) एवं (2) के शीर्षों के अन्तर्गत दिनांक 31 मार्च 2013 को प्रावधान का अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों के विभिन्न मदों में हुई बचत के कारण किए गए।			
(3)	<b>05 दैनिक वेतन भोगियों एवं कार्यशालाओं के कार्मिकों हेतु कार्यकारी अधिष्ठान (सिंचाई विभाग के कार्यप्रभारितों) हेतु एकमुश्त व्यवस्था</b>			
	मूल	20,90.00		
	पुनर्वि०	(-4,59.98)	16,30.02	16,30.03
	दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 4,59.98 लाख के प्रावधान के अभ्यर्पण मजदूरी में हुई बचत के कारण किए गए।			
(4)	<b>08 सिंचाई सलाहकार समिति का अधिष्ठान</b>			
	मूल	7.92		
	पुनर्वि०	(-3.44)	4.48	4.48
	दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 3.44 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों में मुख्यतः यात्रा भत्ता, मानदेय, कार्यालय व्यय एवं लेखन सामग्री एवं फॉर्मों की छपाई में हुई बचत के कारण किए गए।			
(5)	<b>80 सामान्य</b>			
	800 अन्य व्यय			
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं			
	मूल	19,00.00		
	पुनर्वि०	(-19,00.00)	0.00	0.00
	उक्त शीर्ष के अन्तर्गत दिनांक 31 मार्च 2013 को सम्पूर्ण प्रावधान का अभ्यर्पण के कोई स्पष्ट कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)।			



क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(6)	05 प्रमुख अभियन्ता की रक्षित धनराशि मूल 20.01 पुनर्वि० (-)0.01	20.00	16.60	(-)3.40
(7)	<b>2701 मध्यम सिंचाई</b> 12 हरिपूरा/बौर बांध व नहरें 101 रख-रखाव और मरम्मत 02 अन्य रख-रखाव मूल 2,71.75 पुनर्वि० (-)0.04	2,71.75	2,63.97	(-)7.78
(8)	13 अन्य सिंचाई योजनाएं 101 अन्य सिंचाई योजनाएं 02 अन्य रख-रखाव व्यय मूल 2,95.00 पुनर्वि० (-)0.04	2,94.96	2,81.93	(-)13.03
दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 0.04 लाख के अभ्यर्पण अनुरक्षण व्ययों में हुई बचत के कारण किए गए।				
(9)	<b>2702 लघु सिंचाई</b> 02 भूजल 005 अन्वेषण 03 भू-गर्भ जल सर्वेक्षण का विकास, आकलन एवं सुदृढीकरण मूल 16,59.26 पूरक 29.50 पुनर्वि० (-)1,10.71	15,78.05	15,81.18	(+)3.13
प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 29.50 लाख की वृद्धि भू-गर्भ जल सर्वेक्षण का विकास आकलन एवं सुदृढीकरण के कर्मियों के अधिष्ठान व्ययों की पूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई। दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 1,10.71 लाख के प्रावधान के अभ्यर्पण स्वीकृत पदों के अनुसार पदों को न भरे जाने के कारण किए गए।				
(10)	05 लघु सिंचाई सलाहकार समिति मूल 15.72 पुनर्वि० (-)12.87	2.85	2.85	0.00
दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 12.87 लाख के अभ्यर्पण माननीय परामर्शदाताओं के पद रिक्त रहने के कारण किए गए।				
(11)	03 रख-रखाव 101 जल टंकी			

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
	02 अन्य रख-रखाव व्यय			
	मूल	10,50.01		
	पुनर्वि०	(-)0.04		
	दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 0.04 लाख के अभ्यर्पण अनुरक्षण मद में हुई बचत के कारण किए गए।		10,49.97	10,48.28
				(-)1.69
(12)	102 लिफ्ट सिंचाई योजनाएँ			
	03 अनुरक्षण कार्य			
	मूल	8,60.00		
	पुनर्वि०	(-)5.74		
	दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 5.74 लाख के प्रावधान के अभ्यर्पण अनुरक्षण एवं विद्युत व्यय में हुई बचत के कारण किए गए।		8,54.26	4,54.28
				(-)3,99.98
(13)	80 सामान्य			
	800 अन्य मद			
	03 रेशनलाईजेशन ऑफ माइनर इरीगेशन			
	मूल	25.42		
	पुनर्वि०	(-)11.69		
	दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 11.69 लाख के प्रावधान के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों के विभिन्न मदों में हुई बचत के कारण किए गए।		13.73	13.73
				0.00
	उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत जहां परिलक्षित हुए हैं, के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)।			
	(iv) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:			
(1)	2701 मध्यम सिंचाई			
	14 हरिद्वार जनपद की नहरों का अनुरक्षण			
	101 रख-रखाव और मरम्मत			
	02 अन्य रख-रखाव			
	मूल	45.00		
	पुनर्वि०	(-)30.00		
			15.00	0.00
				(-)15.00
(2)	15 आवासीय एवं अनावासीय भवनों का अनुरक्षण			
	101 रख-रखाव और मरम्मत			
	02 अन्य रख-रखाव व्यय			
		25.00	25.00	0.00
				(-)25.00
	उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारणों को सूचित नहीं किया गया (अगस्त 2013)।			



(v) आधिक्य निम्न शीर्षा के अन्तर्गत परिलक्षित हुआ:

क्रम	लेखाशीर्ष	कल अर्जन	वार्षिक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(1)	2701 मध्यम सिंचाई 10 गुमरिया योजना 101 रख-रखाव और मरम्मत 02 अन्य रख-रखाव व्यय	3,15.00	3,20.64	(+)5.64
(2)	11 ईन नहरें 101 रख-रखाव और मरम्मत 02 अन्य रख-रखाव व्यय	3,40.00	3,48.77	(+)8.77
(3)	80 सामान्य 799 उद्योग 03 मन्दार मूल 0.00 पूरक 0.00 पुनर्वित्त 0.00	0.00	7,26.20	(+)7,26.20
(4)	800 अन्य व्यय 05 मूल्य अभिव्यक्ति मूल	6.00	9.34	(+)3.34
(5)	2702 लघु सिंचाई 02 मूल 103 नलकूप 03 अग्ररक्षण कार्य मूल 30,50.00	30,49.96	35,49.89	(+)4,99.83
(6)	2711 बाह्य निवेश तथा जन विकास 01 बाह्य निवेश 103 सिंचित निर्माण कार्य 03 सिंचित निर्माण कार्य मूल 4,10.00	4,09.99	4,13.90	(+)3.91
	पुनर्वित्त (-)0.01			

उपरोक्त शीर्षा के अन्तर्गत आधिक्य के कारण संचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)।

(vi) उचनत लेन-देन "उचनत"

लघु शीष "उचनत" अतल लेख शीष नही है। लेन-देन पूरे सडडे जाने तथा अतल रूप से लेख में दर्ज किए जाने से पूर्व जहाँ और अदरानियाँ या मूल्य के सडडयोजन आवरयक होते हैं वहाँ अतलरल लेन-देन डसके अतनगत होते हैं। तदनुसर डस शीष के अतनगत जो लेन-देन अतल शीष में सडडयोजन नही हो पाते वे वर्षानुवर्ष आगे ले जाते हैं। उचनत के लेन प्रडडन होते हैं, अथत (1) स्टूक (2) वललष नलरुण काय शेषनियाँ और (3) वकशडड उचनत।

उचनत लेन-देनों की प्रकतल और उचनकी लेखा पडडतल नीचे दी जा रही है:-

1. स्टूक-डस शीष में उस सडडगी को मूल्य नडड जलल जातल है जो स्टूक के ललये प्रलत होती है, कलसी वललष कड के ललए नही। डसमें उस सडडगी का मूल्य जडड कर दलया जलल है जो नलरुण काय के ललए दे दी जलती है या वच दी जलती है या अन्य डडडनों को अतनरल कर दी जलती है। अतः यह शीष नडड शेष दलखलतलगा जो स्टूक में रखी गयी सडडगी के खलल मूल्य तथा सडडगी के नलरुण से सडडललत असडडयोजनत प्रडडर, यलद कोडें हो, का सूचक होगा।

2. वललष नलरुण काय-शेषनियाँ-डस शीष में उधरर बेची गयी सडडगी के मूल्य, जडड शलष नलरुण काय पर प्रलत जडडरलललयाँ से अललक ल्यड, वटटे खलते में न जलती गई नकद या सडडगी की डलन, सरकरी कडडरललयाँ से वरुलगी यलनय रलललयाँ आदल के ललए नडड रलललयाँ होती हैं। अतः डस शीष के अतनगत नडड शेष वरुलगी यलनय रललल का सूचक है।

3. वकशडड उचनत-वलनगीय वकशडडों में कलए गए कायों या अन्य कायों प्रचलनों के प्रडडर उचनकी वरुलगी या उसके सडडयोजन हो जाने तक डस शीष में नडड जलते जाते हैं।

2012-2013 तक की अवलष के शलषाडें वलनडड के राजरख प्रडडन के उचनत लेन-देन का वलषेणण और आदल तथा अतन शेष का लूँरल परललष-III में दलया गया है।

पूँजीगत-  
दलतडड-

(vii) ₹ 2,56,26,75 लाख की अतनत वचनत में से डडड ₹ 2,15,89,43 लाख असुतण हेतु प्रचललल कलए जा सकें।  
(viii) ₹ 2,56,26,75 लाख की अतनत वचनत को देखते हेतु डडड दलसडडर 2012 को ₹ 96,05,20 लाख के अतनतुरक अतनतुरक अतनतुरक ललख हेतु।  
(ix) वचनत नलन शीषों के अतनगत परललषलत हेतु:

कडड	लेखलशीष	कूल अतनतन	वरुलललक ल्यड	आवलषडड (+)	वचनत (-)	(₹ ललख में)
सं०						

(1) 4700 मूल्य शलषाडें पर पूँजीगत परललषडड  
03 शलषाडें वलनडड की वलनडड परललषलतनओं के अतनतुरक के अतनतुरक दलत डलकलतल रलललयाँ के अतनतुरक ल्यड 800

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)	
	02 अन्य रख-रखाव व्यय मूल	30.00	30.00	6.18	(-)23.82
(2)	04 नलकूपों का निर्माण 800 अन्य व्यय 02 अन्य रख-रखाव व्यय मूल	43,00.01	74,40.01	74,22.03	(-)17.98
	पूरक	31,40.00			
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 31,40.00 लाख की वृद्धि नाबार्ड के अन्तर्गत वृहत निर्माण कार्य एवं राज्य प्रक्षेत्र से सेवित नलकूपों के निर्माण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।				
(3)	05 सिंचाई विभाग की नई योजनायें 800 अन्य व्यय 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं मूल	1,60,00.00	83,78.08	64,40.37	(-)19,37.71
	पुनर्वि०	(-)76,21.92			
	दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 76,21.92 लाख के अभ्यर्षण के कोई स्पष्ट कारण सूचित नहीं किए गए।				
(4)	07 उत्तराखण्ड की लघु डाल नहरों का पुनरोद्धार 800 अन्य व्यय 02 अन्य रख-रखाव व्यय मूल	6,50.00	6,50.00	3,49.94	(-)3,00.06
(5)	15 टिहरी बांध परियोजना का पुनर्वास 800 अन्य व्यय 02 अन्य रख-रखाव कार्य मूल	22,00.00	22,00.00	16,00.00	(-)6,00.00
(6)	18 पुलों का आधुनिकीकरण/पुर्ननिर्माण 800 अन्य व्यय 02 अन्य रख-रखाव व्यय पूरक	10,00.00	10,00.00	5,71.77	(-)4,28.23
	माह दिसम्बर 2012 को ₹ 10,00.00 लाख का प्रावधान पुलों/बांधों के आधुनिकीकरण एवं पुर्ननिर्माण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण किए गए।				
(7)	4701 मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 80 सामान्य 005 सर्वेक्षण तथा अनुसंधान (किशाड बांध सम्मिलित करते हुए) 03 निर्माण कार्य मूल	70.00	70.00	10.78	(-)59.22

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(8)	<b>4702 लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय</b>			
	00			
	800 अन्य व्यय			
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना (90% के०स०)			
	मूल	2,26,03.00		
			89,14.06	85,65.34
	पुनर्वि०	(-),1,36,88.94		(-),3,48.72
	दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 1,36,88.94 लाख के प्रावधान के अभ्यर्पण निम्न कारणों से किए गए—			
	➤ भारत सरकार को भेजे गए प्रस्ताव के अनुसार केन्द्रांश के अवमुक्त न होने के कारण			
	➤ डिप्लोमा इंजीनियर्स यूनियन की हड़ताल होने के कारण तथा			
	➤ चालू निर्माण कार्य हेतु केन्द्रांश का माह फरवरी के दूसरे पखवाड़े में प्राप्त होने के कारण निधि का उपयोग न होना।			
(9)	<b>4711 बाढ़ नियन्त्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय</b>			
	01 बाढ़ नियन्त्रण			
	103 सिविल निर्माण कार्य			
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं			
	मूल	80,00.00	80,00.00	15,50.87
				(-),64,49.13
(10)	<b>03 अनापेक्षित आपातकालीन कार्य नदी में सुधार तथा कटाव</b>			
	मूल	4,00.00		
			26,00.00	22,93.38
	पूरक	22,00.00		(-),3,06.62
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 22,00.00 लाख की वृद्धि अनापेक्षित आपातकालीन कार्य नदियों में सुधार तथा कटाव हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
	उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत बचत का अभ्यर्पण नहीं किए जाने तथा अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)।			
	(x) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:			
(1)	<b>4700 मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय</b>			
	01 जमरानी बांध			
	800 अन्य व्यय			
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	45.00	45.00	0.00
				(-),45.00



क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(2)	<b>4701 मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय</b>			
	80 सामान्य			
	006 परिकल्प एवं प्रशिक्षण संस्थाओं का उच्चीकरण			
	03 निर्माण कार्य			
	मूल	15.00	15.00	0.00
	वर्ष 2011-12 के दौरान भी उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			(-)15.00
(3)	190 सरकारी क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश			
	03 उत्तराखण्ड परियोजना विकास एवं निर्माण निगम को अंश पूंजी			
	मूल	1,00.00	1,00.00	0.00
				(-)1,00.00
(4)	800 अन्य व्यय			
	03 जल संवर्धन एवं जल संरक्षण के लिए जलाशय एवं कन्टूर ट्रेंच आदि का निर्माण			
	मूल	70.00	70.00	0.00
				(-)70.00
(5)	04 अपर यमुना रीवर बोर्ड हेतु रिजर्व व बिल्डिंग फंड			
	मूल	20.00	20.00	0.00
				(-)20.00
(6)	<b>4702 लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय</b>			
	00			
	800 अन्य व्यय			
	04 अटल आदर्श ग्रामों में सिंचाई सुविधा			
	मूल	50.00	50.00	0.00
				(-)50.00

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)।

(xi) आधिक्य मुख्यतः निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुआ:

(1)	<b>4700 मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय</b>			
	06 निर्माणाधीन सिंचाई नहरें/अन्य योजनायें			
	800 अन्य व्यय			
	02 अन्य रख-रखाव व्यय			
	मूल	50,70.00		
	पूरक	30,75.00	78,66.43	84,69.79
	पुनर्वि०	(-)2,78.57		(+)6,03.36

प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 30,75.00 लाख की वृद्धि राज्य प्रक्षेत्र तथा नाबार्ड से पोषित नहरों के निर्माण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 2,78.57 लाख के अभ्यर्षण के कोई स्पष्ट कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)।

(iii) बचत निम्न शीर्ष के अन्तर्गत परिलक्षित हुई:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
<b>2801</b>	<b>ऊर्जा</b>			
05	पारेषण एवं वितरण			
800	अन्य व्यय			
03	ऊर्जा विकास निधि का प्रबंधन			
	मूल	10.94	10.94	4.04 (-)6.90

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत बचत का अभ्यर्पण नहीं किए जाने तथा अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)।

पूँजीगत :  
दत्तमत—

- (iv) ₹ 3,68,40.02 लाख की अन्तिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।  
(v) ₹ 3,68,40.02 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2012 को प्राप्त ₹ 4,04,11.00 लाख के अनुपूरक अनुदान अधिक सिद्ध हुए।  
(vi) पूँजीगत दत्तमत अनुदान के अन्तर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरन्तर बचत निम्नतः रही—

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2007-08	3,69,44.06	3,68,53.09	90.97
2008-09	6,44,68.50	2,20,30.07	4,24,38.43
2009-10	10,56,61.76	6,78,73.37	3,77,88.39
2010-11	3,96,33.99	1,09,65.03	2,86,68.96
2011-12	6,76,03.02	1,44,10.70	5,31,92.32

(vii) बचत निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुई:

(1) **4801** बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय

01 जल विद्युत उत्पादन

190 सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों में निवेश

05 ऊर्जा विकास निधि में विनियोजन

मूल 84,00.00 84,00.00 11,94.00 (-)72,06.00

(2) 06 जल विद्युत परियोजनाओं हेतु यूजेवीएनएल में निवेश

मूल 60,00.00 60,00.00 56,17.00 (-)3,83.00

(3) 05 पारेषण एवं वितरण

190 सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों में निवेश

07 उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि० में वितरण परियोजनाओं हेतु निवेश

मूल 25,00.00 25,00.00 19,80.00 (-)5,20.00



क्रम	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)	बचत (-)	₹ लाख में
(4)	97	बाह्य सहायता योजना	1,50,00.00	1,50,00.00	11,26.54	(-)-1,38,73.46
(5)	6801	विजली परियोजनाओं के लिए कर्ज				
	01	जल विद्युत उत्पादन	25,01.00	25,01.00	20,18.00	(-)-4,83.00
	190	सरकारी क्षेत्र के उपकर्मा और अन्य उपकर्मा में निवेश				
	04	नाबार्ड से जल विद्युत निगम को ऋण	40,00.00	40,00.00	33,99.00	(-)-6,01.00
(7)	05	परिष्कार एवं विद्युत	8,00.00	8,00.00	5,38.50	(-)-2,61.50
	190	सरकारी क्षेत्र के उपकर्मा और अन्य उपकर्मा में निवेश				
	91	उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन को ऋण	1,25,00.00	1,25,00.00	14,25.96	(-)-1,10,74.04
(8)	97	बाह्य सहायता योजना				
	मूल					
	97	बाह्य सहायता योजना	20,00.00	20,00.00	0.00	(-)-20,00.00
(2)	09	मनसी माली फज-1 में आपदा कार्य हेतु अंशपूर्जी	25,00.00	25,00.00	0.00	(-)-25,00.00
	मूल					
(3)	97	बाह्य सहायता योजना	20,00.00	20,00.00	0.00	(-)-20,00.00
(1)	4801	विजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय				
	01	जल विद्युत उत्पादन	10,00.00	10,00.00	0.00	(-)-10,00.00
	190	सरकारी क्षेत्र के उपकर्मा और अन्य उपकर्मा में निवेश				
	08	मनसी माली फज-2 में जाहियाला बैराज की सुरक्षा दीवार के निर्माण हेतु अंशपूर्जी	10,00.00	10,00.00	0.00	(-)-10,00.00

(viii) दृष्टांत जहाँ सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत बचत का अग्रपूर्ण नहीं किए जाने तथा अन्तिम बचत के कारण संचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)।

(अगस्त 2013)।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण संचित नहीं किए गए

(iii) अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अन्तर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरन्तर बचत निम्नतः रही—  
(₹ लाख में)

वर्ष	बजट प्रावधान	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	बचत
2007-08	3,21,19.75	2,91,41.37	29,78.38	
2008-09	3,87,14.13	3,35,96.03	51,18.10	
2009-10	3,85,23.94	3,56,60.19	28,63.75	
2010-11	3,80,00.74	3,45,06.54	34,94.20	
2011-12	4,37,52.92	4,02,09.80	35,43.12	

(iv) बचत निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुई:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(1)	<b>2059 लोक निर्माण कार्य</b>			
	80 सामान्य			
	001 निदेशन तथा प्रशासन			
	03 निदेशन			
	मूल	18,74.36		
	पूरक	2,25.00		
	कुल	20,99.36	19,54.70	(-),144.66

वास्तविक व्यय में वर्ष 2001-02 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के ₹ 4,45,905 भी सम्मिलित है। प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 2,25.00 लाख की वृद्धि अधिष्ठान व्ययों की पूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

(2)	05 कार्य प्रभारित कर्मचारियों के मजदूरी भुगतान हेतु			
	मूल	34,00.00	34,00.00	18,24.89
	पूरक			
(3)	051 निर्माण			
	03 विकास/निर्माण कार्य के प्रखण्ड			
	मूल	2,20,42.01		
	पूरक	44,30.00		
	कुल	2,64,72.01	2,55,83.36	(-),8,88.65

वास्तविक व्यय में वर्ष 2011-12 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के 1,44,173 भी सम्मिलित है। प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 44,30.00 लाख की वृद्धि विकास/निर्माण प्रखण्डों के अधिष्ठान व्ययों की पूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

(4)	102 रख रखाव तथा मरम्मत			
	06 सर्किट हाऊस निरीक्षण भवन एवं कार्यालय भवनों का अनुरक्षण, सामान्य एवं विशेष मरम्मत			
	मूल	1,61.01	1,61.01	1,58.08
	पूरक			
	कुल	1,61.01	1,61.01	(-),2.93

(5)	<b>3054 सड़क तथा सेतु</b>			
	04 जिला और अन्य सड़कें			





उक्त शीर्ष के अन्तर्गत बिना प्रावधान के व्यय किए जाने के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)।

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(2)	<b>3054 सड़क तथा सेतु</b>			
	04 जिला और अन्य सड़कें			
	337 सड़क निर्माण कार्य			
	03 अनुरक्षण एवं मरम्मत			
	मूल	97,00.00		
	पूरक	2,00.00	98,83.32	1,08,49.40 (+)9,66.08
	पुनर्वि०	(-)16.68		

प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 2,00.00 लाख की वृद्धि राज्य के सड़क/पुलों के रख-रखाव हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।  
दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 16.68 लाख के अभ्यर्ण राज्य के सड़क/पुलों के रख-रखाव हेतु आवंटित निधि में हुई बचत के कारण की गई।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)।

(3)	80 सामान्य			
	800 अन्य व्यय			
	04 न्यायालय की आज्ञापतियों का भुगतान			
	मूल	0.00		
	पूरक	0.00	0.00	8.35 (+)8.35
	पुनर्वि०	0.00		

उक्त शीर्ष के अन्तर्गत बिना प्रावधान के व्यय किए जाने के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)।

राजस्व :

प्रभारित—

- (vii) ₹ 1,02.09 लाख की अन्तिम बचत में से मात्र ₹ 85.61 लाख अभ्यर्ण हेतु प्रत्याशित किए जा सके।
- (viii) ₹ 1,02.09 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए दिसम्बर 2012 को प्राप्त अनुपूरक विनियोग ₹ 73.00 लाख अनावश्यक सिद्ध हुए।
- (ix) बचत निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुई:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(1)	<b>2059 लोक निर्माण कार्य</b>			
	01 कार्यालय भवन			
	053 रखरखाव तथा मरम्मत			
	03 रखरखाव तथा मरम्मत (भारित)			
	मूल	1,68.00		
	पूरक	73.00	2,41.00	2,38.13 (-)2.87

प्रावधान में अनुपूरक विनियोग द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 73.00 लाख की वृद्धि विद्युत देयकों एवं रख-रखाव हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(2)	<b>2216 आवास</b>			
	01 सरकारी रिहाइशी भवन			
	700 अन्य आवास			
	03 निर्माण			
	मूल	52.00	52.00	45.13
				(-)6.87
(3)	<b>3054 सड़क तथा सेतू</b>			
	80 सामान्य			
	800 अन्य व्यय			
	04 न्यायालय की आज्ञापतियों का भुगतान (भारित)			
	मूल	95.00		
			9.39	2.65
				(-)6.74
	पुनर्वि०	(-)85.61		
	दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 85.61 लाख के अभ्यर्पण "वृहत निर्माण कार्य" में हुई बचत के कारण किए गए।			

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)।

**पूँजीगत :  
दत्तमत—**

- (x) अनुदान के पूँजीगत दत्तमत प्रभाग के अन्तर्गत ₹ 6,34.65 लाख का व्ययाधिक्य हुआ। व्ययाधिक्य के नियमितीकरण की आवश्यकता है।
- (xi) ₹ 6,34.65 लाख के अन्तिम आधिक्य को देखते हुए माह दिसम्बर 2012 को ₹ 2,16,20.00 लाख के अनुपूरक अनुदान अपर्याप्त तथा ₹ 24,50.89 लाख के अभ्यर्पण अवास्तविक सिद्ध हुए।
- (xii) आधिक्य (अन्य शीर्षों के अन्तर्गत बचत से प्रतिसंतुलित हुई) निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुए:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(1)	<b>4059 लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय</b>			
	80 सामान्य			
	800 अन्य व्यय			
	13 पूल्ड आवास योजना (नए कार्य)			
	मूल	0.00		
	पूरक	0.00	0.00	18.01
	पुनर्वि०	0.00		(+)18.01

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(2)	<b>5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय</b>			
	03 राज्य मार्ग			
	101 पुल			
	03 पुलों का सुदृढ़ीकरण एवं निर्माण			
	मूल	25,00.00		
			24,56.70	
			34,20.86	(+)9,64.16
	पुनर्वि०	(-)43.30		
	दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 43.30 लाख के अभ्यर्पण "वृहत निर्माण कार्य" में बचत के फलस्वरूप किए गए।			
(3)	799 उचन्त			
	03 उचन्त			
	मूल	0.00		
	पूरक	0.00	0.00	
	पुनर्वि०	0.00		
			54,22.85	(+)54,22.85
(4)	04 विविध निर्माण अग्रिम			
	मूल	0.00		
	पूरक	0.00	0.00	
	पुनर्वि०	0.00		
			52,55.92	(+)52,55.92
(5)	04 जिला तथा अन्य सड़कें			
	800 अन्य व्यय			
	03 राज्य सेक्टर			
	मूल	2,63,00.00		
	पूरक	75,00.00	3,25,36.45	
	पुनर्वि०	(-)12,63.55		
			3,43,43.45	(+)18,07.00
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 75,00.00 लाख की वृद्धि चालू निर्माण कार्यों हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
	दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 12,63.55 लाख के अभ्यर्पण चालू निर्माण कार्य एवं नए निर्माण कार्यों के अन्तर्गत "वृहत निर्माण कार्य" में हुई बचत के फलस्वरूप किए गए।			
(6)	04 केन्द्रीय सड़क निधि से किया गया कार्य (100 प्रतिशत कें०स०)			
	मूल	0.00		
	पूरक	0.00	0.00	
	पुनर्वि०	0.00		
			5,49.99	(+)5,49.99
(7)	06 बाढ़ व भू-स्खलन से क्षतिग्रस्त मार्गों का पुनर्निर्माण			
	मूल	1,00.00		
			58.95	
			64,92.78	(+)64,33.83
	पुनर्वि०	(-)41.05		
	दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 41.05 लाख का अभ्यर्पण "वृहत निर्माण कार्य" में बचत के फलस्वरूप किए गए।			



2012-2013 तक की अवधि के लोक निर्माण विभाग के पूंजीगत प्रभाग के उचनत लेन-देन का विवरण और आदि तथा अन्य शेष का ब्यौरा परिशिष्ट-V में दिया गया है।

3. वकशाम उचनत-विभागीय वकशामों में किए गए कार्यों या अन्य कार्य प्रचालनों के प्रभार उनकी वर्सुली या उसके समाप्तोत्तन हो जाने तक इस शीर्ष में नाम डाले जाते हैं।

2. विविध निर्माण कार्य-पेशिया-इस शीर्ष में उधार बेची गयी सामग्री के मूल्य, जमा राशि निर्माण कार्य पर प्राप्त जमा राशियाँ से अधिक व्यय, बटटे खाते में न डाली गई नकद या सामग्री की हानि, सरकारी कर्मचारियों से वर्सुली योग्य राशियाँ आदि के लिए नाम राशियाँ होती हैं। अतः इस शीर्ष के अन्तगत नाम, शेष वर्सुली योग्य राशि का सूचक है।

1. स्टाक-इस शीर्ष में उस सामग्री को मुख्य नाम डाला जाता है जो स्टाक के लिये प्राप्त होती है, किसी विशिष्ट कार्य के लिए नहीं। इसमें उस सामग्री का मूल्य जमा कर दिया जाता है जो निर्माण कार्य के लिए दे दी जाती है या बेच दी जाती है या अन्य मण्डलों को अन्तरित कर दी जाती है। अतः यह शीर्ष नाम शेष दिखलायगा जो स्टाक में रखी गयी सामग्री के खाल मूल्य तथा सामग्री के निर्माण से सम्बन्धित असमाप्तित प्रभार, यदि कोई हो, का सूचक होगा।

उचनत लेन-देनों की प्रकृति और उनकी लेखा पद्धति नीचे दी जा रही है:-

है, अर्थात् (1) स्टाक (2) विविध निर्माण कार्य पेशियाँ और (3) वकशाम उचनत। अतिम शीर्ष में समाप्तित नहीं हो पाते वे वर्षानुवर्ष आगे ले जाते हैं। उचनत के तीन प्रभाग होते हैं वहाँ अन्तरिम लेन-देन इसके अन्तगत होते हैं। तदनुसार इस शीर्ष के अन्तगत जो लेन-देन से लेख में दर्ज किए जाने से पूर्व जमा और अदायगियाँ या मूल्य के समाप्तोत्तन आवश्यक होते लघु शीर्ष "उचनत" अतिम लेखा शीर्ष नहीं है। लेन-देन पूरे समझे जाने तथा अतिम रूप (xiii) उचनत लेन-देन "उचनत"

उपर्युक्त शीर्षों के अन्तगत अन्तिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)।

विषयानुसार 2012 में अनुपूर्वक अनुदान द्वारा प्राप्त किया गया।  
जिला योजना के अन्तगत निर्माण कार्यों हेतु ₹ 22,00,00,00 लाख की आवश्यकता थी जिसकी माह  
प्राधान्य में पुनर्वित्तियोजन द्वारा दिनांक 08 फरवरी 2013 को ₹ 67,00,00,00 लाख की वृद्धि जिला योजना के अन्तगत "वृद्ध निर्माण कार्य" हेतु और अधिक निधि की आवश्यकता होने के कारण की गई।

मूल	60,00.00			
पूर्वक	22,00.00	1,49,00.00		
पुनर्वित्त	67,00.00			

क्रम	लेखाशीर्ष	कूल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)	बचत (-)	(₹ लाख में)
91	जिला योजना					

(xiv) बचत निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुई:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(1)	<b>4059</b> लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय 80 सामान्य 800 अन्य व्यय 10 लोक निर्माण (चालू कार्य) मूल 2,00.00 पुनर्वि० (-)10.18	1,89.82	1,64.82	(-)25.00
	दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 10.18 लाख के अभ्यर्पण चालू निर्माण कार्यों के अन्तर्गत "वृहत निर्माण कार्य" में हुई बचत के कारण किए गए।			
(2)	12 पूल्ड आवास योजना (चालू कार्य) मूल 2,00.00 पुनर्वि० (-)2.48	2,00.00	1,89.21	(-)10.79
(3)	<b>5054</b> सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय 03 राज्य मार्ग 052 मशीनरी तथा उपस्कर 04 उपकरण एवं संयन्त्र का क्रय मूल 50.00 पुनर्वि० (-)2.48	47.52	47.52	0.00
	दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 2.48 लाख के अभ्यर्पण निधि की वास्तविक आवश्यकता के कारण किए गए।			
(4)	04 अन्य सड़कें 800 अन्य व्यय 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं मूल 66,00.00 पुनर्वि० (-)1,00.49	64,99.51	57,92.04	(-)7,07.47
	दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 1,00.49 लाख के अभ्यर्पण देहरादून रिंग रोड़, चमोली एवं गोपेश्वर लिंक रोड़ तथा श्रीनगर-पौड़ी रोड़ के अन्तर्गत "वृहत निर्माण कार्य" में हुई बचत के कारण किए गए।			
(5)	05 सड़क/भवन/पुल आदि हेतु भूमि अधिग्रहण मूल 25,00.00 पुनर्वि० (-)20.50	24,79.50	24,52.85	(-)26.65
	दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 20.50 लाख के अभ्यर्पण निधि की आवश्यकता न होने के कारण किए गए।			

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(6)	07 क्रानिक स्लिप जोन के उपचार हेतु व्यवस्था मूल	50.00		
	पुनर्वि०	(-)50.00	0.00	0.00
	दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 50.00 लाख के अभ्यर्पण निधि की वास्तविक आवश्यकता के आधार पर किए गए।		0.00	0.00
(7)	97 विश्व बैंक सहायतित योजना/बाह्य/विश्व बैंक सहायतित योजना के अन्तर्गत सुदृढीकरण मूल	2,50,00.00		
	पुनर्वि०	(-)75,99.34	1,74,00.66	1,10,90.13
	उक्त शीर्ष के अन्तर्गत दिनांक 08 फरवरी 2013 को पुनर्विनियोजन द्वारा प्रावधान में कमी के कोई स्पष्ट कारण सूचित नहीं किए गए।			(-)63,10.53
(8)	05 सड़कें			
	800 अन्य व्यय			
	02 विशेष आयोजनागत सहायता अन्तर्गत सड़कें/सेतु का निर्माण पूरक	1,19,00.00	1,19,00.00	15,94.23
	उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत जहां परिलक्षित हुए हैं, के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)।			(-)1,03,05.77

## अनुदान सं० 23 उद्योग

मुख्य लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) ( ₹ हजार में )
<b>राजस्व :</b>			
2058 लेखन सामग्री तथा मुद्रण			
2851 ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग			
2853 अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योग			
3425 अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान			
<b>दत्तमत—</b>			
मूल	65,52,17		
		71,39,02	60,06,72
पूरक	5,86,85		(-)11,32,30
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च, 2013)			11,38,56

### पूंजीगत :

- 4058 लेखन सामग्री तथा मुद्रण पर पूंजीगत परिव्यय
- 4851 ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय
- 4859 दूरसंचार तथा इलेक्ट्रानिक उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय
- 4885 उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य पूंजीगत परिव्यय

### दत्तमत—

मूल	35,55,00			
		40,55,00	16,86,00	(-)23,69,00
पूरक	5,00,00			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च, 2013)				23,69,00

### टिप्पणियां एवं टीकार्ये

#### राजस्व :

#### दत्तमत—

- (i) ₹ 11,32.30 लाख की अन्तिम बचत के विरुद्ध ₹ 11,38.56 लाख के अभ्यर्पण अवास्तविक सिद्ध हुए।
- (ii) ₹ 11,32.30 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2012 को प्राप्त ₹ 5,86.85 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए।
- (iii) अनुदान के राजस्व दत्तमत अनुभाग के अन्तर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरन्तर बचत निम्नतः रही—

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत ( ₹ लाख में )
2007-08	56,37.17	41,40.75	14,96.42
2008-09	54,26.39	41,18.54	13,07.85
2009-10	44,18.83	42,84.95	1,33.88
2010-11	64,29.43	59,15.18	5,14.25
2011-12	78,77.22	64,30.43	14,46.79



(iv) बचत निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुई:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(1)	<b>2058 लेखन सामग्री तथा मुद्रण</b>			
	00			
	001 निदेशन एवं प्रशासन			
	03 राजकीय मद्रणालय, रुड़की अधिष्ठान			
	मूल	8,59.86		
	पूरक	27.60	8,39.97	8,39.95
	पुनर्वि०	(-47.49)		(-)0.02
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 27.60 लाख की वृद्धि राजकीय मुद्रणालय, रुड़की के अधिष्ठान व्ययों की पूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
	दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 47.49 लाख के प्रावधान के अभ्यर्पण राजकीय मुद्रणालय, रुड़की के अधिष्ठान व्ययों के विभिन्न मदों में हुई बचत के कारण किए गए। बचत की मुख्य मदें वेतन, महंगाई भत्ता, अन्य भत्ते, अवकाश यात्रा रियायत, विद्युत देय एवं टेलीफोन व्यय थे।			
(2)	<b>2851 ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग</b>			
	00			
	102 लघु उद्योग			
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं			
	मूल	27.69		
			24.62	24.62
	पुनर्वि०	(-3.07)		0.00
	दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 3.07 लाख के अभ्यर्पण लघु उद्योगों की जनगणना योजना (100 प्रतिशत के०पो०) के अधिष्ठान व्ययों में हुई बचत के कारण किए गए।			
(3)	<b>03 अधिष्ठान व्यय</b>			
	मूल	15,56.55		
	पूरक	1,37.20	15,98.75	15,98.03
	पुनर्वि०	(-95.00)		(-)0.72
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 1,37.20 लाख की वृद्धि लघु उद्योग की स्थापना के अधिष्ठान व्ययों की पूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
	दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 95.00 लाख के अभ्यर्पण लघु उद्योग विभाग के अधिष्ठान व्ययों में बचत के कारण किए गए। बचत की मुख्य मदों में वेतन, महंगाई भत्ता, स्थानान्तरण यात्रा भत्ता, अनुरक्षण, अन्य भत्ते, अवकाश यात्रा रियायत, विद्युत देय, व्यावसायिक एवं विशेष सेवाओं का भुगतान एवं टेलीफोन व्यय रहे।			
(4)	<b>15 औद्योगिक विकास हेतु वित्तीय प्रोत्साहन योजना</b>			
	मूल	25.00		
			4.27	4.27
	पुनर्वि०	(-20.73)		0.00
	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 28 मार्च 2013 को ₹ 19.00 लाख तथा अभ्यर्पण द्वारा दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 1.73 लाख की कमी औद्योगिक विकास हेतु वित्तीय प्रोत्साहन योजना में बचत के कारण की गई।			

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(5)	17 लघु उद्योगों के प्रोत्साहन हेतु ब्याज उपादान मूल 2,00.00 पुनर्वि० (-)2.00	1,98.00	10.00	(-)1,88.00
दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 2.00 लाख के अभ्यर्पण उपादान में हुई बचत के कारण किए गए।				
(6)	20 उद्यमिता विकास संस्थान की स्थापना मूल 10.00 पुनर्वि० (-)10.00	0.00	0.00	0.00
(7)	21 क्लस्टर विकास योजना मूल 15.00 पुनर्वि० (-)15.00	0.00	0.00	0.00
(8)	22 पीएमआरवाई प्लस योजना मूल 1.00 पुनर्वि० (-)1.00	0.00	0.00	0.00
उपरोक्त क्रम सं० (6) से (8) के शीर्षों के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)।				
(9)	25 मुख्य निवेश आयुक्त कार्यालय नई दिल्ली का अधिष्ठान मूल 80.96 पूरक 4.80 पुनर्वि० (-)14.19	71.57	77.84	(+)6.27
वास्तविक व्यय में वर्ष 2010-11 के आपत्तिगत बही उच्यत समायोजन के ₹ 6,63,455 भी सम्मिलित है। प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 4.80 लाख की वृद्धि मुख्य विनियोजन आयुक्त, नई दिल्ली के अधिष्ठान व्ययों में कार्यालय व्यय, लेखन सामग्री एवं फार्मों की छपाई, किराया एवं उपकर के भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई। दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 14.19 लाख के अभ्यर्पण मुख्य विनियोजन आयुक्त, नई दिल्ली के अधिष्ठान व्ययों में बचत के कारण किए गए।				
(10)	103 हथकरघा उद्योग 01 केन्द्रीय आयोजनगत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना मूल 2,00.00 पुनर्वि० (-)53.93	1,46.07	1,46.07	0.00
दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 53.93 लाख के अभ्यर्पण हथकरघा बुनकर कल्याण योजना में हुई बचत के कारण किए गए।				

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(11)	105 खादी ग्रामोद्योग 03 खादी तथा ग्रामोद्योग परिषद को सहायता			
	मूल	5,50.00		
	पूरक	1,00.00	6,05.00	6,05.00
	पुनर्वि०	(-45.00)		0.00
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 1,00.00 लाख की वृद्धि खादी एवं ग्रामोद्योग परिषद को सहायता अनुदान प्रदान करने हेतु की गई। दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 45.00 लाख के अभ्यर्पण काशीपुर एवं जसपुर की बीमार मिलों की पुनर्स्थापना एवं स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति में हुई बचत के कारण किए गए।			
(12)	07 बाजार विकास			
	मूल	1,00.00		
			0.00	0.00
	पुनर्वि०	(-1,00.00)		0.00
	उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अभ्यर्पण के कोई स्पष्ट कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)।			
(13)	2853 अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योग			
	02 खानों का विनियमन तथा विकास			
	001 निदेशन तथा प्रशासन			
	03 खनन प्रशासन का अधिष्ठान			
	मूल	4,44.64		
	पूरक	67.25	4,82.85	4,52.86
	पुनर्वि०	(-29.04)		(-29.99)
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 67.25 लाख की वृद्धि खनन विभाग के अधिष्ठान व्ययों की पूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई। दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 29.04 लाख के अभ्यर्पण लघु उद्योग विभाग के अधिष्ठान व्ययों के विभिन्न मदों में हुई बचत के कारण किए गए। बचत की मुख्य मदों में वेतन, महंगाई भत्ता, मजदूरी, गाड़ियों का रख-रखाव एवं पेट्रोल इत्यादि की खरीद, स्थानान्तरण यात्रा भत्ता, रख-रखाव, अन्य भत्ते, अवकाश यात्रा रियायत, विद्युत देय, व्यावसायिक एवं विशेष सेवाओं का भुगतान तथा टेलीफोन व्यय थे।			
(14)	3425 अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान			
	60 अन्य			
	600 अन्य सेवायें			
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	7,20.00		
			0.00	0.00
	पुनर्वि०	(-7,20.00)		0.00
	दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 7,20.00 लाख के अभ्यर्पण 13वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत यू0आई0डी0 में हुई बचत के कारण किए गए।			



उपरोक्त क्रम सं० (5) एवं (13) के शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए।

(v) आधिक्य निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुए:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(1)	<b>2851</b> ग्रामोद्योग तथा लघु उद्योग			
	00			
	102 लघु उद्योग			
	23 दूरस्थ क्षेत्रों के लिए विशेष राज्यपूँजी उपादान सहायता			
	मूल	3,00.00		
			3,19.00	5,07.00
				(+)1,88.00
	पुनर्वि०	19.00		

प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 28 मार्च 2013 को ₹ 19.00 लाख की वृद्धि किए जाने के कोई स्पष्ट कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)।

(2)	<b>2853</b> अलौह खनन तथा धातु कर्म उद्योग			
	02 खानों का विनियमन तथा विकास			
	102 खनिज खोज			
	03 पर्यावरणीय प्रभाव आंकलन व प्रबन्ध योजना			
	मूल	0.04		
			0.00	30.00
				(+)30.00
	पुनर्वि०	(-)0.04		

उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान का अभ्यर्पण किए जाने के पश्चात व्यय परिलक्षित होने के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)।

पूँजीगत :  
दत्तमत—

- (vi) अन्तिम बचत ₹ 23,69.00 लाख को वित्तीय वर्ष के अन्तिम दिन को अभ्यर्पित कर दिया गया।  
(vii) ₹ 23,69.00 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2012 को प्राप्त अनुपूरक अनुदान ₹ 5,00.00 लाख अनावश्यक सिद्ध हुए।  
(viii) अनुदान के पूँजीगत दत्तमत प्रभाग के अन्तर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरन्तर बचत निम्नतः रही—  
(₹ लाख में)

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2007-08	69,73.67	29,15.99	40,57.68
2008-09	31,43.82	26,02.86	5,40.96
2009-10	16,89.93	7,34.75	9,55.18
2010-11	14,67.78	3,14.73	11,53.05
2011-12	14,10.55	75.84	13,34.71



(ix) बचत निम्न शीर्ष के अन्तर्गत परिलक्षित हुई:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(1)	<b>4058</b> लेखन सामग्री तथा मुद्रण पर पूंजीगत परिव्यय 00			
	103 सरकारी मुद्रणालय			
	03 सरकारी मुद्रणालयों में मशीनों तथा उपकरणों एवं सयंत्रों का क्रय मूल	5.00	0.00	0.00
	पुनर्वि०	(-5.00)		
(2)	<b>4851</b> ग्राम तथा लघु उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय 00			
	102 लघु उद्योग			
	06 उद्योग निदेशालय, राज्य औद्योगिक विकास निगम आदि हेतु भवन क्रय/निर्माण मूल	70.00	0.00	0.00
	पुनर्वि०	(-70.00)		
(3)	<b>4859</b> दूर संचार तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय 02 इलेक्ट्रॉनिक्स			
	800 अन्य व्यय			
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्रीय पुरोनिधानित परियोजनाएं मूल	28,04.00	5,11.00	0.00
	पुनर्वि०	(-22,93.00)		
	प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 25 मार्च 2013 को ₹ 5,00.00 लाख एवं अभ्यर्पण द्वारा दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 17,93.00 लाख की कमी स्टेट वाईड एरिया नेटवर्क (SWAN) (50 प्रतिशत के०स०) के क्रियान्वयन तथा राष्ट्रीय ई-गोवरनेन्स (100 प्रतिशत के० स०) योजना में हुई बचत के कारण की गई।			
(4)	03 राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी का सुदृढीकरण मूल	2,00.00		
	पूरक	3,00.00	2,00.00	0.00
	पुनर्वि०	(-3,00.00)		
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 3,00.00 लाख की वृद्धि राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी के सुदृढीकरण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई। दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 3,00.00 लाख के अभ्यर्पण व्यावसायिक एवं विशेष सेवाओं के भुगतान तथा वृहत निर्माण कार्यों में हुई बचत के कारण किए गए।			

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(5)	10 स्टेट डेटा सेंटर पूरक	2,00.00		
	पुनर्वि०	(-)2,00.00	0.00	0.00
	उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अभ्यर्पण किए जाने के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)।			

(x) आधिक्य निम्न शीर्ष के अन्तर्गत परिलक्षित हुआ:

<b>4859</b>	दूर संचार तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय			
02	इलेक्ट्रॉनिक्स			
800	अन्य व्यय			
06	ई-गवर्नेन्स के अन्तर्गत सूचना प्रौद्योगिकी का विकास			
	मूल	15.00		
	पुनर्वि०	5,00.00	5,15.00	0.00

प्रावधान में पुनर्विनियोजन द्वारा दिनांक 25 मार्च 2013 को ₹ 5,00.00 लाख की वृद्धि प्रावधान का कम आवंटन तथा योजना की पूर्णता के लिए और अधिक निधि की आवश्यकता होने के कारण की गई।



(iv) बचत निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुई:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(1)	<b>2041 वाहन कर</b>			
	00			
	800 अन्य व्यय			
	03 स्टेट ट्रान्सपोर्ट अपीलैट अधिष्ठान			
	मूल	27.79		
	पूरक	14.05	37.76	37.76
	पुनर्वि०	(-)4.08		0.00
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 14.05 लाख की वृद्धि स्टेट ट्रान्सपोर्ट अपीलैट अधिष्ठान के अधिष्ठान व्ययों की पूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
	दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 4.08 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों में मुख्यतः वेतन, महंगाई भत्ता, मजदूरी, यात्रा भत्ता, स्थानान्तरण यात्रा भत्ता, अन्य व्यय एवं किराया में हुई बचत के कारण किए गए।			
(2)	<b>3053 नागर विमानन</b>			
	02 विमान पतन			
	102 हवाई अड्डा (100 प्रतिशत के०स०)			
	03 हवाई पट्टियों का अनुरक्षण			
	मूल	5.00	5.00	3.16
				(-)1.84
(3)	04 पर्वतीय क्षेत्र में स्थित हवाई पट्टियों के लिए अनुदान			
	मूल	20.00	20.00	12.15
				(-)7.85
	उपरोक्त क्रम सं० (2) एवं (3) के शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत का कारण निधि का उपभोग न होना सूचित किया गया।			
(4)	<b>3055 सड़क परिवहन</b>			
	00			
	001 निदेशन तथा प्रशासन			
	03 परिवहन संबन्धी अधिष्ठान			
	मूल	15,08.00		
	पूरक	21.00	14,62.44	14,65.60
	पुनर्वि०	(-)66.56		(+)3.16
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 21.00 लाख की वृद्धि अन्य भत्ते एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति के भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण किए गए।			
	दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 66.56 लाख के अभ्यर्पण अधिष्ठान व्ययों में मुख्यतः वेतन, महंगाई भत्ता, मजदूरी, यात्रा भत्ता, स्थानान्तरण यात्रा भत्ता, अन्य भत्ते, कार्यालय व्यय, व्यावसायिक एवं विशेष सेवाओं के भुगतान, किराया, कम्प्यूटर साफ्टवेयर/हार्डवेयर की खरीद तथा कम्प्यूटर का अनुरक्षण/लेखन सामग्री के क्रय में हुई बचत के कारण किए गए।			
(5)	190 सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों को सहायता			
	03 परिवहन निगम की बसों से निःशुल्क यात्रा की सुविधा के लिए निगम को प्रतिकर भुगतान			
	मूल	30.00		
			17.59	17.58
	पुनर्वि०	(-)12.41		(-)0.01



दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 12.41 लाख के अभ्यर्पण यातायात परिवहन की बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा में हुई बचत के कारण किए गए।

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)	
(6)	06 उत्तराखण्ड परिवहन निगम की बसों से छात्राओं के निःशुल्क यात्रा की प्रतिपूर्ति मूल	5,00.00	79.60	79.60	0.00
	पुनर्वि०	(-4,20.40)			

दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 4,20.40 लाख के अभ्यर्पण उत्तराखण्ड परिवहन निगम की बसों से छात्राओं के निःशुल्क यात्रा की प्रतिपूर्ति में हुई बचत के कारण किए गए।

उपरोक्त क्रम सं० (4) के शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)।

(v) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

(1) **3053 नागर विमानन**

02 विमान पतन

102 हवाई अड्डा

05 हवाई यातायात के लिए अनुदान

मूल	60.00	60.00	0.00	(-)60.00
-----	-------	-------	------	----------

वर्ष 2010-11 तथा 2011-12 के दौरान भी उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।

(2) **06 भूमि प्रतिकर का भुगतान**

मूल	10.00	10.00	0.00	(-)10.00
-----	-------	-------	------	----------

वर्ष 2009-10, 2010-11 एवं 2011-12 के दौरान भी उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।

उपरोक्त क्रम सं० (1) एवं (2) के शीर्षों के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने का कारण निधि का उपभोग न होना सूचित किया गया।

(3) **3055 सड़क परिवहन**

00

001 निदेशन तथा प्रशासन

05 स्मार्ट कार्ड योजना

मूल	3.00	3.00	0.00	(-)3.00
-----	------	------	------	---------

वर्ष 2008-09 से 2011-12 के दौरान भी उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।

(4) **07 उत्तराखण्ड राज्य सड़क सुरक्षा परिषद् संबन्धी अधिष्ठान**

मूल	7.66			
-----	------	--	--	--

	0.70	0.00	(-)0.70
--	------	------	---------

पुनर्वि० (-)6.96

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत (क्रम सं० (1) एवं (2) को छोड़कर) सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)।

अनुदान सं० 25 खाद्य

मुख्य लेखाधीन केंद्र अनुदान वास्तविक व्यय आधिक्य (+) बचत (-) (₹ हजार में)

राजस्व :

2408 खाद्य मण्डल तथा मण्डलान्तरण खातिर पूर्ति  
3456 स्थिति पूर्ति  
3475 अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं

दलगत-

₹ 3,82,99,32	₹ 3,83,21,27	₹ 1,52,37,63	₹ (-)2,30,83,64
मूल			
₹ 21,95			
पूरक			
वर्ष में अस्थापित धनराशि (मार्च, 2013)			
00			

पूर्वगत :

4408 खाद्य मण्डल तथा मण्डलान्तरण पर पूर्वगत परिस्य  
5475 अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूर्वगत परिस्य

दलगत-

₹ 7,00,00	₹ 32,00,00	₹ 18,42,58,95	₹ (+)18,10,58,95
मूल			
₹ 25,00,00			
पूरक			
वर्ष में अस्थापित धनराशि (मार्च, 2013)			
00			

टिप्पणियां एवं टीकाएं

राजस्व :

दलगत-

- (i) ₹ 2,30,83,64 खाद्य की अन्तिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्ण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।
- (ii) ₹ 2,30,83,64 खाद्य की अन्तिम बचत को देखते हुए मार्च दिनांक 2012 को प्राप्त ₹ 21.95 लाख के अनुपूर्वक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए।
- (iii) अनुदान के राजस्व दलगत प्रमाण के अन्तर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरन्तर बचत निम्नतः रही-

वर्ष	बजट प्राप्ति	व्यय	बचत
2007-08	35,07,43	23,16,41	11,91,02
2008-09	33,74,40	17,94,79	15,79,61
2009-10	26,89,66	22,28,29	4,61,37
2010-11	31,11,83	23,84,77	7,27,06
2011-12	3,27,71,74	2,04,20,24	1,23,51,50

(₹ लाख में)

(iv) बचत मुख्यतः निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुई:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(1)	<b>2408 खाद्य भण्डारण तथा भण्डागारण</b>			
	01 खाद्य			
	001 निदेशन तथा प्रशासन			
	03 अधिष्ठान व्यय (खाद्य एवं पूर्ति)			
	मूल	26,19.03		
			26,34.03	18,72.84
	पूरक	15.00		(-7,61.19)
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 15.00 लाख की वृद्धि खाद्य एवं पूर्ति विभाग के अधिष्ठान व्ययों में मजदूरी, विद्युत देय, व्यावसायिक एवं विशेष सेवाओं के भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
(2)	102 खाद्य सहायता			
	03 अटल खाद्यान्न योजना			
	मूल	3,50,00.00	3,50,00.00	1,28,77.07
				(-2,21,22.93)
(3)	<b>3456 सिविल पूर्ति</b>			
	00			
	001 निदेशन तथा प्रशासन			
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं			
	मूल	1,00.01	1,00.01	13.75
				(-86.26)
(4)	04 उपभोक्ता संरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत स्थापित निदेशालय			
	मूल	2,87.75		
			2,94.70	2,83.29
	पूरक	6.95		(-11.41)
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 6.95 लाख की वृद्धि उपभोक्ता संरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत स्थापित निदेशालय के अधिष्ठान व्ययों में निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
(5)	<b>3475 अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें</b>			
	00			
	106 भार और माप का विनियमन			
	03 अधिष्ठान व्यय			
	मूल	2,12.52	2,12.52	1,90.68
				(-21.84)

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)।

(v) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

- (1) **2408 खाद्य भण्डारण तथा भण्डागारण**  
01 खाद्य

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
	800 अन्य व्यय			
	03 ग्रामीण महिलाओं के लिए निःशुल्क गैस कनेक्शन			
	मूल	70.00	70.00	0.00
	वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 के दौरान भी उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			(-)70.00

(2) **3456 सिविल पूर्ति**  
00

	800 अन्य व्यय			
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं			
	मूल	10.00	10.00	0.00
	वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 के दौरान भी उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			(-)10.00

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)।

**पूंजीगत :**  
**दत्तमत-**

- (vi) पूंजीगत दत्तमत अनुदान में ₹ 18,10,58.95 लाख का व्ययाधिक्य है। आधिक्य के नियमितीकरण की आवश्यकता है। यदि इस अनुदान के अन्तर्गत प्राप्त ₹ 13,67,22.94 लाख की वसूली को लेखे में सम्मिलित कर लिया जाए, तब भी ₹ 4,43,36.01 लाख के आधिक्य होंगे।
- (vii) आधिक्य निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुए:

(1) **4408 खाद्य भण्डारण तथा भण्डागारण पर पूंजीगत परिव्यय**

01 खाद्य

101 खरीद और पूर्ति

03 अन्न पूर्ति योजना

मूल 0.00

पूरक 0.00 0.00 17,12,53.84 +17,12,53.84

पुनर्वि० 0.00

(2) 800 अन्य व्यय

03 खाण्डसारी शक्कर योजना

मूल 0.00

पूरक 0.00 0.00 1,34,11.15 (+)1,34,11.15

पुनर्वि० 0.00

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत ₹ 4,43,36.01 लाख की वसूली सम्मिलित है।





## अनुदान सं० 26 पर्यटन

मुख्य लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) ( ₹ हजार में )
<b>राजस्व:</b>			
<b>3452 पर्यटन</b>			
<b>दत्तमत—</b>			
मूल	51,13,23		
		72,74,70	42,69,51
पूरक	21,61,47		(-)30,05,19
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च, 2013)			00

अनुदान के राजस्व दत्तमत अनुभाग में ₹ 12,00,00 हजार नहीं लिए गए हैं जो कि आकस्मिकता निधि के अग्रिम से व्यय किए गए थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वर्ष के अन्त तक नहीं हुई।

### पूंजीगत :

#### 5452 पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय

<b>दत्तमत—</b>			
मूल	52,45,03		
		74,34,21	19,02,71
पूरक	21,89,18		(-)55,31,50
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च, 2013)			00

### टिप्पणियां एवं टीकार्यें

#### राजस्व :

#### दत्तमत—

- (i) ₹ 30,05.19 लाख की अन्तिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।
- (ii) ₹ 30,05.19 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए ₹ 21,61.47 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए।
- (iii) अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अन्तर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरन्तर बचत निम्नतः रही—

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	( ₹ लाख में ) बचत
2007-08	29,36.26	28,65.11	71.15
2008-09	30,43.65	28,12.60	2,31.05
2009-10	19,70.75	16,85.35	2,85.40
2010-11	25,79.45	22,87.67	2,91.78
2011-12	58,78,.08	28,12.04	30,66.04

(iv) बचत निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुईं:

कम लेखाशीर्ष  
शु. (+) आधिक्य  
बचत (-) (₹ लाख में)

क्र.सं.	लेखाशीर्ष	कूल अर्जदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)	बचत (-)	(₹ लाख में)
(1)	3452 पयुटन 80 सामान्य 001 निर्देशन तथा प्रशासन 03 उत्तराखण्ड राज्य सरकार पयुटन विकास परिषद्	11,85,00	13,35,00	13,29,31	(-)	5.69
	05 शासकीय कम्पारिमेंटों का अधिदान (मुख्यालय)	98.50	98.50	80.50	(-)	18.00
(3)	104 संवर्धन तथा प्रचार 01 कर्तव्य आयोजननामत/कन्द द्वारा पुरोनिर्धारित योजनाएं	25,00,00	40,00,00	10,85.82	(-)	29.14.18
(4)	03 अधिदान	2,65.60	2,66.55	2,36.28	(-)	30.27
(5)	18 राजकीय होटल मैनेजमेंट एवं कैंटरिंग संस्थान अधिदान	2,56.00	2,66.15	2,29.69	(-)	36.46

प्राधान्य में अनुपूर्वक अर्जदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 0.95 लाख की वृद्धि महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते के भुगतान हेतु निधि में आवश्यकता के कारण की गई।

प्राधान्य में अनुपूर्वक अर्जदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 10.15 लाख की वृद्धि राजकीय होटल मैनेजमेंट एवं कैंटरिंग संस्थान के अधिदान के अन्तर्गत गतिविधियों का अनुसंधान और पर्यटन, खरीद, व्यावसायिक एवं विशेष सेवाओं के भुगतान हेतु निधि में आवश्यकता के कारण की गई।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत बचत का अभ्यर्ण नहीं किए जाने तथा अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)।





(iv) बचत निम्न शीर्ष के अन्तर्गत परिलक्षित हुई:

आधिक्य (+)  
बचत (-)  
(₹ लाख में)

क्रम	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	शेष
(1)	2406 गान्धी तथा वन्य जीवन 01 सामान्य अधिष्ठान 001 निदेशन तथा प्रशासन 03 सामान्य अधिष्ठान	2,31,41.02	2,44,98.02	2,38,01.21
	पूर्वक	13,57.00		
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2011-12 के आपत्तिगत बड़ी उन्नत समायोजन के ₹ 61,641 भी सम्मिलित है। प्रावधान में अनुपूर्वक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 13,57.00 लाख की वृद्धि वन प्रखण्डों के अधिष्ठान व्ययों की पूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			(-)-6,96.81

(2)	04 वन एवं पर्यावरण सलाहकार समिति	7.59	7.59	4.14	(-)-3.45
(3)	101 वन संरक्षण विकास तथा सम्पादन 03 वनों की सुरक्षा	8.00	8.00	2.66	(-)-5.34
(4)	04 वन बन्दोबस्त	4.00	4.00	1.28	(-)-2.72
(5)	102 समान तथा काम गान्धीकी 04 बांस प्रजातियों का रोपण	1,00.01	1,00.01	33.33	(-)-66.68
(6)	06 समान तथा काम गान्धीकी	20.00	20.00	18.18	(-)-1.82
(7)	105 वन उत्पाद 04 लीसा मूल	29,53.11	35,61.11	35,52.75	(-)-8.36
	पूर्वक	6,08.00			
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2009-10 के आपत्तिगत बड़ी उन्नत समायोजन के ₹ 7,028 भी सम्मिलित है। प्रावधान में अनुपूर्वक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 6,08.00 लाख की वृद्धि अन्य व्ययों की पूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।				

पूँजीगत :  
दत्तमत-

- (vii) ₹ 16,32.34 लाख की अन्तिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।  
 (viii) ₹ 16,32.34 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2012 को ₹ 5,58.00 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए।  
 (ix) अनुदान के पूँजीगत दत्तमत प्रभाग के अन्तर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरन्तर बचत निम्नतः रही—  
 (₹ लाख में)

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2007-08	31,34.02	9,91.62	21,42.40
2008-09	19,76.03	17,35.20	2,40.83
2009-10	13,60.05	13,39.50	20.55
2010-11	18,00.02	16,47.17	1,52.85
2011-12	25,00.02	16,35.57	8,64.45

- (x) बचत निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुई:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(1)	<b>4406 वानिकी और वन्य जीवन पर पूँजीगत परिव्यय</b>			
	01 वानिकी			
	101 वन संरक्षण और विकास			
	03 वन मोटर मार्गों का सुदृढीकरण			
	मूल	3,30.00		
			3,80.00	
	पूरक	50.00		
			3,78.50	(-)1.50
(2)	04 वन विभाग के आवासीय/अनावासीय भवनों का निर्माण			
	मूल	1,90.01		
			2,10.01	
	पूरक	20.00		
			1,13.01	(-)97.00
(3)	06 इको टूरिज्म			
	मूल	1,00.00		
			1,00.00	
			13.00	(-)87.00
(4)	800 अन्य व्यय			
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें			
	मूल	28,15.51		
			28,53.51	
	पूरक	38.00		
			18,71.97	(-)9,81.54
(5)	03 वनों की अग्नि से सुरक्षा			
	मूल	85.00		
			3,85.00	
	पूरक	3,00.00		
			3,63.60	(-)21.40

क्र.सं.	लेखाशीर्षक	कूल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(6)	09 इकाई टैरिफ	50.00	50.00	(-)/3.88
(7)	02 पर्यावरणीय बॉनिकी तथा वन्य जीवन 110 वन्य जीवन परिरक्षण 01 कन्द्रीय आयोजनागत/कन्द द्वारा प्रयोजित योजनाएं	4,06.00	4,06.00	(-)/3,58.21
	(xi) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा:			
	4406 बॉनिकी और वन्य जीवन पर पूर्णतः परित्यक्त 02 पर्यावरणीय बॉनिकी तथा वन्य जीवन 800 अन्य व्यय 03 परिसिखतकीय पर्यटन निगम	1,00.00	1,00.00	(-)/1,00.00
	उपरोक्त शीर्षक के अन्तर्गत बचत का अभ्यर्ण नहीं किए जाने तथा अन्तिम बचत के कारण संचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)।			
	(xii) आधिक्य निम्न शीर्षक के अन्तर्गत परिलक्षित हुए:			
(1)	4406 बॉनिकी और वन्य जीवन पर पूर्णतः परित्यक्त 01 बॉनिकी 102 समान तथा काम बॉनिकी 03 औषधीय पौधों का संरक्षण, संवर्धन	1,00.00	1,00.00	(+)/12.40
(2)	91 भवन निर्माण तथा जल एवं विद्युत की व्यवस्था (जिला योजना) मूल	1,80.00	1,85.80	(+)/5.80
	उपरोक्त शीर्षक के अन्तर्गत अन्तिम आधिक्य के कारण संचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)।			

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)	
(9)	<b>2405 मछली पालन</b> 00				
	001 निदेशन तथा प्रशासन				
	03 अधिष्ठान				
	मूल	4,62.71	4,62.71	4,55.89	(-)6.82
(10)	101 अन्तर्देशीय मछली पालन				
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं (75 प्रतिशत के० स०)				
	मूल	50.00	50.00	22.95	(-)27.05
(11)	91 जिला योजना				
	मूल	51.40	51.40	32.92	(-)18.48
(12)	190 सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों को सहायता				
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना				
	मूल	14.00	14.00	6.67	(-)7.33
(13)	800 अन्य व्यय				
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्रीय पुरोनिधानित योजनाएं				
	मूल	21.50	21.50	18.52	(-)2.98

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत बचत का अभ्यर्पण नहीं किए जाने तथा अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)।

(v) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

(1)	<b>2403 पशु पालन</b> 00				
	104 भेड़ तथा ऊन विकास □				
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं				
	मूल	0.01			
			47.41	0.00	(-)47.41
	पूरक	47.40			
(2)	<b>2404 डेरी विकास</b> 00				
	102 डेरी विकास परियोजनाएं				
	08 सहकारी डेयरी प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना				
	मूल	30.00	30.00	0.00	(-)30.00

वर्ष 2011-12 के दौरान भी उक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे। उक्त शीर्षों के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)।



(vi) आधिक्य मुख्यतः निम्न शीर्ष के अन्तर्गत परिलक्षित हुआ:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अर्जदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)	अधिक्य (-)	बचत (+)	बचत (-)
	2403 पशु पालन						
	00						
	101 पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य						
	91 जिंदा योजना						
	मूल	4,36.81					
	पूरक	28.00					
		4,64.81	4,80.18	(+)	15.37		

उक्त शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए (अप्रैल 2013)।

निधि की आवश्यकता होने के कारण अर्जदान के राजस्व प्रमाण के अन्तर्गत निम्न योजनाओं हेतु ₹ 12,23.97 लाख के अर्जदान स्वीकृत किए गए—

- निदेशालय का अधिष्ठान
- पशु चिकित्सालय/औषधालय की स्थापना/सुदृढीकरण
- पशु चिकित्सालयों पर शाल्यचिकित्सा आदि की सुविधा
- दुग्ध यूनित की प्रशिक्षण हेतु स्थापना
- इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ रमाल ऊमीनंट एण्ड रेवित्स (100 प्रतिशत कंसो)
- भेड़ों की परजीवी किटाणुओं से बचाव योजना
- गाँ-सदनों की स्थापना
- पशु/भैंसों, भेड़ों और ऊन, अन्य पशुधन विकास एवं चारगाह विकास योजना
- चारगाह बैंक की स्थापना
- चारा घास एवं चारा घास रिजर्व योजना (100 प्रतिशत कंसो)
- चारा घास एवं पशु गणना योजना (100 प्रतिशत कंसो) तथा
- महिला डेरी विकास की परियोजनाएँ।

पूर्वगतः  
दलगत—

- (vii) ₹ 76.33 लाख की अन्तिम बचत में से कोई भी राशि अस्पष्ट हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।  
(viii) ₹ 76.33 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2012 को प्राप्त ₹ 1,30.00 लाख के अर्जदान आधिक्य सिद्ध हुए।  
(ix) अर्जदान के पूर्वगत दलगत प्रमाण के अन्तर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरन्तर बचत निम्नतः रही—

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2011-12	11,03.81	8,19.13	2,84.68
2010-11	11,06.67	8,13.82	2,92.85
2009-10	5,07.50	4,59.69	47.81
2008-09	9,62.03	6,69.67	2,92.36
2007-08	8,77.94	8,08.58	69.36

(₹ लाख में)

(x) बचत निम्न शीर्ष के अन्तर्गत परिलक्षित हुई:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
	<b>4403 पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय</b>			
	00			
	101 पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य			
	10 पशु चिकित्सालय/पशुपालन केन्द्रों का निर्माण			
	मूल	80.00	80.00	76.50
				(-)3.50

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)।

(xi) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

(1)	<b>4403 पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय</b>				
	00				
	101 पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य				
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं				
	मूल	10.31	10.31	0.00	(-)10.31
(2)	<b>4405 मछली पालन पर पूंजीगत परिव्यय</b>				
	00				
	101 अन्तर्देशीय मछली पालन				
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं				
	मूल	37.52	37.52	0.00	(-)37.52
	वर्ष 2011-12 के दौरान भी, उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।				
(3)	<b>91 मत्स्य पालन (जिला योजना)</b>				
	मूल	25.00	25.00	0.00	(-)25.00
	वर्ष 2011-12 के दौरान भी, उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।				

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)।

## अनुदान सं० 29 औद्योगिक विकास

मुख्य लेखाशीर्ष	कुल अनुदान/ विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) ( ₹ हजार में )
<b>राजस्व :</b>			
<b>2401 फसल कृषि कर्म</b>			
<b>दत्तमत—</b>			
मूल	1,00,30,40		
पूरक	8,60,38	1,08,90,78	1,01,72,28
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च, 2013)			(-)7,18,50
<b>प्रभारित—</b>			
मूल	33,93		
पूरक	20,00	53,93	50,76
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च, 2013)			(-)3,17
<b>पूँजीगत:</b>			
<b>4401 फसल कृषि-कर्म पर पूँजीगत परिव्यय</b>			
<b>दत्तमत—</b>			
मूल	00		
पूरक	00	00	4,50,00
			(+ )4,50,00
<b>टिप्पणियाँ एवं टीकायें</b>			
<b>राजस्व :</b>			
<b>दत्तमत—</b>			
(i) ₹ 7,18.50 लाख की अन्तिम बचत में से मात्र ₹ 2,15.75 लाख अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित किए जा सके।			
(ii) ₹ 7,18.50 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2012 को प्राप्त अनुपूरक अनुदान ₹ 8,60.38 लाख अधिक सिद्ध हुए।			
(iii) अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अन्तर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरन्तर बचत निम्नतः रही—			
			( ₹ लाख में )
वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2007-08	76,43.31	71,01.26	5,42.05
2008-09	98,83.46	85,20.11	13,63.35
2009-10	88,10.81	85,37.51	2,73.30
2010-11	88,29.94	86,68.62	1,61.32
2011-12	1,13,87.97	98,93.60	14,94.37

(iv) बचत निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुई:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(1)	<b>2401 फसल कृषि कर्म</b>			
	00			
	119 बागवानी और सब्जियों की फसलें			
	03 औद्योगिक विकास			
	मूल	77,78.41		
	पूरक	8,60.38	86,03.23	80,15.19
	पुनर्वि०	(-)35.56		(-)5,88.04
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2004-05 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के ₹ 1,09,296 भी सम्मिलित है। दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 35.56 लाख के अभ्यर्पण औद्योगिक विकास के अन्तर्गत सहकारी जड़ी बूटी योजना में हुई बचत के कारण किए गए।			
(2)	<b>07 शहतूत की खेती एवं रेशम विकास</b>			
	मूल	8,83.01		
			7,81.20	7,81.19
	पुनर्वि०	(-)1,01.81		(-)0.01
	दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 1,01.81 लाख के अभ्यर्पण निधि की वास्तविक आवश्यकता के कारण किए गए।			
(3)	<b>10 मधु मक्खी पालन योजना</b>			
	मूल	35.78	35.78	19.28
				(-)16.50
(4)	<b>16 मानव संसाधन विकास की योजना</b>			
	मूल	19.00		
			0.47	0.47
	पुनर्वि०	(-)18.53		0.00
	दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 18.53 लाख के अभ्यर्पण निधि की वास्तविक आवश्यकता के कारण किए गए।			
(5)	<b>17 भेषज कृषि विकास</b>			
	मूल	51.00		
			37.74	36.74
	पुनर्वि०	(-)13.26		(-)1.00
	दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 13.26 लाख के अभ्यर्पण निधि का उपभोग न हो पाने के कारण किए गए।			
(6)	<b>18 भेषज कृषि विकास</b>			
	मूल	50.00		
			3.41	3.41
	पुनर्वि०	(-)46.59		0.00
	दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 46.59 लाख के अभ्यर्पण निधि की वास्तविक आवश्यकता के कारण किए गए।			
	उपरोक्त क्रम सं० (1), (3) एवं (5) शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)।			



(v) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहा:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
	<b>2401 फसल कृषि कर्म</b>			
	00			
	119 बागवानी और सब्जियों की फसलें			
	08 सघन पौध रोपण हेतु फलपौध सामग्री का आयात			
	मूल	45.00	45.00	0.00
				(-)45.00

वर्ष 2011-12 के दौरान भी, उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अप्रयुक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)।

(vi) आधिक्य निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुआ:

(1)	<b>2401 फसल कृषि कर्म</b>			
	00			
	119 बागवानी और सब्जियों की फसलें			
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजना			
	मूल	2,30.64	2,30.64	2,70.60
				(+)39.96
(2)	06 चाय विकास योजना			
	मूल	3,40.00	3,40.00	4,48.14
				(+)1,08.14

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)।

राजस्व :

प्रभारित-

- (vii) ₹ 3.17 लाख की अन्तिम बचत में से कोई भी राशि अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित नहीं की जा सकी।  
 (viii) ₹ 3.17 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2012 को ₹ 20.00 लाख के अनुपूरक विनियोग अधिक सिद्ध हुए।  
 (ix) बचत निम्नतः परिलक्षित हुई:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल विनियोग	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
	<b>2401 फसल कृषि कर्म</b>			
	00			
	119 बागवानी और सब्जियों की फसलें			
	03 औद्योगिक विकास			
	मूल	33.93		
			53.93	50.76
	पूरक	20.00		(-)3.17

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत प्रभारित विनियोग में अन्तिम बचत के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)।

अनुदान के राजस्व प्रभाग के अन्तर्गत माह दिसम्बर 2012 को ₹ 8,80.38 लाख के अनुपूरक अनुदान/विनियोग निम्न योजनाओं हेतु निधि की आवश्यकता के कारण किए गए—

- फसल कृषि कर्म का अधिष्ठान
- राज भवन के उद्यानों का अनुरक्षण
- मुख्यमंत्री संरक्षित उद्यान योजना
- उद्यान बीमा योजना तथा
- राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन योजना (75 प्रतिशत प्रतिशत के0स0)।

पूँजीगत :

दत्तमत—

- (x) अनुदान में ₹ 4,50.00 लाख का व्ययाधिक्य हुआ। व्ययाधिक्य के नियमितीकरण की आवश्यकता है।
- (xi) व्ययाधिक्य निम्न शीर्ष के अन्तर्गत परिलक्षित हुआ।

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
4401	फसल कृषि कर्म पर पूँजीगत परिव्यय			
	00			
	119 बागवानी और सब्जियों की फसलें			
	04 रोग रहित आलू बीज/कीटनाशकों की कीमत			
	मूल	0.00		
	पूरक	0.00	0.00	4,50.00
	पुनर्वि०	0.00		(+)4,50.00

उक्त शीर्ष के अन्तर्गत बिना प्रावधान के व्यय किए जाने के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)।

अनुदान सं० 30 अनुसूचित जातियों का कल्याण

मुख्य लेखाधीन कुल अनुदान वास्तविक व्यय आधिक्य (+) घवल (-) (₹ हजार में) राजस्व :

2202	सामान्य शिक्षा
2203	तकनीकी शिक्षा
2204	खलकंद तथा युवा सेवाएं
2205	कला एवं संस्कृति
2210	शिक्षा तथा लोक स्वास्थ्य
2211	परिवार कल्याण
2215	जलापूर्ति तथा सफाई
2217	शहरी विकास
2220	संवना तथा प्रचार
2225	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण
2230	श्रम तथा रोजगार
2235	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण
2401	फसल कृषि कर्म
2402	मृदा एवं जल संरक्षण
2403	पशु-पालन
2404	डेरी विकास
2405	मछली पालन
2406	वातनिका तथा वन्य जीवन
2425	सहकारिता
2501	ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम
2515	ग्राम ग्राम्य विकास कार्यक्रम
2801	विजली
2810	वैकल्पिक ऊर्जा
2851	ग्रामीण तथा लघु उद्योग

दलगत-

मूल	4,75,46,56
परक	31,70,81
वर्ष में अभ्युक्ति धनराशि (मार्च, 2013)	70,24,55
मूल	5,07,17,37
परक	3,92,78,56
वर्ष में अभ्युक्ति धनराशि (मार्च, 2013)	(-),1,14,38,81
मूल	70,24,55

अनुदान के राजस्व दलगत अनुभाग में ₹ 71.31 हजार नहीं लिए गए हैं जो कि आकस्मिकता निधि के अभिगम से व्यय किए गए थे और जिनकी प्रतिपूर्ति वर्ष के अन्त तक नहीं हुई।

मुख्य लेखाशीर्ष

कुल अनुदान

वास्तविक व्यय

आधिक्य (+)

बचत (-)

( ₹ हजार में )

पूँजीगत :

4059	लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय
4202	शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय
4210	चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय
4211	परिवार कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय
4217	शहरी विकास
4225	अनुसूचित जातियों/जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय
4235	सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय
4403	पशुपालन पर पूँजीगत परिव्यय
4406	वानिकी एवं वन्य जीवों पर पूँजीगत परिव्यय
4408	खाद्य भण्डारण तथा भण्डागारण पर पूँजीगत परिव्यय
4425	सहकारिता पर पूँजीगत परिव्यय
4515	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय
4700	मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय
4702	लघु सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय
4711	बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय
4801	बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय
5054	सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय
5055	सड़क परिवहन पर पूँजीगत परिव्यय
5452	पर्यटन पर पूँजीगत परिव्यय
6425	सहकारिता के लिए कर्ज
6801	बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज

दत्तमत—

मूल	3,19,03,70			
		3,61,59,89	1,57,89,06	(-2,03,70,83)
पूरक	42,56,19			
वर्ष में अभ्यर्पित धनराशि (मार्च, 2013)				85,28,38

टिप्पणियाँ एवं टीकायें

राजस्व :

दत्तमत—

- (i) ₹ 1,14,38.81 लाख की अन्तिम बचत में से मात्र ₹ 70,24.55 लाख अभ्यर्पण हेतु प्रत्याशित किए जा सके।
- (ii) ₹ 1,14,38.81 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए माह दिसम्बर 2012 को प्राप्त ₹ 31,70.81 लाख के अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुए।
- (iii) अनुदान के राजस्व दत्तमत प्रभाग के अन्तर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरन्तर बचत निम्नवत् रही—



वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	(लाख ₹ में) बचत
2007-08	4,62,89.50	2,26,85.71	2,36,03.79
2008-09	3,18,89.07	2,31,55.78	87,33.29
2009-10	4,11,46.11	3,30,35.40	81,10.71
2010-11	4,89,20.54	3,93,00.68	96,19.86
2011-12	5,71,82.95	3,78,19.54	1,93,63.41

(iv) बचत निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुई:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(1)	<b>2202 सामान्य शिक्षा</b>			
	01 प्रारम्भिक शिक्षा			
	800 अन्य व्यय			
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र पुरोनिधानित योजनाएँ			
	मूल	39,07.29		
			15,20.12	15,20.12
	पुनर्वि०	(-)23,87.17		0.00

₹ 23,87.17 लाख के प्रावधान के अभ्यर्पण केन्द्रांश के प्राप्त न होने के कारण किए गए।

(2)	02 माध्यमिक शिक्षा			
	109 राजकीय माध्यमिक विद्यालय			
	02 अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान			
	मूल	19,60.87		
			22,10.87	20,64.98
	पूरक	2,50.00		(-)1,45.89

प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 2,50.00 लाख की वृद्धि अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में राजकीय माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

(3)	800 अन्य व्यय			
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएँ			
	मूल	7,12.50	7,12.50	3,33.35
				(-)3,79.15
(4)	03 विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा			
	103 राजकीय कालेज तथा संस्थान			
	03 प्रतियोगिता परीक्षाओं हेतु प्रशिक्षण			
	मूल	50.00		
			0.00	0.00
	पुनर्वि०	(-)50.00		0.00

दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 50.00 लाख के अभ्यर्पण निम्न वस्तुगत शीर्षों में हुई बचत के कारण किए गए—

- मानदेय ₹ 10.00 लाख
- व्यावसायिक एवं विशेष सेवाओं के भुगतान ₹ 5.00 लाख

- मशीन एवं उपकरण ₹ 25.00 लाख तथा
- अन्य व्यय ₹ 10.00 लाख।

क्र.सं.	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)	बचत (-)	(₹ लाख में)
(5)	2204 खेलकूद तथा अन्य सेवाएं 00 निदेशन तथा प्रशासन 91 जिला योजना मूल	1,60.00	1,60.00	1,56.00	(-)	4.00
(6)	2205 कला एवं संस्कृति 00 कला एवं संस्कृति का संवर्धन 02 अनुसंधान जातियों के लिए स्थान कम्पानेन्ट खान मूल	55.00	12.29	12.29	0.00	
	पुनर्वित्त	(-)42.71				
	दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 42.71 लाख के अस्पष्ट निम्न कारण से किए गए-					
	➤ गुरु शिष्य परम्परा के अन्तर्गत प्रशिक्षण शिविरों के आयोजन हेतु विज्ञापन दिए गए। प्रशिक्षण शिबिर द्वारा प्रशिक्षण पत्र निहित विधि के पश्चात् प्रस्तुत किए गए जिससे प्रशिक्षण शिबिर आयोजित नहीं हो पाए तथा बचत परिलक्षित हुई।					
	➤ जिला टिहरी, गढ़वाल एवं नैनीताल के एकल कलाकारों को नि:शुल्क वाद्ययन्त्र वितरित किए जाने हेतु समन्वय पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित करए गए लेकिन कलाकारों द्वारा आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण नहीं की जा सकी जिससे वाद्ययन्त्र क्रय नहीं किए जा सके तथा बचत परिलक्षित हुई।					
(7)	2210 शिक्षा तथा लोक स्वास्थ्य 01 ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-पारंपारिक चिकित्सा पद्धति 110 अस्पताल तथा औषधालय 03 एलायिड एक एकीकृत चिकित्सालय और औषधालय मूल	1,00.00	96.47	96.47	0.00	
	पुनर्वित्त	(-)3.53				
	दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 3.53 लाख के अस्पष्ट मशीनों एवं उपकरणों में हुई बचत के कारण किए गए।					
(8)	03 ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-पारंपारिक चिकित्सा पद्धति 103 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 03 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना मूल	33.50	0.00	0.00	0.00	
	पुनर्वित्त	(-)33.50				

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(9)	110 अस्पताल तथा औषधालय 91 जिला योजना मूल	1,25.00	0.00	0.00
	पुनर्वि०	(-)1,25.00		
	उपरोक्त क्रम सं० (8) एवं (9) के शीर्षों के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अभ्यर्पण किए जाने का कारण अधिष्ठान व्ययों में बचत का होना सूचित किया गया।			
(10)	06 अनुसूचित जातियों हेतु काम्पोनेन्ट प्लान 101 रोगों का रोकथाम तथा निवारण 99 राज्य सरकार द्वारा निजी सहभागिता के आधार पर विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों का संचालन मूल	7,00.00	4,14.37	4,14.37
	पुनर्वि०	(-)2,85.63		
	दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 2,85.63 लाख के अभ्यर्पण किए जाने के कोई स्पष्ट कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)।			
(11)	2211 परिवार कल्याण 00			
	101 अनुसूचित जातियों हेतु स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं मूल	5,95.10	6,37.49	6,37.56
	पूरक	1,52.00		(+)0.07
	पुनर्वि०	(-)1,09.61		
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 1,52.00 लाख की वृद्धि नए ग्रामीण उपकेन्द्रों के अधिष्ठान व्ययों की पूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई। दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 1,09.61 लाख के अभ्यर्पण नए ग्रामीण उपकेन्द्रों के अधिष्ठान व्ययों में हुई बचत के कारण किए गए।			
(12)	2215 जलापूर्ति तथा सफाई 01 जलापूर्ति			
	102 ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम 02 अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान मूल	11,00.00	12,00.00	11,61.07
	पूरक	1,00.00		(-)38.93
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 1,00.00 लाख की वृद्धि ग्रामीण पेयजल योजना एवं जलोत्सारण योजना हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			



क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)	
(13)	<b>2217 शहरी विकास</b>				
	03 छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास				
	191 स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों तथा नगर सुधार बोर्डों को सहायता				
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं				
	मूल	7,33.50	7,33.50	3,19.70	(-4,13.80)
(14)	97 बाह्य सहायतित परियोजनाएं				
	मूल	3,00.00	3,00.00	2,70.00	(-)30.00
(15)	800 अन्य व्यय				
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं				
	मूल	15,09.80	15,09.80	11,43.94	(-)3,65.86
(16)	<b>2225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण</b>				
	01 अनुसूचित जातियों का कल्याण				
	001 निदेशन तथा प्रशासन				
	06 राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड (50 प्रतिशत के० पो०)				
	मूल	20.00	20.00	13.01	(-)6.99
(17)	07 एस.सी.पी./टी.एस.पी नियोजन प्रकोष्ठ का अधिष्ठान				
	मूल	59.87	59.87	51.15	(-)8.72
(18)	08 अनुसूचित जाति, जनजाति आयोग का अधिष्ठान				
	मूल	43.15			
	पूरक	10.90	54.05	38.33	(-)15.72
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 10.90 लाख की वृद्धि अनुसूचित जाति, जनजाति आयोग के अधिष्ठान व्ययों की पूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।				
(19)	277 शिक्षा				
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं				
	मूल	55,10.00	55,10.00	55,02.28	(-)7.72
(20)	06 अनुसूचित जातियों के लिए आश्रम पद्धति विद्यालयों का संचालन				
	मूल	3,02.85	3,02.85	2,33.41	(-)69.44
(21)	12 अनुसूचित जातियों के लिए छात्रावास				
	मूल	1,13.28	1,13.28	98.50	(-)14.78
	वास्तविक व्यय में वर्ष 2011-12 के आपत्तिगत बही उचन्त समायोजन के ₹ 12,019 भी सम्मिलित है।				
(22)	16 कक्षा 1 से 10 तक के तथा औ०प्र०संस्थाओं के विद्यार्थियों को छात्रवृति				
	मूल	41,00.00	41,00.00	39,37.12	(-)1,62.88



क्रम	लेखाशीर्ष	कुल अर्जदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(23)	91 जिला योजना	1,77.04	2,07.25	1,80.51 (-)26.74
	पूर्क	30.21		
	प्राधान्य में अर्जपूर्क अर्जदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 30.21 लाख की वृद्धि पुस्तकालय, छात्रावासों एवं विद्यालयों के सुधार तथा विस्तार हेतु सहायक अर्जदान प्रदान करने के लिए निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
(24)	800 अन्य व्यय	35.00	35.00	26.53 (-)8.47
	08 नगरिक अधिकार (सरक्षण) अधिनियम, 1956 का कियान्वयन			
	मूल			
(25)	11 अर्जसंचित जाति/जनजाति कल्याण संघालित सैनिकार/कार्दशाला/सर्वक्षण/शोध/प्रचार प्रसार	15.00	15.00	12.55 (-)2.45
(26)	2230 श्रम तथा रोजगार	60.16	74.01	38.79 (-)35.22
	02 रोजगार सेवाएं			
	800 अन्य व्यय			
	02 अर्जसंचित जातियों के लिये स्थान कम्पोजिट खान			
	मूल			
	पूर्क	13.85		
	प्राधान्य में अर्जपूर्क अर्जदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 13.85 लाख की वृद्धि शिक्षा एवं मार्गदर्शन कर्मी के अधिखान व्ययों की पूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
(27)	03 प्रशिक्षण	1,57.00	1,57.00	1,05.28 (-)51.72
	003 दस्तकारी तथा पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण			
	02 अर्जसंचित जातियों का कल्याण			
(28)	2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	6,39.00	8,45.41	8,34.00 (-)11.41
	02 समाज कल्याण			
	101 विकलांग व्यक्तियों का कल्याण			
	02 अर्जसंचित जातियों का कल्याण			
	मूल			
	पूर्क	2,06.41		
	प्राधान्य में अर्जपूर्क अर्जदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 2,06.41 लाख की वृद्धि अन्ध, गूंग एवं विकलांग व्यक्तियों को उनके भरण-पोषण के लिए सहायक अर्जदान प्रदान करने हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)	
(29)	102 बाल कल्याण 02 अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान मूल 42,00.03		13,46.89	13,52.69	(+)5.80
	पुनर्वि० (-)28,53.14				
	दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 28,53.14 लाख के अभ्यर्पण निम्न कारणों से किए गए— ➤ पोषाहार हेतु निविदा का जारी न होना तथा ➤ आगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं दाइयों के पद रिक्त रहना।				
(30)	103 महिला कल्याण 02 अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान मूल 11,70.00	11,70.00		11,63.60	(-)6.40
(31)	60 अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याणकारी कार्यक्रम 102 सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अधीन पेंशन 02 अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान मूल 28,25.00	28,25.00		24,37.13	(-)3,87.87
(32)	800 अन्य व्यय 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं मूल 25,67.80	25,67.80		21,40.80	(-)4,27.00
(33)	2401 फसल कृषि कर्म 00 102 खाद्यानों की फसलें 02 अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान मूल 4,20.40	4,20.40		3,99.03	(-)21.37
(34)	800 अन्य व्यय 91 जिला योजना मूल 80.00	1,45.41		1,28.33	(-)17.08
	पूरक 65.41				
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 65.41 लाख की वृद्धि सी-डेप आधारित कृषि विकास कार्यक्रमों को सहायक अनुदान प्रदान किए जाने हेतु निधि की आवश्यकता का कारण की गई।				
(35)	2403 पशु पालन 00 101 पशु चिकित्सा सेवायें तथा पशु स्वास्थ्य				

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कूल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिरक्ष (+) बचत (-) (₹ लाख में)
	02 अनुसूचित जातियों के लिए स्थल कम्पौन्ड प्लान	55.06	67.06	(-)-3.56
	मूल	12.00		
	पूरक			
	04 बाँस तथा बायोफ्यूएल प्रजातियों का रोपण	80.00	80.00	(-)-53.33
	मूल			
(36)	<b>2406</b> बानिकी तथा वन्य जीवन			
	01 बानिकी			
	102 समान तथा फस बानिकी			
	04 बाँस तथा बायोफ्यूएल प्रजातियों का रोपण			
(37)	<b>2425</b> सहकारिता			
	00			
	800 अन्य व्यय			
	05 सहकारी क्रय-विक्रय योजनान्तर्गत सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता	10.00	10.00	(-)-2.00
	मूल			
(38)	<b>2501</b> ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम			
	01 समीक्षित ग्राम विकास कार्यक्रम			
	800 अन्य व्यय			
	01 कन्द्रीय आयोजनगत/कन्द द्वारा प्रयोजित योजनाएं	11.40	8.75	8.75
	मूल			
(39)	<b>02</b> अनुसूचित जातियों के लिए स्थल कम्पौन्ड प्लान	18,83.37	11,19.56	0.00
	मूल			
	पुनर्वित्त	(-)-7,63.81		
	उपरोक्त क्रम सं० (38) एवं (39) के शीर्षों के अन्तर्गत दिनांक 31 मार्च 2013 को अस्पष्ट कन्दों के अवशेष न होने के कारण किए गए।			
(40)	<b>2515</b> अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम			
	00			
	101 पंचायती राज			
	01 कन्द्रीय आयोजनगत/कन्द द्वारा प्रयोजित योजनाएं	8,23.50	6,24.70	(-)-1,98.80
	मूल			
(41)	<b>02</b> अनुसूचित जातियों के लिए स्थल कम्पौन्ड प्लान	1,90.00	1,76.30	(-)-13.70
	मूल			

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(42)	102 सामुदायिक विकास 02 अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान मूल 9,35.00		5,67.42	0.00
	पुनर्वि० (-)3,67.58		5,67.42	0.00
	दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 3,67.58 लाख के अभ्यर्पण निम्न कारणों से किए गए—			
	➤ शासन से निधि अवमुक्त न होने के कारण			
	➤ शासन स्तर से ऋण पर सहमति न होना			
	➤ पिछले वर्ष की अप्रयुक्त निधि तथा			
	➤ निधि का अधिक आवंटन।			
	उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत जहां परिलक्षित हुई है, के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)।			
	(v) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:			
(1)	<b>2210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य</b> 02 शहरी स्वास्थ्य सेवायें 102 होम्योपैथी 03 होम्योपैथिक चिकित्सालयों की स्थापना मूल 28.88	28.88	0.00	(-)28.88
	वर्ष 2011-12 के दौरान भी, उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			
(2)	<b>2225 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण</b> 01 अनुसूचित जातियों का कल्याण 800 अन्य व्यय 05 अनुसूचित जातियों के विकास के लिए परियोजना हेतु सहायता मूल 10.02	10.02	0.00	(-)10.02
(3)	<b>2401 फसल कृषि कर्म</b> 00 107 वनस्पति संरक्षण 02 अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान मूल 10.00	10.00	0.00	(-)10.00
	वर्ष 2011-12 के दौरान भी, उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			
(4)	800 अन्य व्यय 01 केन्द्रीय आयोजनोगत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं मूल 15,00.00	15,00.00	0.00	(-)15,00.00
(5)	<b>2403 पशु पालन</b> 00			



- (ix) अनुदान के पूर्णता दलगत प्रभाग के अन्तर्गत पूर्व के पांच वर्षों से निरन्तर बचत निम्नतः रही-  
 अनावश्यक सिद्ध हुए।  
 (viii) ₹ 2,03,70.83 लाख की अन्तिम बचत को देखते हुए ₹ 42,56.19 लाख के अनुपूरक अनुदान  
 किए जा सकें।  
 (vii) ₹ 2,03,70.83 लाख की अन्तिम बचत में से मात्र ₹ 85,28.38 लाख ही अभ्यर्ण हेतु प्रत्याशित  
 दलगत-  
 पूर्णता :

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम आधिक्य के कारणों को सूचित नहीं किया गया (अगस्त 2013)।

श्री	पूर्वक	1,18.69	1,18.69	1,47.38	(+28.69)
01	कन्द्रीय आयोजनागत/कन्द्रीय प्रशासनात्मक योजनाएं				
107	वार्षिक और वार्षिक विकास				
00					
2403	पशु पालन				

श्री	3,75.00	3,75.00	4,49.90	(+74.90)
16	अनुसूचित जातियों के व्यक्तियों की बीमारी के इलाज तथा ग्रामिणों की परिवारों की शादी हेतु			
800	अन्य व्यय			
01	अनुसूचित जातियों का कल्याण			
2225	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण			

(vi) आधिक्य निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुए:

(अगस्त 2013)।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अपर्युक्त रहने के कारण सूचित नहीं किए गए

श्री	9.00	9.00	0.00	(-9.00)
03	निजी नलकूप/पम्प सेट में विद्युत संयोजन योजना			
800	अन्य व्यय			
06	ग्रामीण विद्युतीकरण			
2801	विजली			

श्री	30.89	30.89	0.00	(-30.89)
101	पशु चिकित्सा सेवाएं तथा पशु स्वास्थ्य			
01	कन्द्रीय आयोजनागत/कन्द्रीय प्रशासनात्मक योजनाएं			

(+ आधिक्य)  
 (- बचत)  
 ₹ लाख में

क्रम लेखाशीर्ष  
 कुल अनुदान  
 वार्षिक व्यय  
 आधिक्य

(₹ लाख में)

वर्ष	बजट प्रावधान	व्यय	बचत
2007-08	2,29,68.92	1,63,57.33	66,11.59
2008-09	2,17,83.75	1,19,87.20	97,96.55
2009-10	2,25,75.14	1,02,61.22	1,23,13.92
2010-11	2,60,59.83	1,42,49.24	1,18,10.59
2011-12	3,41,48.59	1,64,99.11	1,76,49.48

(x) बचत निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुई:

- (1) **4202 शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय**
- 01 सामान्य शिक्षा
- 202 माध्यमिक शिक्षा
- 01 केन्द्रीय आयोजनगत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं
- |          |            |         |         |      |
|----------|------------|---------|---------|------|
| मूल      | 8,57.70    |         |         |      |
|          |            | 3,05.75 | 3,05.75 | 0.00 |
| पुनर्वि० | (-)5,51.95 |         |         |      |
- दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 5,51.95 लाख के अभ्यर्पण केन्द्रांश के प्राप्त न होने के कारण किए गए।
- (2) 02 अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान
- |          |          |      |       |          |
|----------|----------|------|-------|----------|
| मूल      | 0.01     |      |       |          |
| पूरक     | 94.76    | 0.01 | 23.21 | (+)23.20 |
| पुनर्वि० | (-)94.76 |      |       |          |
- अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 94.76 लाख की वृद्धि प्राथमिक विद्यालयों के सुदृढीकरण एवं विकास हेतु निधि की आवश्यकताओं के कारण की गई।
- दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 94.76 लाख के अभ्यर्पण निधि के अवमुक्त न होने के कारण किए गए।
- (3) 202 माध्यमिक शिक्षा
- 02 अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान
- |     |         |         |       |          |
|-----|---------|---------|-------|----------|
| मूल | 1,00.00 | 1,00.00 | 85.20 | (-)14.80 |
|-----|---------|---------|-------|----------|
- (4) 02 अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान
- 104 बहुशिल्प
- 03 राजकीय बहुधन्धी संस्थाओं के (पुरुष/महिला) भवन निर्माण/सुदृढीकरण
- |          |          |       |       |      |
|----------|----------|-------|-------|------|
| मूल      | 1,00.00  |       |       |      |
|          |          | 81.33 | 81.33 | 0.00 |
| पुनर्वि० | (-)18.67 |       |       |      |
- दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 18.67 लाख के अभ्यर्पण वृहत निर्माण कार्यों में हुई बचत के कारण किए गए।
- (5) 105 इंजीनियरिंग/तकनीकी कालेज तथा संस्थान
- 03 पंत कालेज आफ टेक्नोलाजी पन्तनगर
- |          |            |      |      |      |
|----------|------------|------|------|------|
| मूल      | 1,60.00    |      |      |      |
|          |            | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| पुनर्वि० | (-)1,60.00 |      |      |      |

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(6)	04 इंजीनियरिंग कालेज द्वाराहाट मूल 1,25.00	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)1,25.00			
(7)	05 इंजीनियरिंग कालेज, घुडदौड़ी मूल 1,00.00	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)1,00.00			
उपरोक्त क्रम सं० (5) से (7) के शीर्षों के अन्तर्गत दिनांक 31 मार्च 2013 को सम्पूर्ण प्रावधान के अभ्यर्पण किए जाने के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)।				
(8)	03 खेलकूद तथा युवा सेवाएं 102 खेलकूद स्टेडियम 03 इंडोर हाल व हास्टल का निर्माण मूल 60.00	60.00	2.96	(-57.04)
(9)	04 कला एवं संस्कृति 800 अन्य व्यय 03 कला एवं संस्कृति का संवर्द्धन मूल 12.00	9.82	9.82	0.00
	पुनर्वि० (-)2.18			
दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 2.18 लाख के अभ्यर्पण अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में सांस्कृतिक भवन के निर्माण हेतु प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण किए गए।				
(10)	4210 चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय 02 ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति 103 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र 91 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवनों का निर्माण (जिला योजना) मूल 90.00	66.65	66.65	0.00
	पुनर्वि० (-)23.35			
(11)	110 अस्पताल तथा औषधालय 02 अनुसूचित जातियों हेतु स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान मूल 1,50.00	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि० (-)1,50.00			

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)	
(12)	03 शव विच्छेदन गृह का निर्माण मूल	20.00	0.00	0.00	
	पुनर्वि०	(-)20.00			
(13)	04 अनावासीय भवनों का निर्माण मूल	80.00	0.00	0.00	
	पुनर्वि०	(-)80.00			
उपरोक्त क्रम सं० (11) से (13) के शीर्षों के अन्तर्गत दिनांक 31 मार्च 2013 को सम्पूर्ण प्रावधान का अभ्यर्पण तथा क्रम सं० (10) के शीर्ष के अन्तर्गत ₹ 23.35 लाख के अभ्यर्पण किए जाने के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)।					
(14)	<b>4217 शहरी विकास</b> 03 छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास 191 स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों तथा नगर सुधार बोर्डों को सहायता 97 बाह्य सहायतित परियोजनाएं मूल	12,00.00	12,00.00	4,19.48	(-)7,80.52
(15)	800 अन्य व्यय 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं मूल	10,00.00	10,00.00	7.36	(-)9,92.64
(16)	<b>4225 अनुसूचित जातियों/जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय</b> 01 अनुसूचित जातियों का कल्याण 277 शिक्षा 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं मूल	3,00.00	3,00.00	50.00	(-)2,50.00
(17)	<b>4235 सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय</b> 02 समाज कल्याण 800 अन्य व्यय 03 निदेशालय के भवन का निर्माण मूल	80.00	80.00	31.50	(-)48.50
(18)	<b>4403 पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय</b> 00 101 पशु चिकित्सा सेवाएं तथा पशु स्वास्थ्य 02 अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान मूल	50.00	70.00	56.18	(-)13.82
	पूरक	20.00			



प्राधान्य में अनुपूर्वक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 20.00 लाख की वृद्धि पर्याप्त वित्तिकसाधनों एवं पर्याप्त सेवा कर्मियों के निर्माण के लिए निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

आधिक्य (+)  
बचत (-)  
(₹ लाख में)

क्रम	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	शेष
(19)	4406 वानिकी एवं वन्य जीवों पर पुंजीगत परिव्यय			
	01 वानिकी			
	102 समान तथा काम वानिकी			
	03 बहुउद्देशीय वृक्षारोपण एवं वनों का संरक्षण	20.00	7.60	(-)12.40
(20)	4515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पुंजीगत परिव्यय			
	00			
	102 सामुदायिक विकास			
	02 अनुसूचित जातियों के लिए स्थल कम्पौनन्ट खान	6,00.00	4,99.32	0.00
	पुनर्वित्त	(-)1,00.68		
	द्विनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 1,00.68 लाख के अस्पष्ट शेषन से निधि के प्राप्त न होने के कारण किए गए।			
(21)	04 विधायक निधि	40,47.00	33,72.50	(-)6,74.50
(22)	4700 मुख्य सिंचाई पर पुंजीगत परिव्यय			
	04 नलकूपों का निर्माण			
	800 अन्य व्यय			
	91 अंतर्गत जातियों के लिए स्थल कम्पौनन्ट खान	1,00.00	79.73	(-)20.27
(23)	05 सिंचाई नहरों की नयी योजनाएँ			
	800 अन्य व्यय			
	01 केंद्रीय आयोजनागत एवं केंद्र परियोजनागत योजनाएँ	40,60.00	70.75	(-)39,89.25
(24)	06 निर्माणधीन सिंचाई नहरें			
	800 अन्य व्यय			
	02 अनुसूचित जातियों के लिए स्थल कम्पौनन्ट खान	85.00	31.16	(-)1,23.84
	परक	70.00	1,55.00	

क्रम लेखाशीर्षक कुल अनुदान वास्तविक व्यय आशियस (+) षटत (-) (₹ लाख में)

(25) 4702 लघु सिंचाई पर पूंजीगत परियोजनाएं

800 अन्य व्यय	00		
01 केंद्रीय आयोजनागत/केंद्र द्वारा प्रयोजित योजनाएं	36,00.00	0.00	1,32.88
मूल			
पुनर्वित्त	(-)36,00.00		(+)1,32.88

दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 36,00.00 लाख के अस्पष्ट कर्जा जो कि वित्तीय वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के उपभोग के लिए प्रस्तावित था, के प्राप्ति न होने के कारण किए गए।

(26) 02 अनुसंधित जातियों के लिए स्थल कम्पौन्ट खान

800 अन्य व्यय	00	0.00	0.00
02 अनुसंधित जातियों के लिए स्थल कम्पौन्ट खान	30.00	0.00	0.00
पुनर्वित्त	(-)30.00		

दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 30.00 लाख के अस्पष्ट वित्तीय स्वीकृति पर सहमति न होने के कारण किए गए।

(27)

4711 बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परियोजनाएं

01 बाढ़ नियंत्रण			
103 स्थित निर्माण कार्य			
02 अनुसंधित जातियों के लिए स्थल कम्पौन्ट खान	1,80.00	6,30.00	1,06.00
प्रक	4,50.00		(-)5,24.00

प्राधान्य में अनुपूर्वक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 4,50.00 लाख की वृद्धि नदियों के कटाव को रोकने हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

(28)

4801 बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परियोजनाएं

05 परियोजना एवं वितरण			
190 सरकारी क्षेत्र के उपकर्मों और अन्य उपकर्मों में विशेष			
97 बाह्य सहयोजित योजना	7,83.00	7,83.00	2,56.68
मूल			

(29) 5055 सड़क परिवहन पर पूंजीगत परियोजनाएं

800 अन्य व्यय	00		
03 बालक प्रशिक्षण संस्थान देहरादून में अनुसंधित जाति के अभ्यर्थियों को नि:शुल्क प्रशिक्षण	30.00	10.00	10.00
मूल			
पुनर्वित्त	(-)20.00		0.00

दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 20.00 लाख के अस्पष्ट प्रशिक्षण व्ययों में बचत के कारण किए गए।

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(30)	<b>6801</b> बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज 01 जल विद्युत उत्पादन 190 सहकारी क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों में निवेश 97 बाह्य सहायतित योजना मूल	5,29.20	5,29.20	3,00.00 (-),2,29.20
(31)	05 पारेषण एवं वितरण 190 सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों में निवेश 91 जिला योजना मूल	2,50.00	2,50.00	1,58.00 (-),92.00
(32)	97 बाह्य सहायतित योजना मूल	14,10.00	14,10.00	3,75.32 (-),10,34.68

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत/आधिक्य जहां परिलक्षित हुए हो, के कारणों को सूचित नहीं किया गया (अगस्त 2013)।

(xi) दृष्टांत जहां सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

(1)	<b>4202</b> शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय 01 सामान्य शिक्षा 202 माध्यमिक शिक्षा 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र पुरोनिधानित योजनाएं मूल	16,62.50	16,62.50	0.00 (-),16,62.50
वर्ष 2011-12 के दौरान भी, उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे।				
(2)	<b>4225</b> अनुसूचित जातियों/जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय 01 अनुसूचित जातियों का कल्याण 277 शिक्षा 02 अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों हेतु छात्रावासों का निर्माण (50 प्रतिशत के0स0) (चालू कार्य) मूल	30.00	30.00	0.00 (-),30.00
वर्ष 2011-12 के दौरान भी, उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे।				
(3)	04 अनुसूचित जातियों के लिए आश्रम में अवस्थापना सुविधाओं का विकास मूल	60.00	60.00	0.00 (-),60.00
(4)	<b>4408</b> खाद्य भण्डारण तथा भाण्डागारण पर पूंजीगत परिव्यय 01 खाद्य 800 अन्य व्यय 03 गोदामों का निर्माण मूल	2.00	2.00	0.00 (-),2.00
वर्ष 2011-12 के दौरान भी, उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे।				



क्रम सं०	लेखाशीर्ष	केल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(5)	4700 मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परियोजनाएं 04 नलकूपों का निर्माण 800 अन्य व्यय 02 अडोसॉजलियो के लिए स्थल कम्पानेन्ट खान	70.00	1,70.00	(-),1,70.00
	पूरक	1,00.00		
(6)	4801 बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परियोजनाएं 01 लल विद्युत उत्पादन 190 सरकारी क्षेत्र के उपकरणों और अन्य उपकरणों में निवेश 97 बाह्य सहायताएं योजनाएं	8,00.00	8,00.00	0.00
(7)	5054 सड़कों तथा सीढ़ियों पर पूंजीगत परियोजनाएं 04 लिला तथा अन्य सड़कें 800 अन्य व्यय 97 विषय बैंक सहायताएं योजनाएं	45,00.00	11,00.00	(-),11,00.00
	पुनर्वित्त	(-),34,00.00		
	वर्ष 2011-12 के दौरान भी, उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्राधान्य अप्रयुक्त रहे।			
(1)	4700 मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परियोजनाएं 06 निर्माणशील सिंचाई नहरें 800 अन्य व्यय 91 अनुसंधान जातियों के लिए लघुजल नहरों का निर्माण/पुनरोद्धार (जिला योजना)	3,50.00	3,50.00	4,28.41
(2)	5054 सड़कों तथा सीढ़ियों पर पूंजीगत परियोजनाएं 04 लिला तथा अन्य सड़कें 800 अन्य व्यय			(+),78.41

(xii) आधिक्य निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुआ:

(अगस्त 2013)।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्राधान्य के अप्रयुक्त रहने के कारण संचित नहीं किए गए।

वर्ष 2011-12 के दौरान भी, उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्राधान्य अप्रयुक्त रहे।

पुनर्वित्त

(-),34,00.00

(-),11,00.00

0.00

11,00.00

45,00.00

मूल

97 विषय बैंक सहायताएं योजनाएं

800 अन्य व्यय

5054 सड़कों तथा सीढ़ियों पर पूंजीगत परियोजनाएं

04 लिला तथा अन्य सड़कें

वर्ष 2011-12 के दौरान भी, उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्राधान्य अप्रयुक्त रहे।

(-),8,00.00

0.00

8,00.00

8,00.00

मूल

97 बाह्य सहायताएं योजनाएं

190 सरकारी क्षेत्र के उपकरणों और अन्य उपकरणों में निवेश

01 लल विद्युत उत्पादन

4801 बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परियोजनाएं

प्राधान्य में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 1,00.00 लाख की वृद्धि अडोसॉजलियो के लिए स्थल कम्पानेन्ट खान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

पूरक

1,00.00

(-),1,70.00

0.00

1,70.00

70.00

मूल

02 अडोसॉजलियो के लिए स्थल कम्पानेन्ट खान

800 अन्य व्यय

04 नलकूपों का निर्माण

4700 मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परियोजनाएं

(₹ लाख में)

बचत (-)

आधिक्य (+)

वास्तविक व्यय

केल अनुदान

लेखाशीर्ष

सं०

(5)

02

पूरक

(6)

(7)

(-),11,00.00

(अगस्त 2013)।

(xii) आधिक्य निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुआ:

(1)

(2)



कम लेखाशीर्ष कुल अनुदान वार्षिक व्यय आधिक्य (+) घटत (-) (₹ लाख में) ष0

02 अनुसंधित जातियाँ को स्थल कम्पानेन्ड लान	मूल	प्रक	पुनर्वि0
	27,40.00	10,00.00	(-)-51.71
		36,88.29	
		47,95.26	
			(+)-11,06.97

प्राधान में अनुपूर्वक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 10,00.00 लाख की वृद्धि अ0स0जातियों के लिए स्थल कम्पानेन्ड लान के अन्तर्गत चार्ज निर्माण कार्यों हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 51.71 लाख के अक्षय के कारण संचित नहीं किए गए (अप्रैल 2013)।

(3) 5452 पर्वतन पर पुंजीगत परिव्यय

80 सामान्य	104 संवर्धन तथा प्रचार	91 जिला योजना (चार्ज/नई योजनाएं)	मूल
		80.00	
			1,05.00
			(+)-25.00

उपरोक्त शीर्ष के अन्तर्गत आन्तम आधिक्य के कारण संचित नहीं किए गए (अप्रैल 2013)।

(iv) बचत निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुई:

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(1)	<b>2202 सामान्य शिक्षा</b>			
	01 प्रारम्भिक शिक्षा			
	800 अन्य व्यय			
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं			
	मूल	8,22.59		
			1,90.59	1,90.59
	पुनर्वि०	(-6,32.00)		0.00
	दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 6,32.00 लाख के अभ्यर्पण केन्द्रांश के प्राप्त न होने के कारण किए गए।			
(2)	02 माध्यमिक शिक्षा			
	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
	03 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना			
	मूल	4,10.73		
			4,81.73	4,29.81
	पूरक	71.00		(-51.92)
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 71.00 लाख की वृद्धि राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के अधिष्ठान व्ययों की पूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
(3)	800 अन्य व्यय			
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं			
	मूल	1,50.00	1,50.00	21.92
				(-1,28.08)
(4)	03 विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा			
	796 जनजाति क्षेत्र उप योजना			
	03 महाविद्यालयों का सुदृढीकरण			
	मूल	6.00		
			0.00	0.00
	पुनर्वि०	(-6.00)		0.00
	दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 6.00 लाख के बचत के अभ्यर्पण निम्न कारणों से किए गए—			
	➤ कार्यालय फर्नीचर ₹ 2.00 लाख			
	➤ मशीन ₹ 2.00 लाख एवं			
	➤ अन्य व्यय ₹ 2.00 लाख।			
(5)	<b>2203 तकनीकी शिक्षा</b>			
	00			
	105 बहुशिल्प			





क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(25)	15 एकलव्य आवासीय विद्यालय का संचालन मूल 79.67	93.67	84.38	(-)9.29
	पूरक 14.00			
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 14.00 लाख की वृद्धि विद्युत देयकों, व्यावसायिक एवं विशेष सेवाओं का भुगतान एवं भोजन व्यय की पूर्ति हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
(26)	<b>2230 श्रम तथा रोजगार योजना</b> 02 रोजगार सेवायें 796 जनजाति क्षेत्र उप योजना 01 शिक्षण/मार्ग दर्शन केन्द्र की स्थापना मूल 48.26	55.06	41.58	(-)13.48
	पूरक 6.80			
	प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 6.80 लाख की वृद्धि कर्मियों को वेतन इत्यादि के भुगतान हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
(27)	02 कालसी (देहरादून) में जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये विशिष्ट रोजगार केन्द्र मूल 16.92	16.92	13.45	(-)3.47
(28)	03 प्रशिक्षण 796 जनजाति क्षेत्र उप योजना 03 दस्तकार प्रशिक्षण योजना मूल 2,19.20	1,16.07	1,16.07	0.00
	पुनर्वि० (-)1,03.13			
	दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 1,03.13 लाख के प्रावधान के अभ्यर्पण निधि का उपभोग न हो पाने के कारण किए गए।			
(29)	<b>2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण</b> 02 समाज कल्याण 796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं मूल 8,73.60	2,55.58	2,55.56	(-)0.02
	पुनर्वि० (-)6,18.02			
	दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 6,18.02 लाख के अभ्यर्पण निम्न कारणों से किए गए— ➤ आगनबाड़ी के रिक्त पदों का न भरा जाना तथा ➤ पोषाहार के क्रय किए जाने हेतु निविदा का जारी नहीं किया जाना।			



क्रम संख्या	कम	लेखाशीर्ष	कूल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)	बचत (-)	₹ लाख में
(30)	03	निराश्रित विधवाओं के भरण-पोषण तथा उनके बच्चों की शिक्षा व्यवस्था हेतु अनुदान	2,50.20	2,50.20	2,41.42	(-)8.78	
(31)	04	समन्वित बाल विकास परियोजनाओं पर राज्य सरकार द्वारा दिया जाने वाला पोषाहार	4,63.32	3,85.63	3,85.64	(+)0.01	
		पुनर्वि0	(-)77.69				
		दिनांक 31 मार्च 2013 को अखिबत व्ययों के विभिन्न मदों के अन्तर्गत बचत ₹ 77.69 लाख के अस्पष्ट आगनबाड़ी कमियों के रिक्त मदों के न भरे जाने के कारण किए गए।					
(32)	08	वृद्धावस्था/किमान प्रदान	6,79.80	6,79.80	5,00.43	(-)1,79.37	
(33)	09	शाहीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को कूलिम अंग/श्रवण यंत्र अनुदान	4.00	4.00	1.75	(-)2.25	
(34)	60	अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम					
	800	अन्य व्यय					
	01	केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पर्यनिर्धारित योजनाएं	4,58.20	4,58.20	3,40.73	(-)1,17.47	
(35)	2401	फसल कृषि कम					
	00						
	102	खाद्यान्नों की फसलें					
	01	केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पर्यनिर्धारित योजनाएं	50.00	2,23.87	1,11.12	(-)1,12.75	
		पूरक	1,73.87				
		प्राधान्य में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 1,73.87 लाख की वृद्धि साइकोमोर्ड (90 प्रतिशत को0स0) हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।					
(36)	796	जनजाति क्षेत्र उप योजना	31.80	31.80	29.68	(-)2.12	
	04	राजकीय उद्यानों का सड़दुकीकरण					
		मूल	31.80				
(37)	2401	फसल कृषि कम					
	00						
	800	अन्य योजनाएं					
	91	जिला योजना	15.00	68.77	44.95	(-)23.82	
		पूरक	53.77				

प्रावधान में अनुपूरक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 53.77 लाख की वृद्धि केन्द्रीय विभाग रोजगार परियोजना आधारित कृषि विकास कार्यक्रम हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(38)	<b>2403 पशु पालन</b>			
	00			
	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
	22 पशु चिकित्सालय/पशु सेवा केन्द्रों की स्थापना (राज्य सेक्टर योजना)			
	मूल	10.49	10.49	4.67
				(-5.82)
(39)	<b>2501 ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम</b>			
	01 समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम			
	796 जनजाति क्षेत्र उपयोजना			
	01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं			
	मूल	3,72.18		
			1,84.72	1,84.72
				0.00
	पुनर्वि०	(-1,87.46)		
	दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 1,87.46 लाख के अभ्यर्पण केन्द्रांश के अवमुक्त न होने के कारण किए गए।			
(40)	<b>2515 अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम</b>			
	00			
	796 जनजाति क्षेत्र उप योजना			
	08 उत्तराखण्ड सार्वभौम रोजगार योजना			
	मूल	7.00		
			4.21	4.21
				0.00
	पुनर्वि०	(-2.79)		
	दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 2.79 लाख के अभ्यर्पण निधि की स्वीकृति न मिलने के कारण किए गए।			
(41)	<b>10 दीनदयाल उत्तराखण्ड ग्रामीण आवास योजना</b>			
	मूल	15.00		
			3.46	3.46
				0.00
	पुनर्वि०	(-11.54)		
	दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 11.54 लाख के अभ्यर्पण शासन से निधि की स्वीकृति न मिलने के कारण किए गए।			
(42)	<b>11 पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि</b>			
	मूल	1,00.00	1,00.00	43.00
				(-57.00)
(43)	<b>13 निर्बल वर्ग आवास योनान्तर्गत लिए गए बैंक ऋण की प्रतिपूर्ति</b>			
	मूल	40.00		
			0.00	0.00
				0.00
	पुनर्वि०	(-40.00)		

दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 40.00 लाख के अस्पष्ट ऋण पर शासन से सहमति न होने के कारण किए गए।

क्रम  
सं०  
लेखाशीर्ष  
कूल अनुदान  
वार्षिक व्यय  
आधिक्य (+)  
बचत (-)  
(₹ लाख में)

क्रम	सं०	लेखाशीर्ष	कूल अनुदान	वार्षिक व्यय	आधिक्य (+)	बचत (-)	(₹ लाख में)
(44)	14	मुख्यमंत्री शिवाय विकास योजना	10.00	0.00	0.00	0.00	
		मुँल	10.00				
		पुनर्वि०	(-)10.00				
दिनांक 31 मार्च 2013 को सम्पूर्ण प्रावधान का अस्पष्ट ऋण का कारण पिछले वर्ष की निधि का वर्तमान वर्ष में उपयोग हेतु उपलब्ध होना सूचित किया गया।							
(45)	97	आईकड बाह्य सहयति योजना	96.56	46.00	46.00	0.00	
		मुँल	96.56				
		पुनर्वि०	(-)50.56				
दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 50.56 लाख के अस्पष्ट निधि के अधिक प्रावधान होने के कारण किए गए।							
उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम बचत जहाँ परिलक्षित हुई है, के कारण सूचित नहीं किए गए (अप्रैल 2013)।							

(v) दृष्टांत जहाँ सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:

(1)	2225	अप्रयुक्त जातियाँ, जनजातियाँ तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	13.06	13.06	0.00	(-)13.06	
	02	अनुजनजातियों का कल्याण					
	794	जन-जाति उपयोजना के लिए विशेष कर्षण सहयता					
	01	कर्षण आयाजनागत/कन्द प्रशिक्षणित योजना	3,00.00	3,00.00	0.00	(-)3,00.00	
		मुँल	3,00.00				
(2)	800	अन्य योजनाएँ					
	20	जनजाति सहायकार परिषद्	13.06	13.06	0.00	(-)13.06	
		मुँल	13.06				
वर्ष 2010-11 एवं 2011-12 के दौरान भी, उक्त शीर्षों के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।							

(3)	2401	कसल कृषि कर्म					
	796	जनजातीय क्षेत्र उप-योजना	2.00	2.00	0.00	(-)2.00	
	23	कृषि रक्षा कार्यक्रम नियंत्रण की योजना	2.00	2.00	0.00	(-)2.00	
		मुँल	2.00				
(4)	2801	विजली					
	06	शाहीग विद्युतीकरण					

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)	
(4)	202 माध्यमिक शिक्षा				
	01 केन्द्रीय आयोजनोगत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं				
	मूल	3,50.00	3,50.00	3,33.33	(-)16.67
(5)	203 विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा				
	03 राजकीय महाविद्यालयों के छात्रावास/भवनों का निर्माण				
	मूल	80.00			
			13.80	13.80	0.00
	पुनर्वि०	(-)66.20			
	दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 66.20 लाख के अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)।				
(6)	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना				
	03 माध्यमिक विद्यालयों के भवनों का निर्माण जीर्णोद्धार				
	मूल	40.00	40.00	36.83	(-)3.17
(7)	02 तकनीकी शिक्षा				
	104 बहुशिल्प				
	03 राजकीय बहुधन्धी संस्थाओं के पुरुष/महिला भवन निर्माण/सुदृढीकरण				
	मूल	70.00			
			1.09	1.09	0.00
	पुनर्वि०	(-)68.91			
(8)	105 इंजीनियरिंग/तकनीकी कालेज तथा संस्थान				
	03 इंजीनियरिंग कालेज घुडदौड़ी, पौड़ी को सहायक अनुदान				
	मूल	35.00			
			0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि०	(-)35.00			
(9)	05 इंजीनियरिंग कालेज, द्वाराहाट (अल्मोड़ा)				
	मूल	30.00			
			0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि०	(-)30.00			
	उपरोक्त क्रम सं० (7) से (9) के शीर्षों के अन्तर्गत दिनांक 31 मार्च 2013 को किए गए अभ्यर्पण के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)।				
(10)	03 खेलकूद तथा युवक सेवा खेल कूद स्टेडियम				
	102 खेलकूद स्टेडियम				
	03 इण्डोर हॉल एवं हॉस्टल का निर्माण				
	मूल	25.50	25.50	3.59	(-)21.91



क्रम	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(11)	4210 विक्रमा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूर्णगत परियोजना 02 ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ-प्राथमिक चिकित्सा पद्धति 796 जनजाति क्षेत्र उप योजना 91 विना योजना	1,15.00	1,86.27	1,57.55
	पूर्वक	71.27		
	प्रावधान में अनुपूर्वक अनुदान द्वारा माह दिसम्बर 2012 को ₹ 71.27 लाख की वृद्धि उपकर्मों के भवनों के निर्माण हेतु निधि की आवश्यकता के कारण की गई।			
(12)	4217 शहरी विकास पर पूर्णगत परियोजना 03 छोटें तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समकित विकास 800 अन्य व्यय 01 केन्द्रीय आयोजना/केन्द्र द्वारा पूर्णनिधानित योजनाएँ	1,60.00	1,60.00	1.23
(13)	4225 अनुसूचित जातियाँ, जनजातियाँ तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण 02 ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ-प्राथमिक चिकित्सा पद्धति 277 शिक्षा 01 केन्द्र प्राणित/केन्द्र द्वारा पूर्णनिधानित योजना	5,40.00	5,40.00	57.90
(14)	07 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में अवस्थापना सुविधा	1,00.00	1,00.00	97.28
(15)	4515 अन्य ग्राम विकास कार्यकर्माँ पर पूर्णगत परियोजना 102 अन्य ग्राम विकास कार्यकर्माँ पर पूर्णगत परियोजना 04 विधायक निधि	8,52.00	8,52.00	7,10.00
(16)	796 जनजाति क्षेत्र उप योजना 02 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पूर्णनिधानित योजना	25.00	0.00	0.00
	पूर्वक	(-25.00)		
	उक्त शीर्ष के अन्तर्गत दिनांक 31 मार्च 2013 को सम्पूर्ण प्रावधान के अस्पष्ट किए जाने के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)।			

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)	
(17)	<b>4700</b> मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 04 नलकूपों का निर्माण 796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 91 अनुसूचित जनजातियों के लिए नलकूपों का निर्माण	30.00	30.00	7.60	(-)22.40
(18)	<b>4702</b> लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 00 796 जनजाति क्षेत्र उप योजना 01 ट्राईबल विकास खण्डों में लघु सिंचाई योजना के अन्तर्गत हाईड्रम स्पीकलरों का निर्माण	10,90.00	0.00	0.00	0.00
	पुनर्वि०	(-)10,90.00			
	दिनांक 31-03-2013 को सम्पूर्ण प्रावधान का अभ्यर्पण भारत सरकार को वित्तीय वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 हेतु प्रस्ताव अनुसार केन्द्रांश के प्राप्त न होने के कारण किए गए।				
(19)	<b>4801</b> बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय 05 पारेषण एवं वितरण 190 सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों में निवेश 97 बाह्य सहायतित	1,00.00	1,00.00	42.78	(-)57.22
(20)	<b>5054</b> सड़क तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय 04 जिला तथा अन्य सड़कें 796 जनजाति क्षेत्र उप योजना 01 नए कार्य	30.00	0.80	0.50	(-)0.30
	पुनर्वि०	(-)29.20			
(21)	02 चालू निर्माण कार्य मूल	16,00.00	12,49.81	12,50.06	(+)0.25
	पुनर्वि०	(-)3,50.19			
(22)	03 सड़क/भवन/पुल आदि हेतु भूमि अधिग्रहण मूल	1,20.00	77.12	77.13	(+)0.01
	पुनर्वि०	(-)42.88			

क्रम सं०	लेखाशीर्षक	कूल अनुदान	वास्तविक व्यय	आशुतक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(23)	97 राज्य सहायता योजना	5,00.00	0.00	0.00
	मूल			
	पुनर्वित्त	(-),5,00.00		
	उपरोक्त क्रम सं० (20) से (23) के शीर्षक के अन्तर्गत दिनांक 31 मार्च 2013 को अस्पष्ट किए जाने के कोई स्पष्ट कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)।			
(24)	5055 सड़क परिवहन पर पूर्णतः परियोजना			
	800 अन्य व्यय			
	03 बालक शिक्षण संस्थान देहरादून में अनुसूचित जनजाति के अस्थिरियों को निःशुल्क शिक्षण	8.40	2.80	0.00
	पुनर्वित्त	(-),5.60		
	दिनांक 31 मार्च 2013 को ₹ 5.60 लाख के अस्पष्ट कारण सूचित नहीं बचत के कारण किए गए।			
(25)	6801 बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज			
	01 लंबित उतपदन			
	190 सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों में निवेश			
	97 राज्य सहायता	3,00.00	3,00.00	
	मूल			
	05 परियोजना एवं वितरण			
	796 जनजाति क्षेत्र उप योजना			
	91 यू०पी०सी०एल० को ऋण (जिला योजना)	40.00	40.00	
	मूल			
	उपरोक्त शीर्षक के अन्तर्गत अन्तिम बचत जहाँ परिलक्षित हुए हैं, के कारण सूचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)।			
(xi)	दृष्टांत जहाँ सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे:			
(1)	4408 खाल मण्डारण तथा मण्डारण पर पूर्णतः परियोजना			
	01 खाल			
	800 अन्य व्यय			
	03 गाँवों का निर्माण	60.00	60.00	
	मूल			
	वर्ष 2011-12 के दौरान भी, उपरोक्त शीर्षक के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अप्रयुक्त रहे थे।			
				(-),60.00

क्रम सं०	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+) बचत (-) (₹ लाख में)
(2)	<b>4700</b> मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय			
	04 नलकूपों का निर्माण			
	796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
	03 नलकूपों का निर्माण			
	मूल	20.00		
			35.00	
	पूरक	15.00	0.00	(-)35.00
(3)	05 सिंचाई नहरों की नई योजनायें			
	800 अन्य व्यय			
	01 केन्द्रीय आयोजनगत/केन्द्र पुरोनिधानित योजनाएँ			
	मूल	10,60.00	10,60.00	0.00
				(-)10,60.00
(4)	06 निर्माणाधीन नहरें			
	796 जनजाति क्षेत्र उपयोजना			
	03 सिंचाई नहरों का निर्माण			
	मूल	80.00		
			1,22.00	
	पूरक	42.00	0.00	(-)1,22.00
(5)	800 अन्य व्यय			
	91 जनजाति क्षेत्रों के लिए लघुडाल नहरों का निर्माण			
	मूल	7.53	7.53	0.00
				(-)7.53
(6)	07 उत्तराखण्ड की लघुडाल नहरों का निर्माण/पुनरोद्धार			
	800 अन्य व्यय			
	91 अनुसूचित जनजातियों के लिए लघुडाल नहरों का निर्माण/पुनरोद्धार			
	मूल	6.00	6.00	0.00
				(-)6.00
(7)	<b>4711</b> बाढ़ नियन्त्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय			
	01 बाढ़ नियन्त्रण			
	796 जनजाति क्षेत्र उप योजना			
	03 सिविल निर्माण कार्य			
	मूल	1,00.00		
			1,30.00	
	पूरक	30.00	0.00	(-)1,30.00
(8)	<b>4801</b> बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज			
	01 बायो ऊर्जा			



क्रम	लेखाशीर्ष	कुल अनुदान	वास्तविक व्यय	आधिक्य (+)	बचत (-)	(₹ लाख में)
------	-----------	------------	---------------	------------	---------	-------------

190	सरकारी क्षेत्र के उपकर्मों और अन्य उपकर्मों में निवेश					
	97	राष्ट्र सहयोगित	4,00.00	4,00.00	0.00	(-)/4,00.00
		मूल				

वर्ष 2011-12 के दौरान भी, उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान अपर्युक्त रहे थे।

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत सम्पूर्ण प्रावधान के अपर्युक्त रहने के कारण संचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)।

(xii) आधिक्य निम्न शीर्षों के अन्तर्गत परिलक्षित हुए:

(1)	4700	मुख्य सिंचाई पर पूर्वीगत परिव्यय				
	06	निर्माणधीन कार्य				
	796	जनजाति क्षेत्र उपयोजना	2,00.00	2,00.00		
	91	अनुसूचित जनजातियों के लिए नहरों का निर्माण				
		मूल				
(2)	6801	बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज				
	05	परिष्कार एवं विद्युत्				
	796	जनजाति क्षेत्र उप योजना	90.00	90.00		
	97	राष्ट्र सहयोगित योजना				
		मूल				

उपरोक्त शीर्षों के अन्तर्गत अन्तिम आधिक्य के कारण संचित नहीं किए गए (अगस्त 2013)।

			90.00	90.00	1,36.22	(+)/46.22
--	--	--	-------	-------	---------	-----------

30-अनुसूचित जातियों का कल्याण	---	22,24,00,00
29-औद्योगिक विकास	---	4,50,00
25-खाद्य	---	22,00,00,00
24-परिवहन	---	---
22-लोक निर्माण कार्य	---	---
20-सिंचाई एवं बाढ़	---	---
18-सहकारिता	---	---

कम	अनुदान	बजट	प्राक्कलन
1. 00.00.11-शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण तथा संस्कृति	19,50,00	---	---
2. 17.01.17-कृषि कम एवं अनुसंधान	---	---	---
संख्या	05	---	---
पूर्वजगत	01	---	---
( ₹ हजार में )	01	---	---
23.53.81	01	---	---
08.5	01	---	---
05	01	---	---
00.00.1	01	---	---

वसुधैव कुटुम्बकम् और वास्तविक आकड़ों का निम्न अंश से कटौती करके लेखाओं में समायाजित किया गया, अनुदानवार विवरण।

(सन्दर्भ : पृष्ठ सं०- xiii तालिका)

परिशिष्ट - II

परिचय - 27  
(सन्त - विषय (क) अनुसूचित जाति  
(05-सामान्य (क) विषय : शिक्षा)  
उच्चतम स्तर - शिक्षा - पूंजीगत

	वास्तविक		बजट प्राक्कलनों से वास्तविक तुलना	
	राजस्व (₹ हजार में)	पूंजीगत	अधिक (+) कम (-)	पूंजीगत
4700 सिंचाई पूंजीगत उच्चतम स्तर	12,72	2,35,62		
विविध कार्य	---	1,37	---	(+)1,37
योग	---	22,48,50	---	(+)2,98,50
4701- सिंचाई पूंजीगत उच्चतम स्तर	6,55,54	62,74,21	(+)6,55,54	(+)62,74,21
विविध कार्य	4,63	1,04,08,60	(+)4,63	(+)1,04,08,60
योग	---	46	---	(+)46
4702-लघु पर पूंजीगत परिव्यय उच्चतम स्तर	---	13,67,22,94	---	(-)8,32,77,06
विविध निम्न अग्रिम	---	---	---	(-)4,50,00
कार्यशाला योग	6,60,17	15,59,53,73	(+)6,60,17	(-)6,64,46,27



## परिशिष्ट - V

(सन्दर्भ : टिप्पणी (xiii), अनुदान-22)

उचन्त लेन देन -लोक निर्माण विभाग

(लाख ₹ में)

शीर्ष	1 अप्रैल 2012 को आदि शेष (नामे +) (जमा -)	नामे	जमा	निवल	वसूली 2012-13	31 मार्च 2013 को अन्त शेष (नामे + जमा) - वसूली
5054-सड़कों तथा पुलों पर पूँजीगत परिव्यय						
उचन्त स्टॉक	(+)2,09,46.99	(+)54,22.85	--	(+)54,22.85	59,55.33	(+)2,04,14.51
विविध निर्माण कार्य अग्रिम	(+)2,01,21.19	(+)52,55.92	--	(+)52,55.92	44,53.27	(+)2,09,23.84
योग	(+) 4,10,68.18	(+) 1,06,78.77	--	(+) 1,06,78.77	1,04,08.60	(+) 4,13,38.35

2702-लघु सिंचन

उचन्त स्टॉक

विविध निर्माण कार्य अग्रिम

कार्यशाला उचन्त

योग





